

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2024—चैत्र 9, शक 1946

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2024

क्र. ई-1-13-2024-5-एक.—श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2024

क्र. ई-5-1174-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे (2018) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन को दिनांक 8 जनवरी से 28 जून 2024 तक, एक सौ तिहत्तर

दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 जनवरी तथा 29, 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

1845

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2024

क्र. ई-5-1220-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 7 से 16 फरवरी 2024 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**वीरा राणा, मुख्य सचिव।**

### संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024

क्र. ई-5-723-आयएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2023 द्वारा श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, विभाग को दिनांक 11 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, बाईस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर 2023 तथा 2, 3 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अवकाश में से दिनांक 2 एवं 3 जनवरी 2024 के अवकाश को निरस्त किया जाता है।

(2) आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2023 की शेष कंडिकाएं (2-6) यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव "कार्मिक"।**

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2024

क्र. एफए6-34-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2024

क्र. 506-1893288-2024-साप्रवि(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को ओएसडी-कम-पी.पी.एस., मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-1503-(दो-1-21-2023), दिनांक 8 फरवरी 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 17 से 25 जनवरी 2024 तक नौ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 508-1893218-2024-साप्रवि(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री दुप्पाला वेंकट रमन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को ओएसडी-कम-पी.पी.एस., मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-1798-(दो-1-20-2023), दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 510-1892467-2024-साप्रवि(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को ओएसडी-कम-पी.पी.एस., मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-1501-(दो-1-6-2024), दिनांक 8 फरवरी 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 फरवरी 2024 तक पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 फरवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2024

क्र. 539-1896341-2024-साप्रवि(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री राजेन्द्र कुमार-IV, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-1953-(दो-1-26-2023), दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 22 दिसम्बर 2023 तक नौ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 537-1896205-2024-साप्रवि(1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-1951-(दो-1-4-2024), दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 जनवरी 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 20 से 21 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रंजना पाटने, उपसचिव।**

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2024

## संशोधित अधिसूचना

फा. क्र. 1327-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब (एक) -2311/19, दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

क्र.	स्थान	न्यायिक अधिकारी का नाम (सिविल न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"4	ग्वालियर	श्री मोहित परसाई, चौदहवें व्यवहार, न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर."."

F. No. 1327--XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government, with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311-2019, dated 5<sup>th</sup> April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 17<sup>th</sup> May 2019, namely:—

## AMENDMENT

In the said notification, in the Table for Serial Number 4 for (Civil Judge Level) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

## TABLE

S. No.	Place	Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"4	Gwalior	Shri Mohit Persai, XIV <sup>th</sup> Civil Judge, Senior Division Gwalior."

फा. क्र. 1328-इक्कीस-ब (एक)-2024.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 80 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80.	श्री कुशाग्र अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन."

F. No. 1328-XXI-B(1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1) 13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013, Namely :—

## AMENDMENT

In the said notification, in the Table for Serial Numbers 80 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

## TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80.	Shri Kushagra Agrawal, I Civil Judge Junior Division, Ujjain.	Ujjain	Ujjain	Ujjain	Ujjain."

फा. क्र. 1329-इक्कीस-ब (एक)-2024.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 16 तथा 67 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	श्री महेन्द्र सिंह रावत, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67.	श्रीमती प्रेमलता बोराना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन.	लखनादौन	सिवती	लखनादौन	लखनादौन.".

F. No. 1329-XXI-B(1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1) 13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24<sup>th</sup> May, 2013, Namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the Table for Serial Numbers 16 and 67 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	Shri Mahendra Singh Rawat, III Civil Judge Senior Division, Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur
67.	Smt. Premlata Boarana, II Civil Judge Senior Division Lakhnadon.	Lakhnadon	Seoni	Lakhnadon	Lakhnadon."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, सचिव.

### औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2024

क्र. 333-63-2018-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश की अवकाश अवधि में श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

श्री नागर की अवकाश अवधि में श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (क्रमांक 9 सन् 1932) की धारा 57 की उपधारा (1) के तहत रजिस्ट्रार नियुक्त करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये अधिकृत किया जाता है।

क्र. 335-63-2018-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर (Book of financial Power) 2012 भाग-1 के सेक्शन 1 के बिन्दु क्रमांक 1.2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के स्थान पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल को कार्यालय प्रमुख एवं बीसीओ (Budget Controlling Officer) के पद का भी प्रभार सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2024 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल (81) (ए) (ई) (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया है।

2. उक्त आदेश में एतद्द्वारा संशोधन कर अब यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव।

## पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. एफ 4-2-06-0001-2024-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर वायु सेवा संचालन की सहमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक 15, दिनांक 27 फरवरी 2024 के संदर्भ में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनील दुबे, उपसचिव।

## आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-3, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 767-1610882-2023-1-उनसठ.—विभागीय आदेश क्रमांक-2760-1610882-2023-1-उनसठ, दिनांक 27 सितम्बर 2023 द्वारा डॉ. अंतिम नलवाया, जिला आयुष अधिकारी, भोपाल को आयुष संचालनालय में ड्रग इंस्पेक्टर (आयुर्वेद) के पद पर पदस्थ किया गया है।

2. डॉ. नलवाया की पदस्थापना संचालनालय एवं जिला आयुष कार्यालय में होने के कारण जिला आयुष कार्यालय का कार्य प्रभावित होने के कारण पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2023 को निरस्त करते हुए, डॉ. अंतिम नलवाया ड्रग इंस्पेक्टर (आयुर्वेद) को पूर्व पदस्थापना जिला आयुष अधिकारी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना देवड़ा, उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश  
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. 1434-व.लि.-1-2024.—इस कार्यालय का आदेश क्र. 141-व.लि.-1-2024, दिनांक 5 जनवरी 2024 द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार को होली के दूसरे दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। वर्तमान में लोक सभा चुनाव कार्य को देखते हुये उक्त स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को कजलिया का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पांडुर्णा, मध्यप्रदेश

पांडुर्णा, दिनांक 28 फरवरी 2024

क्र. 329-वित्त लि.-2024.—मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34(क) के अनुसार पांडुर्णा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है:—

स.क्र. (1)	राजस्व अनुभाग का नाम (2)	राजस्व अधिकारी (3)
1	अनुभाग, पांडुर्णा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पांडुर्णा
2	अनुभाग, सौंसर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर

अजय देव शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 8 जनवरी 2024

क्र.-क-व.लि.-2024-168.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. एम-3-23-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, वर्ष 2024 के लिये जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 (तीन) स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करती हूँ:—

क्र. (1)	दिनांक (2)	पर्व/त्यौहार (3)	दिन (4)	विवरण (5)
1	2 सितम्बर 2024	पोला पिठोरा	सोमवार	सम्पूर्ण जिले के लिये
2	18 सितम्बर 2024	अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन	बुधवार	सम्पूर्ण जिले के लिये
3	11 अक्टूबर 2024	दुर्गानवमी (महानवमी)	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिले के लिये

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं रहेगा.

भव्या मित्तल, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 14 मार्च 2024

प्र. क्र. 0023-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
टीकमगढ़	जतारा	बम्होरी अब्दा	8.6776	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0024-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
टीकमगढ़	जतारा	वहारू ताल	23.2621	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.



प्र. क्र. 0025-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	जतारा	देवराहा	12.4214	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0026-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	जतारा	मचौरा	18.1773	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0027-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	जतारा	राजनगर	15.3313	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0028-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	जतारा	टांगगा	38.6454	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0029-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौर	जेवर	42.3900	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0030-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौर	मर्दनपुरा	10.7219	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0031-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौरा	मेंदवार	34.3339	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0032-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौरा	मौंथी	5.2714	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0033-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौर	नुना	19.4058	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0034-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौर	पचघरा	14.4223	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0035-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	पचोरा	4.9716	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0036-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	लिधौरा	तगेडी	33.8304	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0037-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौर	उपरारा चक्र-2	9.9455	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0038-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	लिधौर	उपरारा खास	11.4866	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0039-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	बम्होरीकला	35.7390	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0040-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	बराना	70.4500	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.



प्र. क्र. 0041-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	वरकछार	9.7148	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0042-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	वसतगुंवा	33.9591	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0043-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	भटगोरा	32.2972	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0044-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	चरी	75.2761	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0045-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	छिदारा	15.1987	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0046-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	गुडा निज पाली	38.3194	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0047-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	इटायली	28.8658	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0048-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	जरया	24.7510	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0049-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	जिटकोरा	12.2047	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0050-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	मोर रमना	15.0525	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0051-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	मगरई	15.4189	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0052-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	पाली	29.9683	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0053-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	फूलपुर	18.7372	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0054-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
टीकमगढ़	पलेरा	रामनगर बुजुर्ग	57.3054	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0055-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	रमपुरा उर्फ निबावरी	5.5842	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0056-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	रतवास	30.3578	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.



प्र. क्र. 0057-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	पलेरा	सिमराखुर्द	2.1041	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जतारा.	केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन-बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 23 फरवरी 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-728-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	ऊजेनी	2.0000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना नहर के अंतर्गत मझगावां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-729-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) बिरसिंहपुर	(3) बांधी	(4) 4.5640	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-II के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-730-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) बिरसिंहपुर	(3) बरा	(4) 5.0200	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3, देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना नहर के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-731-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)	
(1) सतना	(2) बिरसिंहपुर	(3) सुजावलकला	(4) 3.100	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3, देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-II के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर/वितरक नहर/माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 150-भू-अर्जन-2023-24

रायसेन, दिनांक 14 मार्च 2024

भू-अर्जन प्र.क्र. 01/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क्र-2 के कॉलम क्रं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

क्रमांक	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायसेन म.प्र.	उदयपुर	ग्राम चौरास प. ह.नं. 34 य. नि.म. तहसील उदयपुर	कुल 3.457 हे.	भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..	चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

### अनुसूची-2

#### (प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि				
क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	ओमप्रकाश आ. छोटेलाल राजपूत	454/2/2	0.728	0.036
2	द्रोपतीबाई बेवा नर्मदा सिंह राजपूत	483/3	0.772	0.060
3	सुरेन्द्र सिंह आ. भगवान सिंह राजपूत	484/4	1.274	0.187
4	हरीबाई बेवा बालमोहन, प्रियका, वंदना, अर्चना, अंजली, रामदेवी पुत्री बालमोहन राजपूत	484/6	0.869	0.218
5	लक्ष्मण सिंह आ.धीरज सिंह मेहरा	485	0.129	0.129

6	राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत	486	0.085	0.085
7	राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत	487	0.214	0.160
8	दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राह्मण	476	0.621	0.128
9	दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राह्मण	477	0.150	0.080
10	श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सियारामदास मंहत	478/1	0.972	0.028
11	दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राह्मण	474	0.138	0.138
12	दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राह्मण	479	0.214	0.088
13	दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राह्मण	480	0.033	0.033
14	गोधन सिंह आ.रामचरन राजपूत	481/1	0.578	0.245
15	गिरवर सिंह आ. नर्मदा सिंह राजपूत	481/2	0.582	0.135
16	ओमशंकर आ.बीरन सिंह राजपूत	295	0.420	0.130
17	जीवन सिंह आ.मोकम सिंह राजपूत	297	0.202	0.084
18	उत्तम आ.प्रेमसिंह राजपूत	284/1/1	1.214	0.056
19	राजकुमार आ. मेहरवान सिंह राजपूत	284/1/2	0.121	0.004
20	राकेश सिंह आ.मेहरवान सिंह राजपूत	284/1/3	0.121	0.040
21	श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सियारामदास मंहत	284/2	0.809	0.020
22	ओमशंकर आ.बीरन सिंह राजपूत	293	0.247	0.008
23	रणजीत सिंह आ. भरत सिंह	294	0.235	0.235
24	रणजीत सिंह आ. भरत सिंह	291	0.142	0.142
25	रणजीत सिंह आ. भरत सिंह राजपूत	292	0.283	0.036
26	गोधन सिंह आ.रामचरन राजपूत	290/1	0.065	0.065
27	गिरवर सिंह आ. नर्मदा सिंह राजपूत	290/2	0.064	0.064
28	दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राह्मण	289	0.761	0.340
29	दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राह्मण	287	0.170	0.170
30	राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत	484/5	0.337	0.040
31	कोसियाबाई बेवा टन्दू जाति चमार	285/2/14	0.493	0.094
32	हीरालाल आ.जीवन जाति चमार	285/2/5	0.492	0.088
33	वीरा आ.सम्मर जाति धोबी	285/2/3	0.492	0.063
34	कमलेश,रामसिंह आ.फूलसिंह, सविता पुत्री छोटेलाल, गुलजार सिंह रतन सिंह आ.अनंत सिंह राजपूत	273/1	1.586	0.028
			15.613	3.457

- यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।
- सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष भू-अर्जन शाखा बरेली/रायसेन में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.raise.nic.in](http://www.raise.nic.in) एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 152-B-121-23-24

रायसेन, दिनांक 15 फरवरी 2024

अंतर्गत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम कच्चा बेगमगंज के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध

भूमि का विवरण

- 1 जिला :- रायसेन  
 2 तहसील :- बेगमगंज  
 3 ग्राम :- कच्चा बेगमगंज  
 4 पटवारी हल्का नम्बर :-  
 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हे० में :-

हे०

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	खसरा नम्बर	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1	2	3	4	5
1	346	कच्चा मकान और पक्का मकान	भोजराज पिता श्री रामरतन शर्मा	139.37
2	346	कच्चा मकान और पक्का मकान	हरी शंकर पिता रामरतन शर्मा	139.37
3	346	कच्चा मकान	प्रेम नारायण पिता रामरतन शर्मा	84.37
4	346	पक्का मकान	सोनू पिता नत्थू कुशवाहा	24.86
5	346	पक्का मकान	बलवीर पिता नत्थू कुशवाहा	24.86
6	428	कच्चा मकान	समीर कुरेशी पिता रिजवान कुरेशी	27.54
7	384	पक्का	मरघट	47.13
8	385	पक्का	शमशान घाट	47.13
9	871/385	पक्का	ईदगाह	770.000
	योग:-			1304.63 (वर्गमी०)
	योग:-			0.130 हे०

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 925-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 15 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- ललचहा  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.7040 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	7/1	0.0700
2	7/2	0.1000
3	8/1	0.0200
4	8/2	0.0040
5	10/1	0.2900
6	10/3/1	0.2100
7	11/3/1	0.0100
	योग:-	0.7040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 930-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- मढ़ा  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.2050 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	463/1	0.0400
2	464/1	0.0110
3	465	0.0570
4	466/2/1	0.0970
	योग :-	0.2050

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मढ़ा माइनर के निर्माण हेतु।  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।



क्र. 931-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- सतना पट्टी छींदा  
 (घ) क्षेत्रफल- 2.3590 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	257	0.0020
2	258	0.0660
3	259	0.0910
4	263	0.1510
5	266/1	0.1850
6	266/2	0.1250
7	265/2	0.0420
8	240/1	0.1170
9	240/2	0.1170
10	241/1	0.0110
11	161	0.1690
12	159	0.0120
13	158/1	0.2180
14	157	0.1800
15	154/1	0.0740
16	153/1	0.1300
17	153/2	0.1380
18	153/3	0.1450

19	150/2	0.0070
20	151/1/1	0.0400
21	151/1/2	0.1240
22	151/2/1	0.0480
23	92	0.0010
24	93/1	0.0140
25	93/2	0.0260
26	93/3	0.0530
27	93/4	0.0660
28	152/1	0.0070
	योग:-	2.3590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 932-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- गंगवरिया  
 (घ) क्षेत्रफल- 7.3760 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	522	0.0740
2	523/2	0.1600
3	1127	0.1200
4	1130/2	0.2610
5	1133/1	0.4360
6	1134/2	0.0350
7	531	0.0450
8	1059/2	0.7210
9	1060/2	0.2840
10	1146/2	0.0840
11	1026/3/1	0.2490
12	1130/1	0.1650
13	1027/2/2	0.1050
14	1060/4	0.3140
15	1035/2	0.1100
16	525/1/1	0.3620
17	527/1/2/4	0.1150
18	528	0.0050

19	529	0.0090
20	1144	0.4910
21	1145	0.0520
22	1124	0.0110
23	1125	0.0050
24	1126	0.2150
25	1031	0.0630
26	524/1	0.0320
27	1121	0.0660
28	1122	0.0500
29	527/1/2/1	0.1980
30	527/1/1	0.0420
31	1026/3/2	0.2490
32	527/1/2/3	0.1040
33	1088/2/1	1.1390
34	526/1/1	0.0110
35	523/1	1.0250
36	526/1/2	0.0240
37	527/1/1/2	0.0520
38	1027/2/3	0.0900
39	1088/3	1.1900
40	1088/2/2	0.1390
41	1088/2/3	0.1390
42	1146/1	0.1900
43	1035/3	0.1450
	योग:-	7.3760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कर्मांक01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 933-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर / ग्राम- बराज  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.6220 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	104	0.0080
2	102	0.0060
3	103	0.2240
4	106	0.0100
5	96/1	0.0210
6	96/2/1	0.0120
7	96/2/2	0.0120
8	96/3	0.0250
9	96/4	0.0300
10	96/5	0.0320
11	96/6	0.0110
12	95	0.0810
13	93	0.0020
14	92/1	0.0090
15	92/2	0.1390
	योग :-	0.6220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बराज माईनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 935-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर / ग्राम- आमा  
 (घ) क्षेत्रफल- 10.6520 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	334/1/1	1.4900
2	13/1	1.9000
3	19/3/1/1	0.2220
4	19/3/1/2	0.0210
5	19/28/1	0.2020
6	19/28/2	0.2020
7	19/3/2	0.2430
8	19/7/1/1	0.0200
9	19/7/1/2	0.0240
10	19/7/1/3	0.0240
11	19/19	0.0490
12	19/20	0.0490
13	19/21	0.0610
14	19/44/1	0.1900
15	19/44/2	0.1900
16	19/44/3	0.2020
17	21/1/1	0.1090
18	22/2	0.1690

19	22/1/1	0.1130
20	22/1/2/1	0.0320
21	22/1/2/2	0.0890
22	25/3	0.0850
23	25/4	0.2430
24	35/2/1	0.0690
25	35/2/2/1	0.1390
26	35/2/2/2/1	0.0700
27	35/2/2/2/2	0.2810
28	35/3	0.0400
29	36/4/5	0.1000
30	36/4/2	0.1740
31	36/4/3	0.0910
32	36/4/4	0.1000
33	36/3	0.3150
34	36/5/1	0.0810
35	36/5/2	0.0810
36	36/6/1	0.0730
37	36/6/2	0.0690
38	36/8/1	0.0200
39	36/8/2	0.0200
40	36/9/2	0.1010
41	36/9/1	0.1010
42	36/11/2/2/2	0.2190
43	36/11/2/2/1	0.0540
44	36/11/2/1	0.1090
46	36/11/1	0.0550
47	36/13/2	0.0600

48	37/1	0.8100
49	20/1/1	0.0170
50	20/1/2	0.1370
51	20/1/3	0.1370
52	20/2/1	0.0610
53	20/2/2	0.0610
54	334/4/1	0.1500
55	334/3	0.4050
56	333/4/1/1/4	0.1940
57	334/4/2	0.1570
58	33/9/2	0.1720
	योग:-	10.6520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के मढ़ा माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।



क्र. 936-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- रोहनिया  
 (घ) क्षेत्रफल- 1.3800 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	21	0.0110
2	22	0.1820
3	44/1	0.0270
4	44/2	0.0270
5	45	0.1300
6	54	0.1660
7	55	0.1680
8	56	0.2090
9	57	0.0140
10	78/3	0.0100
11	79/1	0.1580
12	79/2	0.1580
13	79/3	0.1180
	योग:-	1.3800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा साइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 937-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- पिपरी  
 (घ) क्षेत्रफल- 2.3360 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	69/1/1/1	0.1260
2	70	0.0050
3	81	0.0050
4	82/1/2	0.0160
5	82/1/7	0.0500
6	83/1/2	0.0060
7	83/2/1	0.0820
8	83/2/1	0.0010
9	84/1/1	0.2050
10	85/1/1	0.0110
11	87/1/1/1	0.1440
12	86/1/1/1	0.0060
13	61/1/1/1	0.0840
14	18/1/1/1/1	0.1500
15	18/1/1/1/6	0.0060
16	15/1/1/1/1/1	0.0100
17	252/2/2	0.0160
18	253/2, 254	
20	253/1	0.0260

21	252/1/1/1	
22	88/1	0.0160
23	89/1	0.0010
24	61/2	0.1490
25	53/1/1	0.2550
26	53/2/2	0.0300
27	53/282	0.0060
28	54/1/1/1	0.0100
29	55	0.0020
30	49/2/1/1	0.1000
31	49/277/1/1	0.1650
32	48/2	0.0200
33	47/1/1	0.0630
34	47/2	0.1070
35	47/3	0.0940
36	46/1	0.0280
37	46/275/1/1/1	0.0290
38	17/1/1/1	0.2340
39	14/1/1/1/1/1/1	0.0630
40	18/1/1/1/9	0.0070
	योग:-	2.3360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बिकरा माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 938-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- रोहनिया  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.5170 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	15/2	0.0200
2	17	0.3100
3	20	0.5700
4	21	0.2150
5	37	0.2550
6	22	0.3900
7	23	0.0070
8	33/1	0.0980
9	38/2	0.0480
10	33/2	0.4980
11	38/1	0.0550
	योग:-	2.4660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 939-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर / ग्राम- खखरौंधा  
 (घ) क्षेत्रफल- 2.2120 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	6	0.2150
2	15	0.1100
3	16	0.0300
4	19	0.0590
5	20	0.0550
6	31/2	0.0100
7	30/1	0.1500
8	30/2/1/1/1/2	0.1350
9	30/2/1/1/2	0.1350
10	29/4	0.0900
11	203	0.0790
12	202/1/1	0.0300
13	202/1/2	0.0300
14	202/2	0.0790
15	201	0.1300
16	207/1/1	0.0050
17	207/2	0.1470

18	206/1	0.0090
19	206/2	0.1090
20	208/1	0.0080
21	209/1	0.2720
22	209/2	0.0660
23	210/1	0.0080
24	211/1/1	0.0220
25	211/2	0.0840
26	211/3/1	0.0420
27	211/3/2	0.0420
28	18	0.0010
29	205	0.0600
	योग:-	2.2120

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 940-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर / ग्राम- नौनिया  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.2960 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	18	0.0830
2	17	0.0040
3	16	0.0060
4	15	0.0080
5	2/1	0.0080
6	2/2	0.0200
7	3	0.0420
8	4	0.0080
9	1/1	0.1170
	योग :-	0.2960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 941-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर / ग्राम- भुलनी  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.3130 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकबा
1	70	0.0290
2	71	0.0250
3	74	0.1700
4	75	0.0110
5	76	0.0300
6	78	0.0480
	योग :-	0.3130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा सब माईनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।



क्र. 942-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- बूढ़ी  
 (घ) क्षेत्रफल- 2.1150 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	22	0.1470
2	25/1	0.1590
3	28/1	0.1760
4	31/1	0.3210
5	32/1	0.0170
6	32/2	0.0170
7	66/1	0.3270
8	69	0.0160
9	70	0.3220
10	71	0.0010
11	86	0.0580
12	73/1	0.0700
13	74/1/1	0.2840
14	75/1	0.0080
15	74/2	0.1920
	योग :-	2.1150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़ोहरा माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 943-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर / ग्राम- तिलौरा  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.5150 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	19/1/1	0.0350
2	20/1/1	0.0450
3	21	0.2510
4	35/2/1/1	0.1000
5	13/1/2/2	0.0730
6	14/2/2	0.0110
	योग:-	0.5150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा माइनर एवं विकरा माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 944-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम- बघाव उबारी

(घ) क्षेत्रफल- 2.2070 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	254/1	0.4220
2	256/1	0.0910
3	249	0.0900
4	63/1	0.2050
5	59	0.1760
6	60/1	0.0110
7	60/2	0.0050
8	251/2	0.2080
9	250	0.4690
10	251/1	0.2200
11	253/1	0.1150
12	263	0.0940
13	265/1	0.1010
	योग :-	2.2070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 945-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- हिनौता  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.5249 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	85/2	0.4149
2	86	0.1100
	योग:-	0.5249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 946-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- निजी खाता  
 (क) जिला - सतना  
 (ख) तहसील- नागौद  
 (ग) नगर /ग्राम- अतरौरा  
 (घ) क्षेत्रफल- 0.5170 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	65	0.0540
2	67	0.0830
3	70/1	0.0180
4	70/2	0.0180
5	70/3	0.0180
6	71/1	0.1530
7	105/1	0.0050
8	105/2	0.0800
9	105/3	0.0450
10	104	0.0430
	योग:-	0.5170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10-अ-82-23-24-भू-अर्जन-24-2335

सागर, दिनांक 15 मार्च 2024

मौजा परासरीकला पटवारी हल्का नं. 24 तहसील राहतगढ

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि/स्थावर परिसम्पत्तियां की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम :- बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं.
5. शासकीय भूमि पर निर्मित मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.) में -10181.5

सागर

राहतगढ

परासरीकला

24

:: अनुसूची ::

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	शासकीय	297	पंचमसिंह पिता रामलाल ठाकुर (अविवाहित)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	158.06	निरंक
				योग:-	158.06	
2	शासकीय	297	चैन सिंह पिता रामलाल (पत्नि संतोष रानी)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	16.82	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	4.02	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	3.13	
				झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी	3.58	
				योग:-	27.54	
3	शासकीय	297	राजेन्द्र पिता चैन सिंह (पत्नि सपना)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	16.82	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	4.02	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	3.13	
				झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी	3.58	
				योग:-	27.54	
4	शासकीय	297	कल्याण सिंह पिता चैनसिंह (पत्नि अमृता)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	16.82	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	4.02	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	3.13	
				झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी	3.58	
				योग:-	27.54	
5	शासकीय	297	दीपेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह (आविवाहित)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	16.82	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	4.02	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	3.13	
				झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी	3.58	
				योग:-	27.54	
6	शासकीय	297	नितिन पिता विन्नावन विश्वकर्मा (पत्नि साधना)	कच्चा कमरा ईट की चुनाई खपरैल	49.36	निरंक
				योग:-	49.36	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
7	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	प्रकाश विश्वकर्मा पिता मोहनलाल (पत्नि सरोज)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	27.68	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	3.71	
				कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली	8.13	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट	0.75	
8				निरंक	0.00	कल्याण पिता मोहनलाल पत्नि छोटीबाई
				योग:-	40.26	
9	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	वीरेन्द पिता प्रकाश विश्वकर्मा (आदिवाहित)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	27.68	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	3.71	
				कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली	8.13	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट	0.75	
				योग:-	40.26	
10	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	दीपक पिता प्रकाश विश्वकर्मा (आदिवाहित)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	27.68	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	3.71	
				कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली	8.13	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट	0.75	
				योग:-	40.26	
11	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	नर्मदा पिता रामरतन (पत्नि ज्योतिबाई)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	12.04	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	10.81	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	1.48	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	15.00	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	4.60	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	10.00	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	4.35	
				शौचालय पक्का W.C.	0.67	
				योग:-	58.95	
12	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रामकली बेवा रामरतन	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	12.04	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	10.81	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	1.48	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	15.00	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	4.60	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	10.00	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	4.35	
				शौचालय पक्का W.C.	0.67	
				योग:-	58.95	
13	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	मालतीबाई बेवा बलराम विश्वकर्मा	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.04	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.20	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	0.99	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	2.39	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.09	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.17	
				दहलान लकड़ी खपरैल	1.21	
				शौचालय पक्का W.C.	1.32	
				1 नलकूप		
				योग:-	36.41	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार मू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
14	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	नीरज पिता बलराम (पत्नि विन्दु श्री)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.04	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.20	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	0.99	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	2.39	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.09	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.17	
				दहलान लकड़ी खपरैल	1.21	
				शौचालय पक्का W.C.	1.32	
				योग:-	36.41	
15	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	दयाशंकर पिता बलराम (पत्नि संध्या)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.04	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.20	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	0.99	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	2.39	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.09	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.17	
				दहलान लकड़ी खपरैल	1.21	
				शौचालय पक्का W.C.	1.32	
				योग:-	36.41	
16	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	बुन्दावन पिता रामकिशन विश्वकर्मा (पत्नि मीराबाई)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	6.02	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	5.40	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	0.74	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	1.47	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	13.07	
				शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट	1.26	
				1 नलकूप		
				योग:-	27.96	
17	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	हरीशंकर पिता रामकिशन विश्वकर्मा (पत्नि गीता)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	6.02	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	5.40	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	0.74	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	1.47	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	13.07	
				शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट	1.26	
				योग:-	27.96	
18	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	आशाराम पिता रामकिशन विश्वकर्मा	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	6.02	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	5.40	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	0.74	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	1.47	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	13.07	
				शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट	1.26	
				योग:-	27.96	
19	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	प्रेमबाई बेवा रामकिशन	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	6.02	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	5.40	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	0.74	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	1.47	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	13.07	
				शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट	1.26	
				योग:-	27.96	



स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपडी/कच्चा/दिनसेढ/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी)	
1	2	3	4	5	6	7
20	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	सोहन सिंह पिता मूलचंद नन्हीबाई पति मूलचंद	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	117.36	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	30.69	
				गौशाला कच्ची लकड़ी छप्पर पन्नी	35.00	
				शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट	1.35	
				1 नलकूप		
				योग:-	184.40	
21	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	राजेन्द्र सिंह पिता रामेश्वर (पत्नि मायाबाई)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	22.03	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	55.54	
				गौशाला कच्ची लकड़ी टीन सेट	10.25	
				योग:-	87.82	
22	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	अक्षय पिता राजेन्द्र सिंह (पत्नि सुनीता दांगी)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	22.03	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	55.54	
				गौशाला कच्ची लकड़ी टीन सेट	10.25	
				योग:-	87.82	
23	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	धीरजसिंह पिता खुमानसिंग (पत्नि शिवबती)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	73.83	निरंक
				कच्ची गौशाला मिट्टी ईट छत खपरैल	61.20	
				पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत गाटर फर्शी	55.60	
				प्रथम तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत	55.60	
				द्वितीय तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत	23.60	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट चुनाई छत गाटर फर्शी	3.81	
				प्रथम तल शौचालय पक्का ईट सीमेंट चुनाई छत गाटर फर्शी	3.81	
				खुला लकड़ी टीन सेट	23.45	
				1 नलकूप		
				योग:-	300.9	
24	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	मिथलेश बेवा भारतसिंह	दहलान कच्ची मिट्टी ईट छत खपरैल	12.74	निरंक
				मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल	7.95	
				मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल	24.30	
				मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल	79.38	
				शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट	7.52	
				पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर	1.65	
				योग:-	133.54	
25	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रोहित पिता भारतसिंह (पत्नि सविता)	मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल	59.63	निरंक
				खुला लकड़ी टीन सेट	12.16	
					71.79	
26	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रामसिंह पिता फूलसिंह (पत्नि आजाद रानी)	दहलान कच्ची मिट्टी ईट छत खपरैल	12.74	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.96	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.95	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	85.32	
				शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट	7.52	
				पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर	1.65	
				योग:-	124.14	
27	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रविन्द्र सिंह ठाकुर पिता रामसिंह (पत्नि तुलसी दांगी)	मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल	43.00	निरंक
				मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल	6.90	
				योग:-	49.90	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी / कच्चा / टिनतेड / फर्सी / आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
28	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	शकुनबाई बेवा हुकमसिंह	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	68.06	निरंक
29				निरंक	0.00	रीतेश पिता हुकुमसिंह (पत्नि उपरासना दांगी)
				योग:-	68.06	
30	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	पंकज पिता खूबसीग (पत्नि सीमा)	मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल प्रथम तल	66.43	निरंक
				योग:-	66.43	
31	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	बलबंत पिता खूबसीग (पत्नि पार्वती)	मकान कच्चा मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी	66.43	निरंक
				योग:-	66.43	
32	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	खूबसीग पिता फूलसीग (पत्नि कुसुमराणी)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत लकड़ी	87.60	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत लकड़ी	57.15	
				योग:-	144.75	
33	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	शांतिबाई बेवा फूलसीग	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	72.60	निरंक
					72.60	
34	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रामनरेश पिता फूलसिंह (पत्नि ज्योति)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	117.60	निरंक
				कच्ची गौशाला मिट्टी ईट छत खपरैल	58.74	
				योग:-	176.34	
35	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रामेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह (पत्नि राधा)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	133.38	निरंक
				कच्ची गौशाला छत लकड़ी टीन सेट	21.84	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.96	
				शौचालय पक्का W.C.	2.03	
				योग:-	166.21	
36	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	सुरेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह (पत्नि गायत्री)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	92.16	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	182.19	
				शौचालय पक्का W.C.	4.00	
				1 नलकूप		
				योग:-	278.35	
37	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रामकेश पिता फूलसिंह (पत्नि जाग्रति)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	60.27	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	9.62	
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	2.88	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	8.32	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	12.34	
				शौचालय पक्का W.C.	1.49	
				योग:-	94.92	
38	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	दुर्गासिंह दागी पिता फूलसिंह (पत्नि सीमा)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	60.27	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	9.62	
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	2.88	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	8.32	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	12.34	
				शौचालय पक्का W.C.	1.49	
				योग:-	94.92	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार मू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्सी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
39	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	प्रेमनारायण पिता फूलसिंह (पत्नि लता)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	60.27	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	9.62	
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	2.88	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	8.32	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	12.34	
				शौचालय पक्का W.C.	1.49	
				योग:-	94.92	
40	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	बहादुरसिंह पिता फूलसिंह (पत्नि रचना)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	60.27	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	9.62	
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	2.88	
				कमरा	8.32	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	12.34	
				शौचालय पक्का W.C.	1.49	
				योग:-	94.92	
41	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	कमलरानी बेवा फूलसिंह	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	60.27	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	9.62	
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	2.88	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	8.32	
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	12.34	
				शौचालय पक्का W.C.	1.49	
				1 नलकूप		
योग:-	94.92					
42	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	मोतीसिंह पिता निर्भय	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	62.40	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	22.32	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	3.05	
				शौचालय पक्का W.C.	2.31	
योग:-	90.07					
43	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	मलखान सिंह पिता मोतीसिंह (पत्नि जुल्ली)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	62.40	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	22.32	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	3.05	
				शौचालय पक्का W.C.	2.31	
योग:-	90.07					
44	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह (पत्नि सत्यवती)	पक्का मकान ईट सीमेंट की चुनाई छत गाटर फर्सी	14.18	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी	24.03	
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	24.03	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.99	
योग:-	70.23					

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार मू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी / कच्चा / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
45	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	बलरामसिंह पिता भुजबल (पत्नि कुसुमरानी)	कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्शी	23.59	
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	23.59	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	22.53	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल	2.50	
46				निरंक	0.00	1. हेमंतकुमार पिता बलरामसिंह (पत्नि मीना)
47				निरंक	0.00	2. सुल्तान पिता बलरामसिंह (पत्नि मेघा)
				योग:-	72.20	
48	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	कुन्दनसिंह पिता भुजबल	कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्शी	23.59	निरंक
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	23.59	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	22.53	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल	2.50	
				योग:-	72.20	
49	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	अनिलसिंह पिता भुजबल (पत्नि मनोरमा)	कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्शी	23.59	निरंक
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	23.59	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	22.53	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल	2.50	
				योग:-	72.20	
50	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	जागबेन्द्र सिंह पिता भुजबल (पत्नि शबनम)	कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्शी	23.59	निरंक
				प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	23.59	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	22.53	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल	2.50	
				योग:-	72.20	
51	शासकीय (घारागाह)	164	सुग्रीमसिंह पिता भुजबल	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	97.01	निरंक
				कच्ची दहलान खुली थुनिया लकड़ी खपरैल	30.73	
				कच्ची दहलान खुली थुनिया लकड़ी खपरैल	16.54	
				कच्ची दहलान खुली थुनिया लकड़ी खपरैल	16.54	
				कच्चा कुआ		
				योग:-	160.82	
52	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	निरंजनसिंह पिता नारायण सिंह (पत्नि अनीता)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	66.89	निरंक
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल	1.45	
				योग:-	68.34	
53	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	गोविंद सिंह पिता नारायण (आविवाहित)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	66.89	निरंक
				योग:-	66.89	
54	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	आकाशसिंह पिता शिवराज दांगी (आविवाहित)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	66.89	निरंक
				योग:-	66.89	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
55	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	कृष्णा देवी बेवा नारायण	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	66.89	निरंक
56				निरंक	0	1. प्रहलादसिंह पिता नारायण (पत्नि वर्षा)
				योग:-	66.89	
57	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	मजबूत सिंह पिता रामलाल दांगी (पत्नि रूपरानी)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	50.46	निरंक
				योग:-	50.46	
58	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	राजकुमार पिता मजबूत सिंह (पत्नि लिजा)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	50.46	निरंक
				योग:-	50.46	
59	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रामबाबू पिता मजबूत सिंह (पत्नि गायत्री)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	50.46	निरंक
				योग:-	50.46	
60	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	सौरभ कुमार पिता प्रेम सिंह (पत्नि संध्या दांगी)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	114.35	निरंक
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत आर सी सी	1.70	
				योग:-	116.05	
61	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	माखनसिंह पिता महतापसिंह (पत्नि राजकुमारी)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	22.56	निरंक
				कच्ची दहलान खुली धुनिया लकड़ी खपरैल	13.68	
				कच्ची दहलान खुली धुनिया लकड़ी खपरैल	10.32	
				कच्ची दहलान खुली धुनिया लकड़ी खपरैल	7.10	
				योग:-	53.66	
62	शासकीय (चारागाह)	274	गुडडी बाई बेवा रामचरण	कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर खपरैल	4.12	निरंक
				कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर खपरैल	14.85	
				कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर खपरैल	13.31	
				कमरा पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छप्पर खपरैल	8.39	
				दहलान कच्ची ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर टीन सेट	4.58	
				शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट	2.43	
					योग:-	
63	शासकीय (आबादी गांवठान)	261	विक्रम सिंह पिता रामचरण (पत्नि नंदिनी)	कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर खपरैल	4.12	निरंक
				कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर खपरैल	14.85	
				कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर खपरैल	13.31	
				कमरा पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छप्पर खपरैल	8.39	
				दहलान कच्ची ईट मिट्टी जुड़ाई छप्पर टीन सेट	4.58	
				शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट	2.43	
					योग:-	
64	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	बृजलाल पिता देवीसींग (पत्नि दुर्गाबाई)	कमरा पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत गाटर फर्शी	15.56	निरंक
				प्रथम तल मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	15.56	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत आर सी सी	2.61	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	6.50	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	17.22	
				योग:-	57.45	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
65	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	नारायणसिंह पिता चंदनसिंह	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत टीन सेट	28.62	निरंक
				कच्चा टीन सेट लकड़ी	3.90	
				शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट	2.88	
				योग:-	35.40	
66	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	पूरनसिंह पिता चंदन (पत्नि सुहागरानी)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	74.89	निरंक
				कच्ची नहानी मिट्टी ईट छत खपरैल	1.74	
				योग:-	76.63	
67	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	मलखानसींग पिता पूरनसींग (पत्नि जानकी बाई)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	74.89	निरंक
				कच्ची नहानी मिट्टी ईट छत खपरैल	1.74	
				योग:-	76.63	
68	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	हरधरण पिता मोहन (पत्नि विमलाबाई)	कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.17	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	27.93	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.13	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	5.88	
				टीन सेट लकड़ी	5.40	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	6.86	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी	1.34	
				योग:-	62.71	
69	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	बालकृष्ण पिता मोहन (पत्नि राजकुमारी)	कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.17	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	27.93	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.13	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	5.88	
				टीन सेट लकड़ी	5.40	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	6.86	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी	1.34	
				योग:-	62.71	
70	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	गनेश पिता मोहन (पत्नि भागवती)	कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	8.17	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	27.93	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	7.13	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	5.88	
				खुला टीन सेट लकड़ी	5.40	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	6.86	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी	1.34	
				योग:-	62.71	
71				निरंक	0.00	1. राजकुमार पिता मोहन (पत्नि कुसुमरानी)
72				निरंक	0.00	2. राकेश पिता राजकुमार(पत्नि भारती)
73	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	बुन्देल सिंह पिता बारेलाल (पत्नि राजबाई)	पक्का मकान ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट	43.65	निरंक
				कच्ची लकड़ी पत्नी झोपड़ी	27.16	
				पानी की टैंकी ईट सीमेंट की चुनाई	3.92	
				योग:-	74.73	
74	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	भागवर्धन सिंह पिता बुंदेलसींग (पत्नि मोनिका)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	87.50	निरंक
				पक्की गैरेज ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल	10.60	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	12.35	
				टीन सेट लकड़ी	12.11	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी	2.87	
				1 मलकूप		
योग:-	125.43					

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
75	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	शंकर सिंह पिता बुदेलसिंग (पत्नि स्वाती)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	87.50	निरंक
				पक्की गैरेज ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल	10.60	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	12.35	
				टीन सेट लकड़ी	12.11	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी	2.87	
				योग:-	125.43	
76	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	रामसिंह पिता देवीसिंह (अविवाहित)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	13.58	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.11	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	0.72	
				योग:-	25.42	
77	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	फूलरानी बेवा देवीसिंह	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	13.58	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.11	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	0.72	
				योग:-	25.42	
78	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	हरनाम सिंह पिता देवीसिंह (अविवाहित)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	13.58	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.11	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	0.72	
				योग:-	25.42	
79	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	लखन पिता देवीसिंह (अविवाहित)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	13.58	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.11	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	0.72	
				योग:-	25.42	
80	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	विक्रमसिंह पिता उधमसिंह (पत्नि बैजतीबाई)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.70	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	10.95	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	1.58	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी	5.27	
				योग:-	29.51	
81	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	उधमसिंह पिता भागीरथ (पत्नि सुहागरानी)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.70	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	10.95	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	1.58	
				योग:-	24.23	
82	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	प्रतापसिंह पिता भागीरथ (अविवाहित)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.70	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	10.95	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	1.58	
				योग:-	24.23	
83	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	उदयसिंह पिता भागीरथ (अविवाहित)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.70	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	10.95	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	1.58	
				योग:-	24.23	
84	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	राजीवसिंह पिता उधमसिंह ठाकुर (पत्नि सुगंधी)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	11.70	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	10.95	
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	1.58	
				योग:-	24.23	
85	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	राजाराम पिता भागीरथ (अविवाहित)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	70.35	निरंक
				योग:-	70.35	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
86	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	शोभासानी बेवा सूर्यप्रकाश, अजय पिता सूर्यप्रकाश (पत्नि सीता) अजय पिता सूर्यप्रकाश (अविवाहित) सीता पत्नि अजय अयुष्मान पिता अजय (अविवाहित)	टीन सेट	29.41	निरंक
				टीन सेट	16.45	
				टीन सेट	13.23	
				टीन सेट	277.75	
				टीन सेट	111.24	
				टीन सेट	73.13	
				टीन सेट	81.27	
				आर बी सी W.C.	8.10	
				पक्का आर सी सी	71.21	
				पानी की टंकी	2.07	
				मकान भूतल आर बी सी	60.42	
				मकान भूतल आर बी सी	43.47	
				मकान प्रथम तल आर सी सी	60.42	
				मकान प्रथम तल आर सी सी	43.47	
				मकान द्वितीय तल आर सी सी	25.60	
				W.C.	7.56	
				PCC	4.10	
				Boundary wall brick	7.75	
Boundary wall ston	40.77					
गोबर गोस	12.32					
नलकूप 2						
योग:-	989.71					
87	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	राजेन्द्र पिता रामनारायण (पत्नी रागनी)	मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत छीनसेट	46.50	निरंक
				पक्का शौचालय आर बी सी	2.10	
				पक्का शौचालय टीन सेट	8.82	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	30.36	
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	124.10	
				पक्का मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर बी सी	60.48	
				प्रथम तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत आर बी सी	60.48	
				द्वितीय तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत आर बी सी	31.36	
	364.19					
88	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	जितेन्द्र पिता रामनारायण (पत्नि सुधा)	मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	16.20	निरंक
				मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	12.15	
				मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	32.31	
				मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	26.62	
				दहलान पक्की ईट की चुनाई छत खपरैल	13.50	
				मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी	31.79	
				आगन पी सी सी	6.17	
				बाउण्ट्री पक्की ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर	2.40	
	141.13					



स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार मू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी/कच्चा/टिनसेड/फर्सी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
89	शासकीय (आबादी गांवठान)	248	मिथलेश बेवा रामनारायण	मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई आर वी सी	71.75	निरंक
				पक्का शौचालय छत आर वी सी	4.15	
				पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर	3.26	
				शौचालय पक्का WC	2.16	
					<b>81.32</b>	
90	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	दुर्गसिंग पिता भुगतसिंग (पत्नि ममताबाई)	कच्चा कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत खपरैल	22.12	निरंक
				कच्चा कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	12.48	
				कच्चा कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	16.10	
				<b>योग:-</b>	<b>50.70</b>	
91	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	छोटेलाल पिता भुगतसिंग (पत्नि संधारानी)	कच्चा कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत खपरैल	22.12	निरंक
				कच्चा कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	12.48	
				कच्चा कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	16.10	
				<b>योग:-</b>	<b>50.70</b>	
92	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	सरदारसिंह पिता मोहन (पत्नि हुकुमबाई फौत)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	86.58	निरंक
				लकड़ी टीन सेट	13.26	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर वी सी	1.54	
				1 नलकूप		
				<b>योग:-</b>	<b>101.38</b>	
93	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	मूपेन्द्र सिंह दांगी पिता सरदारसिंह (पत्नि कल्पना)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	86.58	निरंक
				लकड़ी टीन सेट	13.26	
				<b>योग:-</b>	<b>99.84</b>	
94	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	देवीसिंग पिता सरदारसिंग (पत्नि विमलेश)	मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई खपरैल	97.20	निरंक
				कच्चा कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट एवं लोहा पाईप	22.57	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर वी सी	4.73	
				<b>योग:-</b>	<b>124.50</b>	
95	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	गनपत पिता सरदार (पत्नि रेखाबाई)	कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	50.77	निरंक
				पक्का कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर वी सी	27.72	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर वी सी	4.80	
				पक्का फर्स पी सी सी	2.53	
				पक्की बाजंड़ी ईट सीमेंट चुनाई व प्लास्टर	1.08	
				पक्की बाजंड़ी ईट सीमेंट चुनाई व प्लास्टर	1.05	
				<b>योग:-</b>	<b>87.95</b>	
96	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	जगतसिंह पिता प्रहलाद (पत्नि संगीता)	मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई खपरैल	68.55	निरंक
				कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई खपरैल	11.86	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत फर्सी	2.37	
				पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर	0.65	
				<b>योग:-</b>	<b>83.42</b>	

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	
				झोपडी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)		
1	2	3	4	5	6	7	
97	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	प्रहलाद पिता मोहन (पत्नि राधारानी)	मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई खपरैल	68.55	निरंक	
				कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई खपरैल	11.86		
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत फर्शी	2.37		
				1 नलकूप	0.00		
98				निरंक	0.00	निरंजन पिता प्रहलाद (आविवाहित)	
				योग:-	82.77		
99	शासकीय (चारगाह)	164	शेर सिंह पिता रामेश्वर (पत्नि सरोजबाई)	कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी	13.11	निरंक	
				कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत खपरैल	39.00		
				कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	30.55		
				गौशाला मिट्टी ईट छत टीन सेट	6.78		
	शासकीय (आबादी गांवठान)	248			पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट		6.12
					कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल		22.03
					कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल		55.54
				योग:-	173.12		
100	शासकीय (चारगाह)	164	वीरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह (पत्नि बंदना दांगी)	कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी	13.11	निरंक	
				कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत खपरैल	39.00		
				कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	30.55		
				गौशाला मिट्टी ईट छत टीन सेट	6.78		
				वाउड़ी पक्की ईट सीमेंट की चुनाई एवं विना प्लास्टर	5.28		
				1 पक्का कुआ			
				योग:-	94.72		
101	शासकीय (चारगाह)	164	लखन पिता हुकमसिंह (पत्नि लक्ष्मी दांगी)	मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी	39.59	निरंक	
				कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल	130.94		
				दहलान पक्की ईट की चुनाई छत खपरैल	24.98		
				गौशाला कच्ची छत लकड़ी टीन सेट	48.36		
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	3.42		
				योग:-	247.28		
102	शासकीय (आबादी गांवठान)	179	छोटेसिंह पिता निर्मयसिंह (पत्नि लीलाबाई)	कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल	153.53	निरंक	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	4.53		
				1 नलकूप			
				योग:-	158.06		
103	शासकीय (आबादी गांवठान)	178	रनवीरसिंह पिता मोतीसिंह (पत्नि रूपाली)	कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल	67.80	निरंक	
				कच्ची दहलान लकड़ी खपरैल	27.00		
				कच्ची दहलान लकड़ी खपरैल	11.51		
				योग:-	106.31		

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार नू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपडी/कच्चा/टिनसेड/फर्शी/आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
104	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	प्रभाबाई बेवा निर्मल	कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल	11.61	निरंक
				कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल	21.83	
				कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल	35.10	
				दहलान ईट की चुनाई छत खपरैल	13.44	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत खपरैल	2.16	
योग:-				84.14		
105	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	चंद्रकांतसिंह पिता राजकुमार (आविवाहित)	कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत टीन सेट	23.81	निरंक
				कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल	16.97	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	0.96	
योग:-				41.74		
106	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	अमरसींग पिता गन्धर्व सींग * (पत्नि रामकली)	पक्का कमरा ईट सीमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी	20.10	निरंक
107				निरंक	निरंक	अमितसिंह पिता अमरसींग (पत्नि बैशाली)
योग:-				20.10		
108	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	प्रेमसिंह पिता महतापसिंह (पत्नि रामकली)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	22.56	निरंक
				कच्ची दहलान खुली थुनिया लकड़ी खपरैल	13.68	
				कच्ची दहलान खुली थुनिया लकड़ी खपरैल	10.32	
				कच्ची दहलान खुली थुनिया लकड़ी खपरैल	7.10	
योग:-				53.66		
109	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	मोतीलाल पिता मोहन (पत्नि लहर बाई)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	31.36	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	6.41	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	5.88	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत फर्शी	3.45	
योग:-				47.10		
110	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	हरिशंकर पिता मोतीलाल * (पत्नि ममता)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	31.36	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	6.41	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	5.88	
योग:-				43.65		
111	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	राजेश पिता मोतीलाल (पत्नि कमलेश)	कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	31.36	निरंक
				कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल	6.41	
				कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल	5.88	
योग:-				43.65		

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	खसरा नंबर	मकान धारक का विवरण	अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
				झोपड़ी / कच्चा / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी	मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)	
1	2	3	4	5	6	7
112	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	शीलाबाई बेवा भोगीराम	पक्का मकान ईट सीमेंट छत आर सी सी	16.42	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	43.65	
				पक्का शौचालय ईट सीमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट	1.32---	
				पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर	0.33	
				योग:-	61.72	
113	शासकीय (आबादी गांवठान)	176	रामकृष्ण पिता भोगीराम (पत्नि नेहा)	पक्का मकान ईट सीमेंट छत आर सी सी	16.42	निरंक
				कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल	43.65	
				योग:-	60.07	
114	शासकीय (चारगाह)	274	हनुमान मंदिर	आर सी सी पक्का	18.49	
				पक्का फर्स टीन सेट	109.18	
				दूसरा फर्स आर सी सी	8.91	
				योग:-	136.58	
115	जनपद विकासखंड राहतगढ प्राथमिक शाला परासरी कला पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	271	शासकीय प्राथमिक शाला परासरी कला	पक्का कमरा आर सी सी	122.59	
				पक्का कमरा आर सी सी	38.35	
				पक्का कमरा आर सी सी	59.29	
				पक्का कमरा आर सी सी	40.80	
				पक्का कमरा आर सी सी	23.31	
				पक्का कमरा आर सी सी	94.25	
				पक्का कमरा आर सी सी	29.00	
				योग:-	407.59	
116	जनपद विकासखंड राहतगढ प्राथमिक शाला परासरी कला पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	271	शासकीय माध्यमिक शाला परासरी कला	पक्का कमरा आर सी सी	58.91	
				पक्का कमरा आर सी सी	122.40	
				पक्का कमरा खपरैल	82.50	
				पक्का कमरा आर सी सी	66.60	
				पक्का शौचालय आर वी सी	13.69	
				पक्का शौचालय आर वी सी	7.56	
				पक्का टीन सेट	17.64	
				पक्का कुआ		
				दृयुवेल 1		
				योग:-	369.36	
				कुल योग:-	10181.50	

परियोजनांतर्गत म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंवाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

**(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु:-**

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रुपये 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू द्यूबवेल होने की दशा में रुपये 1 (एक) लाख प्रति द्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं वाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा

ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रु. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

(iii) परिवार से आशय है :- (i) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

अथवा

परियोजनांतर्गत पुनर्वास आयुक्त महोदय, (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत निम्नानुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है।

(द) अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/सुविधायें दी जावेगी।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (7) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (8) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अरवेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (ई) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (1) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी, और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।
- (9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

- (10) स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- 14 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र -
- (16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (17) बच्चों के लिए कीड़ा क्षेत्र
- (18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (21) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (22) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील राहतगढ़ के ग्राम दाउतपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 4, 6/1, 9, 11, 59 का रकवा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7.27, 6.38 का कुल रकवा 44.93 हे. में से 44.91 हेक्टेयर रकवा बीना सिंचाई परियोजना से संबंधित पुनर्विस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक-4511/री.कले./2011 सागर दिनांक 04/06/2011 द्वारा आवंटित की गई है। बीना सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5X20 वर्गमीटर का आवासीय भू-खण्ड मौजा दाउतपुर की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (23) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दरतावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (24) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ..... 24/4/2024 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 245-भू-अर्जन-2023

रीवा, दिनांक 7 मार्च 2024

**“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना”**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम-ककरैला, राजस्व निरीक्षक मण्डल-त्योंथर, पटवारी हल्का-कैथी पचकठा, तहसील-त्योंथर, जिला-रीवा, रीवा जिले के ककरैला कैथी से नेगुरा मार्ग में सुकाढ़ नदी (नेगुराघाट) पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन					
(क) जिला	-	रीवा (म.प्र.)	(ख) तहसील	-	त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम	-	ककरैला	(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	2.034 हेक्टेयर

खसरा एवं रकबा का विवरण								
क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. मे)	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. मे)	क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. मे)
1	413/1/1	0.456	8	395	0.096	15	408/2	0.138
2	414	0.168	9	396	0.056	16	389	0.076
3	416	0.048	10	390	0.080	17	383/2	0.014
4	417/2	0.192	11	385	0.032	18	394/2	0.104
5	419/2	0.134	12	386	0.041	19	394/3	0.152
6	407	0.046	13	415	0.125	20	394/4	0.024
7	406	0.032	14	408/1	0.020	कुल योग 20 कित्ता		2.034 हे.

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- रीवा जिले के ककरैला कैथी से नेगुरा मार्ग में सुकाढ़ नदी (नेगुराघाट) पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 263-भू-अर्जन-2023

सिंगरौली, दिनांक 28 फरवरी 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद 2 में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है।

### अनुसूची

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु।
- (2) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला :- सिंगरौली
- (ख) तहसील :- चितरंगी
- (ग) ग्राम :- खम्हरियाकला 0069
- (घ) लगभग क्षेत्रफल :- निजी रकबा 6.011 हे०

क्र०	भूमिस्वामी/पिता/पति का नाम व पता	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अर्जित रकबा (हे० में)	टिप्पणी
1	तेजभान पिता लालशाह सिंह जाति गोड़	211/2	0.210	0.190	निजी
2	हीरालाल पिता बाबूलाल जाति गोड़	211/3	0.310	0.280	निजी
3	कमलभान सिंह पिता हरिवंश सिंह जाति गोंड़	213/2	0.500	0.410	निजी

4	द्वारिका प्रसाद पिता छोटकू आनन्द पिता महेन्द्र, जग्यनारायण पिता ददई, रामधनी पिता नर्मदा, बेलसिया पुत्री नर्मदा, रामगरीब पिता नर्मदा, रोहला पिता नर्मदा, रजरनिया बेवा नर्मदा, वासुदेव पिता बद्री, नागेश्वर प्रसाद पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, समयलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, लक्ष्मीनारायण पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, छोटेलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया	223	0.290	0.070	निजी
5	बल्लू सिंह पिता उदल सिंह जाति गोंड	257	0.080	0.030	निजी
6	हरिवंश पिता मीरू जाति गोंड	272	0.210	0.020	निजी
7	गुलाब पिता जेटू जाति कोल	275	1.210	0.720	निजी
8	द्वारिका प्रसाद पिता छोटकू आनन्द पिता महेन्द्र, जग्यनारायण पिता ददई, रामधनी पिता नर्मदा, बेलसिया पुत्री नर्मदा, रामगरीब पिता नर्मदा, रोहला पिता नर्मदा, रजरनिया बेवा नर्मदा, वासुदेव पिता बद्री, नागेश्वर प्रसाद पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, समयलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, लक्ष्मीनारायण पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, छोटेलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया	342	0.180	0.050	निजी
9	गुलाब पिता जेटू जाति कोल	401	0.340	0.220	निजी
10	रामविशाले पिता मेहीलाल, रामलाल पिता मेहीलाल, छोहगी बेवा मेहीलाल जाति गोंड	402	0.100	0.050	निजी
11	वंशधारी पिता गोल्हे जाति कोल	407/2	0.500	0.140	निजी
12	गुलाब पिता जेटू जाति कोल	408	0.020	0.020	निजी
13	रामनिश्चय पिता कृपाल कुशवाहा	410	1.210	0.030	निजी
14	तुलसीदास पिता रोहणी प्रसाद जाति बानी	463	0.480	0.005	निजी
15	बलई कोल पिता छोटई जाति कोल	489	0.910	0.910	निजी
16	निधि पाठक पति नवीन पाठक अनुराग यादव पिता ताकेश्वर प्रसाद यादव शिवकुमार यादव पिता केदारनाथ यादव राजकुमार यादव पिता केदारनाथ यादव बैजनाथ यादव पिता जगन्नाथ यादव	490/3	0.620	0.370	निजी

	शिवकुमार यादव पिता लालजी यादव				
	पवन कुमार यादव पिता गजरूप यादव				
	अजीत यादव पिता गजरूप यादव				
	राजकुमार यादव पिता गजरूप यादव				
	शिवकुमार पिता रामाधार पटेल				
	विमला पिता रामाधार पटेल				
	मोहित कुमार पिता ताकेश्वर प्रसाद यादव				
	दयाराम यादव पिता राजाराम यादव				
	दीपक कुमार यादव पिता कामता प्रसाद यादव				
	एस पी कृष्णा पिता सीता प्रसाद यादव				
	अजय कुमार यादव पिता शिवकुमार यादव				
	रमेश कुमार यादव पिता बृजप्रताप यादव				
	प्रवीण कुमार तिवारी पिता राघव प्रसाद तिवारी				
	प्रणव यादव नाबालिग पिता देवीदीन यादव संरक्षक नीलम यादव पत्नी देवीदीन यादव				
	प्रद्युम यादव नाबालिग पिता देवीदीन यादव संरक्षक नीलम यादव पत्नी देवीदीन यादव				
	उत्कर्ष कुमार पाण्डेय पिता राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय				
	धनरजुआ पति गजरूप यादव				
	गजरूप यादव पिता लालू यादव				
	प्राविन्श कुमार पाण्डेय पिता आगमानंद पाण्डेय				
17	राजनारायण पिता रामदुलारे, रत्नावली यादव पिता वंशरूप ग्वाल, रामकली पति देवनारायण, जग्यलाल पिता देवनारायण, अजय पिता देवनारायण, सुजीत पिता देवनारायण, अंजू पुत्री देवनारायण, हंशराजू पति वंशरूप यादव, सख्यसांची यादव नाबालिग पिता वंशरूप ग्वाल संरक्षक भावना यादव पिता वंशरूप ग्वाल	498/1	2.010	1.050	निजी
18	धर्मजीत पिता बुधई यादव	498/2	0.410	0.090	निजी

19	गजरूप पिता लालू धनरजूआ पति गजरूप यादव	498/3	0.080	0.040	निजी
20	दिग्विजयनाथ पिता मौहरराम जाति ब्रा.	501/1	0.765	0.360	निजी
21	जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पिता अमरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी	501/2/1/1/2	0.030	0.030	निजी
22	देवेन्द्रनाथ चतुर्वेदी पिता हीरामणि चतुर्वेदी	501/2/1/2	0.645	0.030	निजी
23	खुशबू चतुर्वेदी पति अजीत चतुर्वेदी	501/2/2	0.030	0.020	निजी
24	शिवदास पिता जगपति यादव	502	0.410	0.120	निजी
25	गजरूप पिता लालू धनरजूआ पति गजरूप यादव जाति अहिर	502/2	0.090	0.030	निजी
26	नितीश कुमार पिता त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, वरूणधर द्विवेदी पिता कामतानाथ धर द्विवेदी, अतुल धर द्विवेदी पिता दिनेश धर द्विवेदी, आशीष धर द्विवेदी पिता पुष्पराम धर द्विवेदी, संदीप धर द्विवेदी पिता राजकिशोर धर द्विवेदी, उमाकान्त पिता सच्चिदानंद जाति ब्रा.	1031	1.690	0.050	निजी
27	मणिराज पिता मनोहर साकेत जाति चमार	1126/1246	0.260	0.136	निजी
28	बूटल पिता लालमणि सिंह, धर्मराज पिता राजकरन सिंह, फूलमती सिंह पिता लालमणि सिंह, सुखरजवा पत्नी लालमणि जाति गोंड राजकरन सिंह पिता ददई सिंह जाति गोंड	1133	0.580	0.540	निजी
निजी पट्टे की भूमि का योग -		28 कित्ता	14.170	6.011	

चूंकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे० भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है। अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय हैं।

क्र. 265-भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है।

## अनुसूची

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-  
 (2) भूमि का वर्णन-  
 (क) जिला :- सिंगरौली  
 (ख) तहसील :- चितरंगी  
 (ग) ग्राम :- झोखो 0068  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल :- निजी रकबा 3.054 हे०

सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु।

क्र०	भूमिस्वामी/पिता/पति का नाम व पता	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अर्जित रकबा (हे० में)	टिप्पणी
1	गमधनी पिता मोनई जानि तेली	264	0.100	0.004	निजी भूमि
2	इपा माहू पति धनिवेश माहू	196/1/1	0.130	0.130	निजी भूमि
	राज कुमार माहू पिता जमुना माहू				
	निर्मला माहू पति पवन कुमार साहू				
	निशा माहू पिता आशीष कुमार साहू				
	राजेश कुमार माहू पिता लख्खू साहू				
	भूपेंद्र पिता छोटेलाल साहू				

	गौंगंगा माहू पिता जमुना दाम माहू				
	राहुल प्रमाद माहू पिता सुदामा माहू				
	हरिदर्शन कुमार पिता लल्लू प्रमाद साहू				
	पूजा माहू पुत्री जमुना प्रसाद साहू				
3	यशोद्री साहू पिता रामदरस साहू	196/1/2	0.140	0.140	निजी भूमि
	रामदरस साहू पिता जगनाथ साहू				
	अजय सिंह चौहान पिता महेंद्र प्रताप सिंह चौहान				
	सुनीता मिह पति उपेंद्र मिह				
	स्वधा मिह पुत्री उपेंद्र मिह				
	उपेंद्र मिह पिता राजप्रताप मिह				
4	अर्पित कुमार सिंह पिता अनिल कुमार सिंह	196/2	0.140	0.140	निजी भूमि
	शिवेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह				
	देवांशु सिंह पिता विपिन बहादुर सिंह				
	नीलेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह				
	जितेन्द्र सिंह बघेल पिता जनकराज सिंह बघेल				
	मोतीलाल माहू पिता देवशरण माहू				
	मिथिला शरण शाह पिता मोतीलाल शाह				
	जीना देवी पति मोतीलाल साहू				
	प्रवीण कुमार तिवारी पिता राघव प्रसाद तिवारी				
	कीर्तिन्द्र माहू पिता राजलाल शाह				
	यशोद्री साहू पिता रामदरस साहू				
5	शिवपति पिता रामेश्वर जाति तेली	262/1/1	0.050	0.050	निजी भूमि
	रामपती पिता रामेश्वर जाति तेली				
6	सवाईलाल माहू पिता शिवपती प्रियंका पुत्री मन्नाईलाल राजकुमार पिता मन्नाईलाल राहुल कुमार पिता मन्नाईलाल माहू दोनो नावा बली मंग . पिता सवाईलाल पिता शिवपती माहू जाति तेली	262/1/3	0.070	0.070	निजी भूमि
7	शिवपती पिता रामेश्वर	265	0.110	0.110	निजी

	शंकर प्रसाद साहू पिता रामनाथ साहू				भूमि
	मानमनी पत्नी सवाईलाल साहू				
	बिटोल पत्नी मुदामा साहू				
	रानी पिता ईश्वरदीन				
	रामपती पिता रामेश्वर				
	अर्चना पति रामबिलास साहू				
8	इंद्रभान साहू पिता राजबहोर साहू				
	निर्मला साहू पति पवन कुमार साहू				
	श्यामलाल साहू पिता राजबहोर साहू	263	0.400	0.290	निजी भूमि
	धनराजुआ पति राजबहोर साहू				
	अनीता साहू पति उदयभान साहू				
	रामधनी साहू पिता सोनई साहू				
9	सन्तबहादुर सिंह पिता चन्द्रवली सिंह				
	शिवपति पिता रामेश्वर साहू	261/1/1	0.100	0.100	निजी भूमि
	राममनोहर पिता शिवकुमार साहू				
	रामपति पिता रामेश्वर साहू				
10	राजकुमार साहू पिता राजेन्द्र प्रसाद साहू	261/1/2	0.010	0.010	निजी भूमि
11	मुदमा साहू पिता शिवपति साहू अभिषेक कुमार पिता मुदामा साहू अमित कुमार पिता मुदामा साहू दोनो नाबा. वली संर. वली मुदामा पिता शिवपति साहू जाति तेली	261/1/3	0.080	0.080	निजी भूमि
12	सवाईलाल साहू पिता शिवपती प्रियंका पुत्री सवाईलाल राजकुमार पिता सवाईलाल राहुल कुमार पिता सवाईलाल साहू दोनो नाबा. वली संर. पिता सवाईलाल पिता शिवपती साहू जाति तेली	261/1/4	0.010	0.010	निजी भूमि
13	मोनु साहू पत्नी आदेश कुमार साहू				
	रामबिन्दास पिता रामपती				
	मंदाप नाथानिग पिता रामबिन्दास साहू मंरक्षक रामपति साहू	261/2	0.090	0.090	निजी भूमि
	मुन्दर साहू पिता विश्वनाथ साहू				

14	गीमा पिता रामबिनाम गाह				
	रामन पिता रामबिनाम गाह				
	कौशिन्या पिता रामखेलावन पटेल				
	रमन सिंह पिता प्रभाकर सिंह				
	केशव पिता सुरेश पटेल				
	श्यामकली देवा सुरेश पटेल				
	कल्याना पिता सुरेश पटेल				
	खुशी पिता सुरेश पटेल				
	लक्ष्मी पति नारायण पटेल				
	शिवशंकर पिता नारायण पटेल				
	मन्तोप पिता नारायण पटेल				
	विमलेश पिता नारायण पटेल				
	अर्जुन पिता नारायण पटेल				
	दिनेश पिता नारायण पटेल				
	अनीता पिता नारायण पटेल	260	0.400	0.400	निजी भूमि
	पुष्पेन्द्र पिता वृजमोहन प्रसाद मिश्रा				
	मनरजूधा पति रामनारायण गुप्ता				
	ब्रवली पति दिनेश कुमार गुप्ता				
	उर्मिला पति दीनदयाल गुप्ता				
	वीरेंद्र कुमार गुप्ता पिता रामनारायण गुप्ता				
	अनवरु पटेल पिता छोटेलाल पटेल				
	विमल कुमार मिश्रा पिता राजभानु मिश्रा				
	जानकी पति मन्तोप पटेल				
	कमलेश पिता हीरालाल पटेल				
	श्यामकली पिता रामाधर पटेल				
	नीतू तिवारी पति नवीन कुमार तिवारी				
रमाशंकर शुक्ला पिता रामप्रसाद शुक्ला					



अतुल पिता मृगेन्द्र जाति क्षत्रिय				
आशा पत्नी शिवशंकर पटेल				
दिनेश पिता गरजू प्रसाद सोनी				
प्रजवन्त सिंह पिता मंजीव सिंह				
वृजेश पिता गरजो माझी				
गमानुज पिता सरजू केवट				
प्रदीप पिता बुद्धिमान माझी				
गंजू पटेल पिता गणेश प्रसाद पटेल				
कमला सिंह पुत्री नवल सिंह				
नारायण पिता रामप्रकाश पटेल				
शंभुमणि पिता बुद्धमेन पटेल				
सनीता पुत्री रुद्रशरण वर्मा				
सुरेश प्रसाद पटेल पिता राममिया पटेल				
अनीन कुमार माझी पिता बुद्धिमान माझी				
फुलवली देवी पति राजेश केवट				
प्रभा कुमारी माझी पति बुद्धिमान				
सोनिता तिवारी पिता रमेशचन्द्र तिवारी				
निर्मलिया पटेल पति अर्जुन पटेल				
धीरेन्द्र निद्र चौहान पिता मूखन सिंह चौहान				
विनय मिश्रा पिता राजभानु मिश्रा				
पंचज सिंह ब्रधन पिता चित्रमादित्य सिंह				
सतोप कुमार पाण्डेय पिता वृजेश कुमार पाण्डेय				
प्रिया सोनी पिता दिनेश प्रसाद सोनी				
रजनीश कुमार पाण्डेय पिता वृजेश कुमार पाण्डेय				
मावित्री पत्नी विमलेश पटेल				
माधना पत्नी दिनीप कुमार द्विवेदी				

15

शिवपति साहू पिता रामेश्वर साहू

रन्नु साहू पत्नी रामनरेश

विजय कुमार पिता बंशमणि साहू

विरजिया पति रामपती

शिवाशु निवारी पिता प्रकाशनारायण निवारी

निखर निवारी पिता रमेशचंद्र निवारी

रामपति पिता रामेश्वर साहू

मणिगुणधर द्विवेदी पत्नी चंद्रमणिधर द्विवेदी

256

0.100

0.050

निजी  
भूमि

16

शिवपति पिता रामेश्वर साहू

आमप्रकाश साहू पिता रामनाथ साहू

नीता द्विवेदी पत्नी अम्बिका द्विवेदी

रन्नु साहू पत्नी रामनरेश जाति तेली

प्रधान द्विवेदी पिता मुनील कुमार द्विवेदी

श्रीवन्त मिश्रा पिता लोकर प्रसाद मिश्रा

गोपीनाथ पिता लल्लू प्रसाद गुप्ता

वेनाली पत्नी परगराम मोहिते

विवान कुमार पिता रामनारायण गुप्ता

रश्मी मिश्रा पत्नी विनय मिश्रा

शिवकुमार पिता चिन्तामणि द्विवेदी

पवन पिता गोविन्द प्रसाद गुप्ता

विनाद पिता राम करन साहू

मनाज मोहिते पिता धावराव मोहिते

हेमन्ता मिश्रा पत्नी ज्योति प्रकाश मिश्रा

बंशमणि मिश्रा पिता राजभान मिश्रा

विरजिया पत्नी रामपति जाति तेली

द्विवेक निवारी पिता रमेशचंद्र निवारी

रामपति पिता रामेश्वर साहू

284

0.200

0.120

निजी  
भूमि

	मणिगणधर द्विवेदी पिता चंद्रमणिधर द्विवेदी				
17	ऋतिक मिह पिता शिवनंदन सिंह लवला कोल पिता जगोसरा कोल हिमान्थू प्रताप मिह पिता शिवनंदन सिंह	301	0.200	0.120	निजी भूमि
18	गोविन्द मिह पिता जयकरण मिह मूर्धमान अग्रिया पिता हंशलाल अग्रिया राजपान अग्रिया पिता हंशलाल अग्रिया मनीन कुमार अग्रिया पिता हंशलाल अग्रिया अनिल कुमार अग्रिया पिता हंशलाल अग्रिया अनुज कुमार अग्रिया पिता हंशलाल अग्रिया रामवचन कोल पिता औसेरी कोल रामेश्वर मिह पिता सुखनन्दन सिंह अशोक मिह पिता रामदयाल सिंह आशा रावत पत्नी राजपति रावत मूर्तिता देवी पत्नी शिवप्रसाद पनिका महापति मिह पिता मोहन मिह रामलालू मिह पिता नन्हकू सिंह राजधर पिता बलदेव अग्रिया वृद्धमेन पिता गेंदलाल सिंह शशिकेश पिता चंद्रभान रावत ऋषिकेश पिता चंद्रभान रावत दिनेश कुमार पिता मूरजदीन कोल	287	0.640	0.150	निजी भूमि
19	राजधर पिता बलदेव जाति अग्रिया	290	0.360	0.050	निजी भूमि
20	मन कुमार पिता धर्मराज अग्रिया	292	0.170	0.010	निजी भूमि
21	शिवप्रसाद पिता अकोली जाति अग्रिया	312	0.120	0.110	निजी भूमि

	शिवप्रसाद पिता अकोली जाति अग्ररिया	316	0.570	0.500	निजी भूमि
23	गनमानिया ब्रवा जान जाति अग्ररिया	300/1	0.200	0.080	निजी भूमि
24	छोट्ट पत्नी राजवन्नी जाति कोल	300/2	0.120	0.070	निजी भूमि
25	ठाकुरदीन पिता वैकु जाति अग्ररिया	255	1.550	0.100	निजी भूमि
	राजमणि पिता वैकु जाति अग्ररिया				
	वटनी ब्रवा वैकु जाति अग्ररिया				
26	पनाचा ब्रवा ईश्वरदीन जाति अग्ररिया	297	0.240	0.070	निजी भूमि
	गममिन्दन पिता ईश्वरदीन जाति अग्ररिया				
निजी पट्टे की भूमि का योग --		26 किता	6.300	3.054	

चूंकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 गावां की लगभग 294.955 हे० भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है। अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय हैं।

क्र. 267-भू-अर्जन-2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है।

### अनुसूची

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-
- (2) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला : - सिंगरौली
  - (ख) तहसील :- देवसर
  - (ग) ग्राम :- भलुगढ 50
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल : - निजी रकबा 0.351 हे०

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	प्रभावित रकवा हे० में	टिप्पणी
	2	3	4	5	6
1	राधे पुत्र लालमणि 1/6, बृजभूषण पुत्र लालमणि 1/6, राजेन्द्र पुत्र लालमणि 1/6, गुलाब पुत्र लालमणि 1/6, बबलू पति रुक्मनिया पिता लालमणि 1/6, रामसागर, रामकुमार, रामप्रताप, उर्मिला, फूलमति, फूलदेवी, कुसुमकली पिता नागेश्वर, मानमती बेवा नागेश्वर 1/6 जाति सभी लोहार	303	0.03	0.03	निजी भूमि
2	बंदना शर्मा पत्नी विकास शर्मा	510/1	0.01	0.01	निजी भूमि
3	अवनीश कुमार पुत्र राजदेव दुबे	510/2	0.005	0.005	निजी भूमि
4	प्रिंसी दुबे पिता श्यामाचरण दुबे ना० सं० पिता श्यामाचरण पिता राजदेव दुबे 2/5, पियूस दुबे पिता श्यामाचरण दुबे, ना० सं० पिता श्यामाचरण दुबे पिता राजदेव दुबे 3/5 भाग	510/3	0.005	0.005	निजी भूमि
5	शिवेन्द्र तिवारी पिता शिवराम तिवारी	510/4	0.01	0.01	निजी भूमि
6	अरविंद कुमार पुत्र गिरीश कुमार मिश्रा	510/5	0.01	0.01	निजी भूमि
7	संतोष कुमार पुत्र तीरथप्रसाद 1/3, बबुआराम पुत्र लक्षनधारी 1/6, मु०रनिया देवी पति लगनधारी 1/6, रमेश पुत्र रामप्रसाद 1/9, ददई पुत्र रामप्रसाद 1/9, मु० छोहरिया पति रामप्रसाद 1/9	562	0.06	0.06	निजी भूमि
8	बिहारी पुत्र रामहित बैसवार	1855/1	0.01	0.01	निजी भूमि
9	मु० देवसिया बेवा गिरधारी बैसवार ¼, संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार ¼, अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार ¼, शांती पिता गिरधारी बैसवार 1/4	1855/2	0.01	0.01	निजी भूमि

10	बिहारी पुत्र रामहित बैसवार	1858/1	0.01	0.01	निजी भूमि
11	मु.देवसीया बेवा. गिरधारी बैसवार 1/4, संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार 1/4, अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार 1/4, शांती पिता गिरधारी बैसवार 1/4	1858/2	0.01	0.01	निजी भूमि
12	भगवान दास पुत्र शिवमूरत 1/3, रामदास पुत्र शिवमूरत 1/3, हरिप्रसाद पुत्र शिवमूरत 1/3	1858/3	0.02	0.02	निजी भूमि
13	बिहारी पुत्र रामहित बैसवार	1976/1/1	0.04	0.04	निजी भूमि
14	मु.देवसीया बेवा. गिरधारी बैसवार 1/4, संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार 1/4 अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार 1/4 शांती पिता गिरधारी बैसवार 1/4	1976/2/1/1	0.179	0.101	निजी भूमि
15	इन्द्रसेन पिता चन्द्रबली जाति बैसवार	1976/3/1/1/ 2/1	0.02	0.02	निजी भूमि
कुल		कित्ता 15	0.429	0.351	

चूंकि ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी, एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना का ही भाग है। अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वही पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे। जो पूर्व में अर्जित भूमिस्वामियों / विस्थापितों को देय है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 54-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 6 मार्च 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	बधी	प.ह. न. 109
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	1.296 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	312/2	0.035	16	330	0.073
2	312/3	0.073	17	331/2	0.023
3	318	0.010	18	332	0.065
4	320/1/1	0.011	19	333	0.084
5	320/1/2	0.041	20	335	0.076
6	320/1/3	0.042	21	336	0.042
7	320/2	0.042	22	657	0.010
8	320/3	0.031	23	571/2	0.070
9	320/4	0.042	24	597	0.010
10	321/4	0.010	25	654	0.023
11	325/1	0.021	26	655	0.010
12	326	0.010	27	656	0.094
13	327/1	0.027	28	658/1	0.066
14	328	0.105	निजी खाता भूमि योग रकवा- 1.296 हेक्ट.		
15	329	0.150			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की अजमाइन माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 55-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

- 1- भूमि का वर्णन :-
- |                      |   |                |            |
|----------------------|---|----------------|------------|
| (क) जिला             | : | मैहर           |            |
| (ख) तहसील            | : | मैहर           |            |
| (ग) ग्राम            | : | मझियार         | प.ह. न. 60 |
| (घ) अर्जित क्षेत्रफल | : | 0.301 हेक्टेयर |            |

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	18/1	0.060	8	62	0.041
2	18/2	0.041	9	74/2/1	0.010
3	51	0.010	10	74/2/2	0.011
4	59	0.026	11	132/59	0.025
5	60/1	0.011	12	133/59	0.010
6	60/2	0.021	13	134/60	0.025
7	61	0.010	निजी खाता भूमि योग रकवा-		0.301 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।



प्र.क्र. 56-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	बिहराकला	प.ह. न. 112
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	2.993 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे०)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे०)
1	1/1	0.142	32	218/2	0.010
2	3	0.192	33	219/2	0.054
3	1/2/1/3	0.061	34	214/1	0.021
4	1/2/1/2	0.035	35	216/1	0.010
5	5/1/2	0.121	36	218/1	0.010
6	5/2	0.030	37	219/1	0.022
7	7/2/2	0.021	38	226	0.020
8	18	0.182	39	227	0.116
9	19	0.085	40	251	0.010
10	21/2/2	0.021	41	562/1	0.075
11	23/1	0.041	42	526	0.020
12	23/2	0.116	43	540	0.028
13	25/2	0.035	44	541/1	0.010
14	26	0.010	45	541/2	0.015
15	27	0.136	46	542	0.095
16	188	0.090	47	543/1/1	0.021
17	191	0.085	48	543/1/2	0.020
18	205	0.066	49	543/1/3	0.020
19	206	0.076	50	543/1/4	0.020

20.	189/1	0.106	51	543/2	0.080
21	190	0.041	52	547	0.021
22	192/2	0.051	53	549/1/1	0.090
23	192/3	0.071	54	549/2	0.036
24	212/1	0.013	55	550/1	0.012
25	213/1/2	0.041	56	550/2	0.012
26	220	0.025	57	550/3	0.011
27	221	0.010	58	557	0.010
28	222	0.010	59	560	0.052
29	212/3	0.010	60	561	0.041
30	214/2	0.010	61	562/2	0.057
31	215	0.041	निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.993 हेक्ट.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की बिहराकला माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 57-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	बदेरा	प.ह. न. 57
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	7.917 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	7/1	0.010	82	412	0.065
2	9/1	0.116	83	881/163	0.052
3	9/2/1		84	60/1/1	0.243
4	9/2/2	0.168	85	60/2	0.195
5	9/3		86	63/2	0.021
6	11/5	0.157	87	61	0.010
7	71/1	0.106	88	62	0.126
8	71/2	0.021	89	93/1	0.005
9	81/2	0.032	90	94/1	0.060
10	82/1	0.042	91	93/2	0.010
11	82/2	0.068	92	94/2	0.106
12	83/1/1	0.032	93	94/3	0.015
13	70/2	0.187	94	94/4	0.015
14	90	0.024	95	99/1	0.010
15	91/1/1	0.010	96	100/1	0.021
16	92/1/1	0.136	97	100/2	0.132
17	92/1/2	0.010	98	149/4	0.010
18	92/2	0.100	99	150/4	0.050
19	92/3	0.150	100	150/1	0.052
20	99/2	0.010	101	150/2	0.050

21	100/1	0.020	102	150/3	0.050
22	100/2	0.110	103	152/1	0.069
23	101/1	0.052	104	152/2	0.057
24	101/3	0.024	105	153/2	0.010
25	104	0.032	106	304/1	0.080
26	111/1	0.030	107	304/2	0.021
27	112/1	0.010	108	305/2	0.010
28	133/1	0.059	109	306	0.076
29	133/2/2	0.018	110	307	0.267
30	134	0.045	111	314	0.010
31	135	0.010	112	312	0.040
32	138	0.010	113	313	0.180
33	139/1	0.020	114	799	0.151
34	140/1	0.100	115	802/1/2/1	0.136
35	140/2/1	0.074	116	803/1	0.043
36	140/2/2	0.013	117	803/2	0.081
37	141	0.010	118	803/3	0.100
38	142	0.020	119	803/4	0.043
39	143	0.047	120	804/1/1/1/1	0.176
40	144	0.090	121	804/1/1/1/2/1	
41	147	0.020	122	804/1/1/1/2/2	
42	160/1	0.059	123	804/1/1/1/2/3	
43	163	0.032	124	804/1/1/1/3	
44	166/1	0.030	125	804/1/1/2	
45	166/2	0.010	126	804/1/2	
46	167	0.065	127	804/1/3	
47	168/2	0.054	128	804/1/4	
48	182/1	0.021	129	804/2	
49	182/2	0.011	130	804/3/1	
50	183/1	0.097	131	804/3/2	
51	267/1	0.115	132	804/3/3	
52	267/2/2	0.015	133	804/4/1	
53	268/2/1	0.010	134	804/4/2	
54	269	0.025	135	804/5/1	
55	270	0.097	136	804/5/2	
56	271	0.018	137	804/6/1	
57	272	0.072	138	804/6/2	
58	273	0.020	139	804/6/4	
59	275	0.045	140	804/6/3	

60	356	0.065	141	826	0.010
61	358	0.097	142	827	0.211
62	361/1	0.020	143	806/1/1	0.031
63	362/1	0.060	144	806/1/2	0.034
64	362/2	0.016	145	806/2/1	0.016
65	363	0.031	146	806/2/2	0.035
66	364	0.085	147	807/3	0.010
67	365	0.030	148	808/3	0.111
68	366	0.010	149	808/2	0.038
69	372	0.013	150	812/1	0.010
70	374/1	0.010	151	813/2	0.176
71	374/2	0.075	152	816	0.040
72	375	0.020	153	817	0.030
73	394/2	0.020	154	828	0.081
74	400	0.072	155	834	0.076
75	401	0.085	156	835	0.070
76	402	0.040	157	836	0.066
77	403/1	0.074	158	842	0.025
78	403/2		159	839	0.010
79	403/3		160	843/2	0.091
80	405	0.054	निजी खाता भूमि योग रकवा- 7.917 हेक्ट.		
81	410	0.032			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की बदेरा माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 58-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	लटागांव	प.ह. न. 115
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	6.961 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	47	0.020	44	123/1	0.021
2	52/2	0.207	45	125/1	0.076
3	48	0.198	46	146	0.059
4	51	0.052	47	135	0.050
5	49/2	0.072	48	126	0.062
6	52/1	0.032	49	133/2	0.025
7	58/1/3	0.031	50	134/2	0.050
8	60/1	0.341	51	144/2	0.081
9	61/1	0.213	52	147	0.036
10	64	0.021	53	149	0.192
11	925/1	0.110	54	169	0.081
12	925/2/1	0.332	55	170/1	0.053
13	925/3		56	171/2	0.052
14	925/2/2	0.131	57	208/1/1	0.076
15	927	0.143	58	299/1/1/1	0.554
16	944/1	0.021	59	299/1/2	
17	945/1	0.174	60	300/1/2	0.025
18	945/2	0.174	61	325	0.126
19	—	0.213	62	326	0.025

20	60/1	0.032	63	330/2/1	0.051
21	62	0.112	64	331/2/1	0.021
22	65/1/1	0.073	65	330/2/2	0.100
23	65/1/2	0.084	66	331/2/2	0.010
24	68/1	0.303	67	332/1	0.032
25	68/2	0.043	68	333/2/1	0.192
26	100	0.010	69	334/1	0.021
27	102/1	0.064	70	352/1	0.015
28	104/1	0.010	71	352/3	0.021
29	105/1	0.194	72	354/3	0.056
30	133/1	0.025	73	353	0.070
31	104/2	0.040	74	356/1	0.044
32	105/2	0.011	75	356/2	0.043
33	104/3	0.026	76	900/2	0.021
34	105/4	0.015	77	902	0.116
35	105/5	0.032	78	920	0.237
36	111/1/2	0.032	79	922	0.081
37	112/1	0.021	80	924	0.136
38	119/1/1	0.097	81	923/1	0.116
39	119/1/2		82	923/2	0.051
40	119/1/3		83	925/2/2	0.030
41	217/1	0.010	84	925/3	0.134
42	217/2		निजी खाता भूमि योग रकवा - 6.961 हेक्ट.		
43	217/3				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर व लटागांव माइनर 1 नहर व लटागांव माइनर 2 नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 59-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 6 मार्च 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	कुवरी	प.ह. न. 113
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	3.389 हेक्टेयर	

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे.मे.)
1	56/2/2	0.605	14	89	0.132
2	64/2	0.031	15	93	0.151
3	64/3	0.314	16	94	0.101
4	66/1/1	0.100	17	90	0.030
5	66/1/2	0.103	18	158/1/2/1	0.079
6	66/2	0.021	19	158/1/2/2/1	0.219
7	67	0.090	20	158/1/2/2/2/1	0.112
8	69	0.118	21	158/1/2/2/2/2	0.164
9	70/1	0.301	22	158/1/1/5	0.010
10	70/2/2	0.153	23	159/1	0.052
11	71/1	0.055	24	159/2	0.161
12	87	0.085	निजी खाता भूमि योग रकवा- 3.389 हेक्ट.		
13	88	0.202			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।



प्र.क्र. 68-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 18 मार्च 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर
(ख) तहसील	:	मैहर
(ग) ग्राम	:	चटकोला
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	1.076 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०)
1	17/1	0.018
2	17/2	0.017
3	17/3	0.017
4	18/1	0.200
5	18/2	0.187
6	21/1	0.036
7	21/2	0.036
8	21/3	0.037
9	21/4	0.037
10	22/1	0.055
11	22/2	0.056
12	22/3	0.056
13	23/1	0.162
14	23/2	0.162
निजी खाता भूमि योग रकवा-		1.076

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 69-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर
(ख) तहसील	:	मैहर
(ग) ग्राम	:	नौगावाकाप
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	2.230 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे०)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा(हे०)
1	162	0.230	12	174/3	0.063
2	163	0.020	13	196	0.190
3	164/1	0.021	14	197/1	0.120
4	164/2	0.099	15	198/1	0.011
5	171/1/1/2	0.085	16	197/2	0.120
6	168	0.120	17	198/2	0.010
7	169	0.120	18	199	0.010
8	171/1/1/1	0.085	19	200	0.010
9	173/1/1	0.470	20	201	0.030
10	174/1/1/2	0.083	21	238/2	0.270
11	174/2	0.063	निजी खाता भूमि योग रकवा-		2.230 हेक्ट.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 70-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	ककरा	प.ह. न. 113
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	12.706 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	66/1/1	0.330	89	486/1	0.005
2	66/1/2		90	486/2	0.005
3	178/5	0.200	91	486/3	0.005
4	179/2	0.183	92	487	0.035
5	178/6	0.250	93	488	0.027
6	183/3	0.225	94	491	0.031
7	179/1	0.027	95	493	0.035
8	182	0.030	96	495	0.023
9	184/2	0.380	97	498	0.010
10	202/2	0.135	98	585/2	0.031
11	203/1/1/1	0.250	99	586	0.025
12	206/1	0.225	100	597	0.021
13	209/1	0.135	101	599/2	0.015
14	972/2/1	0.145	102	601	0.076
15	978/1	0.058	103	602	0.010
16	979/6	0.063	104	611	0.025

17	979/7/1	0.138	105	612/1	0.005
18	979/7/2	0.042	106	612/2	0.005
19	981/2/1	0.225	107	583/1133	0.010
20	982/1/2/1	0.136	108	Z-12	0.022
21	982/1/1	0.188	109	Z-13	0.038
22	982/1/2/2	0.191	110	Z-17	0.293
23	984/1/1	0.421	111	653	0.029
24	984/1/2		112	657	0.010
25	984/2/1		113	663	0.010
26	984/2/2		114	706	0.058
27	984/3		115	707	0.083
28	1244/985		116	708	0.115
29	985/1/1	0.204	117	709/1	0.005
30	985/1/2		118	867/1	0.010
31	1007/1/1	0.272	119	709/2	0.006
32	1007/1/2	0.232	120	736	0.041
33	1009	0.130	121	739	0.020
34	1010/1	0.133	122	737	0.075
35	1010/2	0.069	123	742	0.072
36	1014/1/2/3	0.021	124	743	0.059
37	1014/1/3/2	0.027	125	744	0.032
38	1014/1/4	0.033	126	746	0.020
39	1015	0.213	127	827/1	0.010
40	1016	0.039	128	827/2	0.010
41	1018/1/1	0.064	129	849	0.040
42	1018/1/2	0.221	130	861	0.025
43	1018/1/3	0.021	131	850/1	0.046
44	1018/2	0.097	132	851/1	0.010
45	1019/1	0.067	133	853/1	0.011
46	1019/2	0.084	134	853/2	0.010
47	1020/1	0.101	135	862	0.020
48	1020/2	0.101	136	864	0.098
49	1022/1	0.041	137	865	0.058
50	1022/3	0.072	138	866/1	0.032
51	1022/4	0.072	139	866/2	0.016

52	1023	0.132	140	866/3	0.016
53	1024	0.031	141	892	0.064
54	1025/1	0.252	142	893	0.040
55	1027/2	0.105	143	896	0.056
56	1027/3	0.239	144	897	0.051
57	1029/1	0.128	145	905	0.075
58	1029/2	0.128	146	908	0.020
59	1029/3	0.128	147	909/1	0.020
60	1031/2	0.227	148	910/1	0.043
61	1031/3	0.076	149	910/2	0.043
62	1050	0.055	150	911/1	0.018
63	1051/1	0.186	151	911/2	0.018
64	205/1	0.045	152	912/1/1	0.012
65	205/2	0.045	153	912/1/2	0.008
66	206/2	0.054	154	912/2	0.012
67	211	0.126	155	917	0.012
68	222	0.273	156	918/3	0.053
69	223/1	0.031	157	918/5	0.028
70	223/2	0.126	158	918/6	0.021
71	235/1	0.011	159	938	0.115
72	235/2	0.010	160	939	0.020
73	236/1	0.038	161	962/1/2	0.021
74	237/1	0.032	162	962/2	0.134
75	237/2	0.032	163	963	0.184
76	241/1	0.031	164	973	0.069
77	241/2	0.043	165	974	0.069
78	242	0.032	166	975/2	0.150
79	244	0.101	167	978/1	0.115
80	249/3	0.010	168	979/7/1	0.010
81	260/2	0.015	169	1018/1/1	0.031
82	261	0.066	170	1018/1/2	
83	262	0.035	171	1018/1/3	
84	270	0.060	172	1018/2	
85	465/4	0.011	173	1019/1	
86	481	0.041	174	1019/2	0.042
87	484	0.066	निजी खाता भूमि योग रकवा - 12.706 हेक्ट.		
88	485	0.041			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी, चटकोला माइनर, ककरा माइनर, व बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 72-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 19 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	अजवाइन	प.ह. न. 110
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	16.776 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	129	0.157	87	919	0.073	173	1331/1	0.028
2	130	0.209	88	920	0.025	174	1291/1	0.005
3	137/1/1	0.010	89	921	0.242	175	1291/2	0.026
4	138/1	0.089	90	924/1	0.080	176	1332	0.013
5	138/2	0.089	91	924/2	0.021	177	1333/1	0.101
6	139/1	0.178	92	981/2	0.010	178	1333/2	
7	140/1	0.228	93	991/1	0.021	179	1333/3	
8	140/2	0.096	94	991/2		180	1344	0.015
9	141/2/2	0.139	95	991/3/1		181	1365	0.023
10	141/3	0.289	96	991/3/2		182	1366/2/1	0.010
11	141/4	0.021	97	991/3/3	183	1366/2/2	0.081	
12	208/1	0.063	98	996/1/1	0.242	184	1368	0.076
13	209/1	0.031	99	996/1/2		185	1372	0.076
14	227	0.073	100	996/2		186	1373	0.076
15	228	0.209	101	996/3/1		187	1447/1	0.011

16	229/1	0.020	102	996/3/2		188	1447/2	0.100
17	229/2	0.398	103	996/3/3		189	1447/3	0.050
18	231/1	0.220	104	996/4		190	1548	0.010
19	231/2	0.431	105	996/5		191	1550/1	0.078
20	231/3/1	0.115	106	999	0.050	192	1550/2	0.093
21	231/3/2	0.063	107	1000	0.025	193	1563	0.020
22	233/2	0.293	108	1001	0.010	194	1561	0.044
23	234	0.209	109	1002	0.076	195	1562	0.171
24	294/1	0.042	110	1003	0.021	196	1618/1	0.080
25	294/2	0.010	111	1005/2	0.005	197	1618/2	0.071
26	342/2	0.115	112	1158	0.010	198	1619/2	0.010
27	343/1	0.150	113	1159	0.081	199	1700/1	0.120
28	343/2/1	0.050	114	1160	0.010	200	1700/2	0.045
29	343/2/2	0.051	115	1163/1	0.010	201	1701	0.050
30	343/3/1	0.125	116	1164	0.060	202	1702	0.102
31	343/3/2	0.178	117	1165/1	0.055	203	1704/1	0.119
32	344	0.063	118	1165/2	0.116	204	1704/2	0.010
33	345	0.157	119	1168	0.021	205	1705/1	0.052
34	346	0.010	120	1169	0.073	206	1706/1	0.050
35	349/1	0.094	121	1187	0.041	207	1706/2	0.031
36	350/1	0.017	122	1192	0.066	208	1707/1	0.021
37	350/2	0.140	123	1193/1	0.011	209	1707/2	0.010
38	352/1	0.063	124	1193/2	0.065	210	1708	0.050
39	352/2/1	0.010	125	1194	0.059	211	1710/2	0.076
40	362/1/1	0.167	126	1201/1/1/1	0.211	212	1711	0.076
41	362/1/2	0.272	127	1201/1/1/2		213	1712	0.020
42	363/1/1	0.188	128	1201/1/1/3		214	1992	0.106
43	369/1/1	0.121	129	1201/1/1/4		215	1993	0.010
44	369/1/2	0.335	130	1201/1/2/1		216	1995/1	0.005
45	369/2	0.350	131	1201/2/2		217	1995/2	0.005
46	575	0.010	132	1202/1/1	0.010	218	1367/2/1	0.054
47	576/1	0.021	133	1202/1/2		219	1367/2/2	0.086
48	577	0.021	134	1202/1/3		220	1642/1	
49	578	0.021	135	1202/2		221	1642/2	

50	579	0.021	136	1351	0.066	222	1642/3	0.075
51	831/1	0.031	137	1353	0.005	223	1642/4	0.084
52	831/2	0.178	138	1358	0.091	224	1642/5	0.110
53	832/1/1/1/1	0.408	139	1447/1	0.036	225	1642/6	0.095
54	832/1/1/1/2		140	1447/2	0.005	226	1642/7	0.010
55	832/1/1/2		141	1449/2	0.040	227	1643/2	0.070
56	832/2		142	1449/3	0.045	228	1643/3	0.031
57	841/1/1	0.105	143	1450/1	0.110	229	1644/2/2	0.010
58	841/1/2	0.208	144	1450/2	0.006	230	1752	0.013
59	841/2	0.042	145	1188/1	0.021	231	1751/1	0.221
60	369/1/1	0.108	146	1188/2	0.032	232	1751/2	
61	369/1/2	0.028	147	1188/3	0.005	233	1753/1/1/1	0.028
62	370/1/1	0.147	148	135/1/2	0.337	234	1753/1/1/2	0.026
63	370/2/1	0.010	149	135/2/1/1		235	1753/1/2/2	0.058
64	371/1	0.126	150	135/2/2		236	1753/2	0.049
65	371/2	0.056	151	136	0.005	237	1753/3	0.050
66	372/1/1	0.080	152	137/1/2	0.032	238	1767/1/1	0.038
67	372/1/2	0.054	153	137/2	0.144	239	1767/1/2	0.062
68	372/1/3	0.031	154	138/1	0.042	240	1767/2/1	0.070
69	372/2	0.044	155	139/1	0.151	241	1767/2/2	0.072
70	373/1	0.010	156	1277/1	0.065	242	1768/2/2	0.010
71	816/2	0.050	157	1277/2	0.075	243	1769/1/1	0.010
72	817/1	0.014	158	1278	0.031	244	1777/1/2	0.110
73	818/1/1/1/1	0.052	159	1282/1	0.037	245	1777/2	0.051
74	818/1/1/1/2	0.031	160	1282/2	0.032	246	1781/1	0.061
75	818/1/1/2	0.128	161	1282/3	0.047	247	1781/2	0.021
76	819/3	0.010	162	1282/4	0.010	248	1782	0.091
77	820/3	0.073	163	1286	0.021	249	1895/1/1	0.050
78	821/1	0.044	164	1292/2	0.018	250	1895/1/2	
79	821/2	0.072	165	1293/1	0.082	251	1895/1/3/1	
80	821/3	0.010	166	1293/2	0.094	252	1895/1/3/2	
81	823	0.005	167	1299	0.025	253	1895/1/4/1	
82	822	0.111	168	1300	0.015	254	1895/1/4/2	
83	879/1	0.126	169	1301	0.328	255	1895/2	
84	879/2/1		170	1328/1	0.031	निजी भूमि योग रकवा- 16.776 हेक्ट.		
85	879/2/2		171	1329	0.035			
86	879/2/3		172	1330/2	0.091			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी, बिहराकला माइनर, बिहराकला सबमाइनर, अजवाइन माइनर-1, अजवाइन माइनर-2 नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।



प्र.क्र. 73-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	बराकला	प.ह. न. 113
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	3.808 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	57	0.020	41	244/2	0.018
2	139	0.050	42	246	0.066
3	140	0.010	43	247	0.032
4	78/1	0.010	44	244/3	0.067
5	79	0.095	45	249/1	0.015
6	121/1/1/2	0.076	46	250/1	0.020
7	122	0.010	47	251/1	0.007
8	123	0.104	48	251/2	0.015
9	132	0.101	49	252/2/1	0.050
10	138	0.021	50	253/2	0.064
11	141	0.056	51	253/1	0.012
12	149	0.066	52	253/3	0.036
13	142/1	0.035	53	256	0.040
14	143	0.102	54	257	0.041
15	144/2	0.021	55	258	0.010
16	148	0.010	56	351	0.091
17	149	0.171	57	272	0.081
18	151	0.087	58	274/1/2/1	0.085

19	163	0.050	59	356/1/1	0.018
20	164	0.045	60	274/1/2/2	0.182
21	166	0.066	61	350	0.081
22	168	0.041	62	373	0.040
23	189	0.031	63	352	0.021
24	169/2	0.010	64	353	0.176
25	174/1	0.021	65	356/2	0.010
26	174/2	0.020	66	356/1/2	0.017
27	172	0.020	67	357	0.070
28	176	0.015	68	361/2/3/1	0.010
29	177	0.042	69	372	0.021
30	178	0.010	70	374	0.297
31	179/1	0.007	71	375	0.021
32	188/1	0.008	72	386/2/4	0.032
33	179/2	0.008	73	385/1/2	0.050
34	188/2	0.005	74	385/2	0.140
35	179/3	0.008	75	396/1	0.100
36	179/4	0.008	76	396/2	0.040
37	188/3	0.037	77	401/1/2	0.205
38	180/1	0.009	78	401/2	0.005
39	180/2	0.008	निजी खाता भूमि योग रकवा- 3.808 हेक्ट.		
40	180/3	0.008			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की बराकला मा. व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 74-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	भरेवा	प.ह. न. 112
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	2.813 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	14/2	0.087	32	419/1	0.049
2	92/2	0.010	33	263	0.042
3	274/2	0.010	34	264	0.050
4	275/2	0.067	35	273	0.020
5	15/1	0.071	36	265	0.051
6	275/1	0.048	37	277	0.020
7	15/2	0.010	38	278/2	0.050
8	74	0.112	39	367/3	0.008
9	75	0.010	40	369	0.050
10	83	0.010	41	507/1/1	0.071
11	87/1	0.030	42	372/2	0.050
12	246/1	0.018	43	371/2	0.050
13	247	0.010	44	373/1/2	0.067
14	87/2	0.031	45	380	0.050
15	87/3	0.080	46	553/381	0.035
16	88/1	0.020	47	381/2	0.037
17	171/1/1	0.045	48	554/2/381	0.054
18	171/2	0.032	49	382/2	0.010

19	171/3	0.034	50	383/1/1	0.122
20	169/2	0.010	51	393	0.112
21	172	0.010	52	395	0.060
22	173	0.106	53	397/2/2	0.106
23	245	0.070	54	398/2	0.010
24	246/2	0.018	55	507/2/2	0.100
25	251/3	0.081	56	513/2	0.035
26	252/3	0.025	57	513/3	0.035
27	254/3	0.009	58	513/4	0.035
28	367/4	0.007	59	513/5	0.066
29	252/2	0.062	60	523/7/1	0.088
30	254/2	0.038	61	523/7/2	0.088
31	253	0.021	निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.813 हेक्ट.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की भरेवा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 75-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर
(ख) तहसील	:	मैहर
(ग) ग्राम	:	देवरी
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	9.923 हेक्टेयर

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०)	स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे०)
1	12/1	0.321	56	157/1	0.120
2	12/3/1	0.138	57	159	0.196
3	12/3/2	0.138	58	542/1	0.021
4	12/3/3	0.139	59	542/2	0.021
5	23	0.512	60	542/3	0.030
6	103/1/1	0.153	61	542/4	0.030
7	103/1/2	0.153	62	542/5	0.050
8	104	0.405	63	542/6	0.050
9	109/1	0.084	64	544/1	0.151
10	110	0.261	65	544/2	0.161
11	131	0.333	66	566/3	0.049
12	132/1/1	0.046	67	567/1	0.101
13	133/1	0.151	68	568/1	0.016
14	133/2	0.151	69	568/2	0.015
15	134/2	0.010	70	570/1	0.017
16	147/1	0.202	71	570/2	0.017
17	149/1/1/1	0.199	72	571	0.042
18	149/1/2	0.104	73	572/2	0.036
19	149/1/3/2	0.100	74	572/3	0.005
20	154/1	0.220	75	573	0.030
21	154/4	0.021	76	574	0.031
22	155/1	0.061	77	587/1/1	0.021
23	155/2	0.180	78	587/1/2	0.071
24	161/2	0.080	79	865/639/1	0.024

25	162	0.214	80	865/639/2	0.100
26	164	0.091	81	640/1	0.040
27	163/1	0.038	82	640/2	0.030
28	169	0.060	83	641/1	0.051
29	170	0.042	84	641/2	0.031
30	171	0.076	85	641/3	0.041
31	173	0.221	86	642	0.120
32	174	0.384	87	661/1	0.045
33	175/1	0.130	88	661/2	0.087
34	175/2	0.122	89	664/1/1	0.033
35	305/4	0.034	90	664/1/2	0.033
36	542/4	0.022	91	664/1/3	0.034
37	608/1/3	0.053	92	664/2	0.051
38	609/1	0.076	93	665/2	0.010
39	610/1/2	0.042	94	666	0.010
40	610/2	0.080	95	667	0.132
41	610/3	0.080	96	668	0.160
42	628/3	0.010	97	766/1/1	0.115
43	629/2	0.042	98	766/1/2	0.126
44	629/3	0.084	99	766/2/2	0.021
45	630/2/1/1	0.038	100	-----	0.010
46	630/2/1/2	0.038	101	767/1	0.050
47	828/630/1/1	0.066	102	767/2	0.050
48	828/630/1/2	0.066	103	767/3	0.051
49	828/630/2	0.136	104	768/1/1	0.081
50	828/630/1	0.066	105	789/1/2	0.010
51	639/2	0.080	106	790/1/2	0.232
52	639/3	0.080	107	790/2	0.105
53	149/1/1/2	0.035	108	797	0.010
54	155/1	0.046	109	799/2	0.010
55	155/2	0.025	निजी खाता भूमि योग रकवा -		9.923

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर एवं माइनर व सबमाइनर नहरों के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 76-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

1- भूमि का वर्णन :-

(क) जिला	:	मैहर	
(ख) तहसील	:	मैहर	
(ग) ग्राम	:	धनेडीकला	प.ह. न. 108
(घ) अर्जित क्षेत्रफल	:	2.018 हेक्टेयर	

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)	स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	9	0.056	16	98	0.014
2	10	0.036	17	99	0.126
3	11/1	0.045	18	100/2/1	0.085
4	12/1/2/1	0.151	19	100/2/2	0.021
5	37/1	0.044	20	104/2	0.041
6	38/1	0.180	21	106/1	0.059
7	38/2	0.062	22	107/1	0.015
8	37/2	0.021	23	106/2	0.168
9	71	0.020	24	108/1	0.171
10	72	0.081	25	109/2/2	0.010
11	73/2	0.146	26	110/1/2	0.063
12	75	0.052	27	110/3	0.063
13	93/1/1/1/1	0.124	28	165	0.028
14	93/2	0.052	29	166	0.028
15	96	0.056	निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.018 हेक्ट.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की धनेडीकला माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 100-भू-अर्जन-2024

खरगोन, दिनांक 7 मार्च 2024

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित " बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खरगोन.	झिरन्या	बेडछा	14.732	कार्यपालन चंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन	" बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु "

—: अनुसूची (2) :-

" बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " ग्राम- बेडछा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
273, 302/2/3, 303/2, 303/3, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 389, 392/1, 392/2, 394/2, 396/1/1, 398/1/1, 397, 399, 400/1, 400/2, 400/3/1, 400/3/2, 400/4, 401/1, 401/2	14.732

नोट:-भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 04-अ-82-23-24-भू-अर्जन-नांदू-2687

बैतूल, दिनांक 11 मार्च 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1  
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	घोड़ाडोंगरी	नांदू	0.030	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र.)	इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2  
(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	शेख शब्बीर व. शेख बशीर मुसलमान	125/1	0.015	0.012
2	नरेन्द्र व. सीताराम जाति मेहरा	125/2	0.004	0.002
3	टीकाराम व. कसदन, सुशीला बे. रोशन, कमलेश, नीलेश व. रोशन, कंचना पिता रोशन जाति मेहरा	135	0.263	0.016
	योग	3	0.282	0.030

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति के इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 07-अ-82-23-24-भू-अर्जन-सुहागपुरढाना-2688

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

**अनुसूची-1**  
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	शाहपुर	सुहागपुरढाना	0.278	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र.)	इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

**अनुसूची -2**  
(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	सुनील व. मोहन, दशरथ व. खुशीलाल, रामकली बेवा शिवचरण, कमला बेवा रामभाउ, भगवानदास, दीपचंद व. रामभाउ, उमा, उषा व. रामभाउ, मुलचंद, संजू व. रगन, कोमल, गीताबाई, पमीता व. रगन सा.देह	184/1/1/1	0.783	0.017

2	सुहागल बे. रामेश्वर, राजकुमार व. रामेश्वर, सुमन, लक्ष्मी, पिकी, रिंकी व. रामेश्वर, सा.देह	185/1/1	0.012	0.012
		187/2/1	0.016	0.016
3	लक्ष्मीकांत, शिवकांत, श्याम व. नंदकिशोर, सुनीति व. नंदकिशोर, उपेंद्र, वीरेंद्र व. उमेश, हर्षा बेवा सत्येंद्र, चारू नाबालिक व. सत्येंद्र संरक्षक हर्षा सा.देह शाहपुर	185/2/1	0.012	0.012
		187/3/1	0.048	0.028
		190/1	0.020	0.015
		191	0.020	0.004
4	भगवानदास व. शिवरतन, सा.देह	186/1	0.407	0.056
5	रामकेश, रामलाल, परमानंद व. बारीकराम, बहनवती, प्रेमवती व. बारीकराम	187/1/1	0.228	0.072
6	चन्द्रकिशोर पिता शिवबालक, सा.देह सोहागपुरढाना	192	5.269	0.046
	योग	10	6.815	0.278

- 1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 02-अ-82-2023-24-भू-गढ़ा-2871

बैतूल, दिनांक 15 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	गढ़ा	1.555	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)	गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन

**अनुसूची -2**  
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	सुदीप व. संतोषराव जाति कुंबी भूमिस्वामी	212/1	0.876	0.046
2	आनंदराव व. सरजेराव जाति कुंबी भूमिस्वामी	223/3	0.823	0.056
3	कौतिका बे. मानिकराव, देवेन्द्र, राजेन्द्र, गजेन्द्र, देविका, महेश्वरी व. मानिकराव भूमिस्वामी	224/1	2.132	0.018
4	कौतिका बाई पुत्री शिवराम भूमिस्वामी	224/2	1.214	0.070

5	अंकुश व. चिन्धू भूमिस्वामी	224/3	0.405	0.052
6	सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी	225/3	0.838	0.056
7	संतोषराव व. केशोराव भूमिस्वामी	226	2.144	0.055
8	अमृतराव व. केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी	222/2	1.416	0.028
9	सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी	238/4	1.350	0.648
10	मानिकराव व. गेंदू बकू पुत्री गेन्दू प्रभाकर व. केशोराव, दिनेश व. केशोराव, संतोष व. केशोराव, आशा पुत्री केशोराव, उषा पुत्री केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी	237	1.028	0.526
	योग	10	12.226	1.555

(2) चूँकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 11-अ-82-23-24-भू-अर्जन-डहुआ नया

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	डहुआ नया	1.282	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र.)	महिलावाड़ी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन

### अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा(हे.में)
1	2	3	4	5
1	पतीराम व. इडू, चमन बेवा कन्हैया, राजेश, बाबूलाल, सतीश पिता कन्हैया, ललिता पिता कन्हैया, मधु, फुन्दन पिता इडू नन्हा पुत्री इडू, रुखमई बेवा इडू जाति पवार भूमिस्वामी	261	4.090	0.068

2	श्रीराम, रामू पिता रामजी, निर्मला, रेखा पिता रामजी, नान्ही बेवा रामजी, सुनीता बेवा हरीराम, रोशनी, दुर्गा पिता हरीराम जाति पवार भूमिस्वामी	278/1	0.769	0.202
3	फागूलाल, प्यारेलाल, बसंत, कैलाश पिता गजमल, उषा, इमला पिता गजमल जाति पवार भूमिस्वामी	278/2	0.769	0.202
4	लक्ष्मण पुत्र तेजी पता मुलताई बैतूल	278/3	0.770	0.203
5	निर्मला बेवा विनोदी जाति पवार भूमिस्वामी	281	3.238	0.057
6	यशवंत पिता नत्थू, संजय पिता गुलाबराव, संध्या, विद्या पिता गुलाबराव, शान्ता बेवा गुलाबराव, निर्मला बेवा विनोदी, सुरेश, रमेश, दिनेश पिता विनोदी, सरोज, शान्ता, लीला, बेबी, लता पिता नत्थू जाति पवार भूमिस्वामी	282	0.550	0.550
	योग	6	10.186	1.282

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि महिलावाड़ी लघु जलाशय निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 12-अ-82-2022-23-घाटपिपरिया-2857

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	घाटपिपरिया	10.361	कार्यपालन यंत्री संसाधन संभाग क्र.-1, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	घाटपिपरिया जलाशय निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन

## अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	देवराव, भोजराव पिता सुंदरलाल, नाती उर्फ नान्ही पिता सुन्दरलाल, सोनू, विक्की पिता कुंवरलाल, मीनाक्षी, नीतू पिता कुंवरलाल, मोहन, रामदयाल, सुशील पिता शंकर, अनिता पुत्री शंकर, तीरथ पिता गुलाब, कल्लू, फल्लू पिता मंतू, कला, उर्मिला, प्रमिला पिता मंतू, गणेशी बेवा मंतू, सुगंती पिता शंकरलाल, सुमित पिता महेश, अमित, शुभम नाबा. पिता महेश वली भाई सुमित पिता महेश	992	7.576	0.506
		1085	4.452	4.452



"121"

2	जगत, नत्थू, भीम पिता किशोरीलाल, सुदामा, रूपसिंग पिता शिवनाथ, प्रेमवती पुत्री शिवनाथ, श्यामू, रामू, प्रभु पिता किसन, तिरतिया पुत्री किसन, रामवती पुत्री घुड़न जाति मेहरा	997	0.142	0.142
3	बटनी पत्नी दलपत पता बैतूल म.प्र.	1000	1.307	0.445
4	लखमू, दखन, चैत्या पिता नंदन, जमना पुत्री कैलाश, लखनिया, कुमी पुत्री नंदन, नवल पिता कैलाश, भोलू पिता कैलाश, दशरथ पिता कैलाश पता बैतूल म.प्र.	1079	1.121	0.446
		1082	0.761	0.761
5	गोलन, दलपत गनपत पिता भिक्कू, गिरजा पुत्री भिक्कू, कुसमा बेवा भिक्कू जाति मेहरा पता बैतूल म.प्र.	1088	0.365	0.365
6	खुसरू पिता दुकारी, रुखमणी, गौंडन पुत्री दुकारी, गोलन, दलपत, गणपति पिता भिक्कू, कुसमा बेवा भिक्कू जाति मेहरा पता बैतूल म.प्र.	1094	1.109	1.109
7	महेन्दु पिता रघुनाथ, रवि पत्नी रघुनाथ, बंटी उर्फ कार्तिक पिता रघुनाथ, कमला बेवा रघुनाथ, रामचरण पिता धना	1096	0.569	0.569
8	चैन् पिता भदलू जाति मेहरा पता मुलताई	1097/1	0.853	0.853
		1098/1	0.356	0.356
9	मैन् पिता भदलू जाति मेहरा पता मुलताई	1098/2	0.357	0.357
	योग :-	12	18.968	10.361

(2) चूंकि घाटपिपरिया जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1852-भू-अर्जन-2024

सिवनी, दिनांक 11 मार्च 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

### अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - कांचनामंडी जलाशय परियोजना
- 2 - भूमि का विवरण :-
- (क) जिला - सिवनी
- (ख) तहसील - बरघाट
- (ग) नगर/ग्राम - सालहेकला ब.नं.-563 प.ह.न.- 66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.43 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन क्षेत्रफल (हे० मं)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगत कि. मं	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	489/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नूतनबाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद जाति पंवार नि. बरघाट भूमिस्वामी	नूतनबाई की शेष भूमि	शासकीय भूमि	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	नेमीचंद पि. जीवनलाल की भूमि	-	-	-	-
2	489/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04		शासकीय भूमि	नूतनबाई की शेष भूमि	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	नेमीचंद पि. जीवनलाल की भूमि	-	-	-	-

3	527/3 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	नेमीचंद जीवनलाल पंवार भूमिस्वामी	पिता जाति नि.ग्रा.	नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	शासकीय भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि	रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि	-	-	-	-
4	527/3 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04			शासकीय भूमि	नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि	रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि				
5	488/3 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04			नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	शासकीय भूमि	नूतनबाई की भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि				
6	488/3 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03			शासकीय भूमि	नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	नूतनबाई की भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि				
7	492/1 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	भुमेश्वरी चैनसिंह पत्नी रामेश्वर पंवार भूमिस्वामी	पिता नूतनबाई जाति नि.ग्रा.	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	शासकीय भूमि	मानेश्वरी की भूमि	नूतनबाई की भूमि	-	-	-	-
8	492/1 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04			शासकीय भूमि	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	उर्मिला, प्रमिला / उदर्या संह बगैरह की भूमि	नूतनबाई की भूमि	-	-	-	
9	2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	सेमेन्द्र पुत्र जागेश्वर जाति पंवार नि. बरघाट भूमिस्वामी		शासकीय भूमि	जागेश्वर पिता जीवनलाल पवार की शेष भूमि	मनोज विनोद बगैरह पिता शोभाराम पवार की भूमि	शासकी य भूमि	-	-	-	-
योग	9			0.43							-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-  
कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1853-भू-अर्जन-2024

सिवनी, दिनांक 11 मार्च 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं :-

**अनुसूची**

- 1 - परियोजना का नाम - कांचनामंडी जलाशय परियोजना  
 2 - भूमि का विवरण :-  
 (क) जिला - सिवनी  
 (ख) तहसील - बरघाट  
 (ग) नगर/ग्राम - मानेगांवकला  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.05 हेक्टेयर

ब.नं.-479

प.ह.न.- 43

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मं)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगत किस	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	336/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	क्षेत्रपति पिता टेकचंद जाति पंवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भूमि	सचिन, नितिन वगैरह पिता फकीरचंद जाति तेली की भूमि	सचिन, नितिन वगैरह पिता फकीरचंद जाति तेली की भूमि	क्षेत्रपति पिता टेकचंद की शेष भूमि	-	-	-	-
योग	1			0.05						-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कांचनामंडी जलाशय परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 12 मार्च 2024

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में परिसम्पत्ति दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम फतेहपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष परिसम्पत्ति जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की परिसम्पत्ति की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

## --: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम फतेहपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

परिसम्पत्ति :-				
स.क्रं.	नाम	परिसम्पत्ति का प्रकार	रकबा (वर्ग मीटर)	रिमारक
1	2	3	4	5
1	सूरजसिंह पिता घासीराम	शोचालय	2.25	
2	दामोदर पिता मांगीलाल	टीन शेड	101.60	
3	घासीराम हेरिसिंह हनुमतसिंह पिता तुलाराम	छतरी	7.28	
4	घासीराम पिता तुलाराम	चबूतरा	1.80	
5	मोतीलाल पिता जगन्नाथ	चबूतरा	12.54	
6	इन्दरसिंह जगदीश पिता जालमसिंह	चबूतरा	11.20	
		चबूतरा	4.84	
योग :-			141.51	

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. Q-23-24-भू-अर्जन

विदिशा, दिनांक 15 मार्च 2024

(देखिये धारा 11)

**कोठा पटवारी हल्का नं. 49 तहसील कुरवाई**

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा को कोठा बैराज परियोजना अंतर्गत कोठा बैराज निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/344/2018/एम.पी.एस. /31/1740/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं कोठा बैराज परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 2350/SEIAA/ भोपाल दिनांक 21/08/2020 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अनुसार ऐसी परियोजना जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग विदिशा जिले के 79 ग्रामों की 20,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| (1) परियोजना का नाम :-      | कोठा बैराज परियोजना |
| (2) भूमि का विवरण :-        |                     |
| 1. जिला                     | विदिशा              |
| 2. तहसील                    | कुरवाई              |
| 3. ग्राम                    | कोठा                |
| 4. पटवारी हल्का नं.         | 49                  |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.375 हे.           |

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	महेन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	129/3/1	1.436	0.065	1.371
2	धरमेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह जाति दांगी, पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा.	भूमिस्वामी	129/4/1	0.886	0.052	0.834
3	महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/1/1	0.754	0.068	0.686
4	महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	132/1/1	0.045	0.025	0.020



## :: अनुसूची -02::

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	शासकीय भूमि का लगभग(हे.में)	धारा-11 की उपधारा(1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
विदिशा	कुरवाई	कोठा	0.375	0	अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुरवाई जिला विदिशा	कोठा बैराज परियोजना के बैराज एवं डूब क्षेत्र हेतु।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उराके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)कुरवाई एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंज बासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बुद्धेश कुमार वैद्य, कलेक्टर एवं उपसचिव.



कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी  
भीकनगांव, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

क्र. 648-री-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र. 0265-ब-121-2023-24

भीकनगांव, दिनांक 18 मार्च 2024

**प्ररूप- 'घ'**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 181/भू-अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 13.01.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगौन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की संशय आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित होने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगौन	भीकनगांव	ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,	49	0.019
			50/1	0.019
			50/3	0.026
			54/2	0.018
			54/3/4	0.011

जिला	तहसील	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,	66/3/4	0.010
		54/3/1	0.011	
		66/3/1	0.002	
		66/3/2	0.006	
		66/3/3	0.007	
		86/1	0.038	
		65	0.023	
		64/2	0.038	
		76/1	0.059	
		76/3	0.035	
कुल योग		15	0.322	

क्र. 651-री-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र. 0266-ब-121-2023-24

प्ररूप- "घ"  
[ नियम- 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 184/भू-अर्जन/री-1/2024, भीकनगांव, दिनांक 13.01.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उदवहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्था कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74,	16/5	0.025
			17/1	0.023
			31/1	0.024
			15/1	0.030
			15/2	0.030
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74,	15/3	0.034
			202/7	0.030
			202/12/2	0.013
			32/1/2	0.016
कुल योग			<b>09</b>	<b>0.225</b>

क्र. 764-री-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र. 0702-ब-121-2023-24

बड़वाह, दिनांक 13 मार्च 2024

## प्ररूप- "घ" { नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 342/री-1/2023, बड़वाह, दिनांक 25.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-1, ग्रेविटी मेन-2 एवं ग्रेविटीमेन-2 की ब्रांच माईनर आर.एम.-4 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लछोरा, प.ह.नं. 19, तहसील सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- लछोरा, प.ह.नं. 19	28/4	0.005
			28/5	0.008
			30/1	0.008
			30/2	0.005
			33/1	0.031
			44/11	0.007
			31/8	0.020
			33/3	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- लछोरा, प.ह.नं. 19	14/5	0.008
			14/4	0.013
			14/3	0.008
			10/1	0.005
			10/2	0.006
			10/3	0.006
			10/4/1	0.007
			10/5	0.008
			44/8	0.004
			44/9	0.004
			44/12	0.002
			44/13	0.003
			44/14	0.003
			44/15	0.003
			45/1	0.004
			45/2	0.010
			50/1	0.007
			50/2	0.004
			50/3	0.006
			50/4	0.009
			50/5	0.009
			50/6	0.006
			51/1	0.012
			58/1	0.008
			58/2	0.003
			57/4	0.030
			56/1	0.017
			57/3	0.014
			56/4	0.007
			<b>कुल योग</b>	

प्रताप कुमार अगास्या, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 43-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2022-23

नीमच, दिनांक 12 मार्च 2024

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

1. परियोजना का नाम

बाण्डा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से

2. भूमि का विवरण

1.	जिला	:	नीमच
2.	तहसील	:	सिंगौली
3.	ग्राम	:	बाण्डा
4.	प.ह.नं.	:	13

अनुसूची - 01

(अ) निजी मकानों की सूची

बाण्डा तालाब योजना के डूब में प्रभावित बाण्डा गांव के मकानों का मुल्यांकन पत्रक  
तहसील- सिंगौली

स.क्र.	मकान न.	मुखिया का नाम	मकान का प्रकार			
			मकान / छत की स्थिति	सर्वे न.	मकान का क्षेत्रफल लंबाई X चौड़ाई वर्ग मी. में)	मकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)
1		2	3			6
1	1	विशना-भुवना भील	कवेलु	275 / 1	6.7 X 6.4=42.88	42.88
			बासबल्ली		4 X 4=16	16.00
			बासबल्ली		4 X 3.4=13.6	13.60
			टिन		7.35 X 3.2=23.52	23.52
			दिवाल		20.25 X 0.45=9.1125	9.11
			आरवीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				106.55
2	2	शंकर -विशना भील	टिन	275 / 1	5.4 X 3.9=21.06	21.06
			दिवाल		20.25 X 0.45=9.1125	9.11
		योग				30.17
3	3	भूरालाल-परथा	टिन	275 / 1	10.6 X 5.6=59.36	59.36
			आरवीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44

			दिवाल		$26 \times 0.45=11.7$	11.70
		योग				72.50
4	4	भेरूलाल-रामा	टिन	275 / 1	$6.1 \times 3.5=21.35$	21.35
			टिन		$10 \times 4=40$	40.00
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
		योग				62.79
5	5	प्रकाश-परथा भील	कवेलु	275 / 1	$6.1 \times 3.7=22.57$	22.57
			दिवाल		$27.7 \times 0.45=12.465$	12.47
		योग				35.04
6	6	सेतु बाई पत्नी परथा भील	टिन	275 / 1	$5.7 \times 3.7=21.09$	21.09
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$27.9 \times 0.45=12.555$	12.56
		योग				35.09
7	7	देउबाई-कालूराम भील	आरबीसी	275 / 1	$5.65 \times 3.7=20.905$	20.91
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$42.45 \times 0.45=19.1025$	19.10
		योग				41.45
8	8	पारस -विशना भील	कवेलु	275 / 1	$12 \times 3.7=44.4$	44.40
			कवेलु		$6.2 \times 3.8=23.56$	23.56
			आरबीसी		$6.5 \times 6=39$	39.00
			आरबीसी		$4.25 \times 2.7=11.475$	11.48
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$32.3 \times 0.45=14.535$	14.54
	11		आरबीसी		$8.3 \times 3.8=31.54$	31.54
			दिवाल		$44.3 \times 0.45=19.935$	19.94
		योग				185.89
9	9	मुकेश-कन्हैयालाल भील	टीन	275 / 1	$9 \times 6.5=58.5$	58.50
	9A		टीन		$13.7 \times 4.65=63.705$	63.71
			दिवाल		$12.5 \times 0.45=5.625$	5.63
		योग				127.83
10	10	शैतान-देवा भील	टीन	275 / 1	$5.85 \times 3.6=21.06$	21.06
			बासबल्ली		$5.85 \times 2.6=15.21$	15.21
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$25.5 \times 0.45=11.475$	11.48
			बासबल्ली		$3 \times 3=9$	9.00
		योग				58.19
11	12	बाहु-शंकर	आरबीसी	275 / 1	$6.7 \times 3=20.1$	20.10
			कवेलु		$6.7 \times 3=20.1$	20.10
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$9 \times 0.45=4.05$	4.05
			बासबल्ली		$3 \times 3=9$	9.00
		योग				54.69
12	13	सिताबाई-प्रेमा	कवेलु	275 / 1	$6 \times 5.3=31.8$	31.80
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$5.3 \times 0.45=2.385$	2.39
		योग				35.63
13	14	सुन्दरबाई देवा शंकर	बासबल्ली	275 / 1	$4.8 \times 4.5=21.6$	21.60
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$13.2 \times 0.45=5.94$	5.94

		योग				28.98
14	15	कैलाश-शंकर	कवेलु	275 / 1	6.4 X 3=19.2	19.20
			टीन		6.4 X 3=19.2	19.20
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		18.3 X 0.45=8.235	8.24
		योग				48.08
15	16	मांगीलाल-उदा भील	आरबीसी	275 / 1	7.45 X 5.85=43.5825	43.58
	17		आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			टीन		6.1 X 3.7=22.57	22.57
			दिवाल		6.4 X 0.45=2.88	2.88
		योग				70.47
16	18	उदा-अमरा	आरबीसी	275 / 1	5.2 X 3.75=19.5	19.50
	19		आरबीसी		5.2 X 3.75=19.5	19.50
		योग				39.00
17	20	शंभुलाल-उदा	आरबीसी	275 / 1	6.7 X 3=20.1	20.10
			टीन		6.7 X 3=20.1	20.10
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		4.8 X 0.45=2.16	2.16
		योग				43.80
	20 A	सुखलाल रतना भील	टीन	275 / 1	6.4 X 3.6=23.04	23.04
			बासबल्ली		6.4 X 2.5=16	16.00
			दिवाल		20.7 X 0.45=9.315	9.32
		योग				48.36
18	21	प्रेमचन्द्र कन्हैयालाल	टीन	275 / 1	9.5 X 4=38	38.00
			टीन		3 X 3=9	9.00
			बासबल्ली		9.5 X 2.4=22.8	22.80
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		17.65 X 0.45=7.9425	7.94
		योग				79.18
19	22	कन्हैयालाल कालू	टीन	275 / 1	5.9 X 3.6=21.24	21.24
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		7.1 X 0.45=3.195	3.20
			टीन		4 X 3.8=15.2	15.20
			टीन		3.2 X 2.1=6.72	6.72
		योग				47.80
20	23	सुरेश-भेरू भील	टीन	275 / 1	6.8 X 4=27.2	27.20
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				28.64
21	24	रमेश-तुलसीराम	टीन	275 / 1	7.4 X 3.35=24.79	24.79
			दिवाल		14.6 X 0.45=6.57	6.57
		योग				31.36
22	25	रतन-तुलसीराम	कवेलु	275 / 1	6.6 X 6.2=40.92	40.92
			दिवाल		20.9 X 0.45=9.405	9.41
		योग				50.33
23	26	तुलसीराम-कालू	टीन	275 / 1	6 X 3.35=20.1	20.10
		रामीबाई तुलसीराम	बासबल्ली	275 / 1	5.2 X 4.1=21.32	21.32
			दिवाल		12 X 0.45=5.4	5.40
		योग				46.82



24	27	देवा-कालू	टीन	275 / 1	6.5 X 6=39	39.00
			बासबल्ली		8 X 2.9=23.2	23.20
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		6 X 0.45=2.7	2.70
		योग				66.34
25	28	शंकर-देवा	टीन	275 / 1	6.2 X 3.7=22.94	22.94
			बासबल्ली		7.2 X 6.2=44.64	44.64
			दिवाल		26.5 X 0.45=11.925	11.93
		योग				79.51
26	29	संकार-तुलसीराम	टीन	275 / 1	7.4 X 3.6=26.64	26.64
			दिवाल		12.6 X 0.45=5.67	5.67
		योग				32.31
27	30	नारू-भागु	टीन	275 / 1	6.8 X 3.7=25.16	25.16
			दिवाल		140.6 X 0.45=63.27	63.27
	43	नारू-भागु	कवेलु	275 / 1	4.3 X 2.65=11.395	11.40
			आरबीसी		6.2 X 3.7=22.94	22.94
			टीन		8 X 2.65=21.2	21.20
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		21.7 X 0.45=9.765	9.77
		योग				155.17
28	31	लामघनन्द-रतना	कवेलु	275 / 1	5.6 X 2.3=12.88	12.88
			टीन		5.6 X 3=16.8	16.80
			दिवाल		17.8 X 0.45=8.01	8.01
		योग				37.69
29	36	शांतिलाल-भंवरलाल	टीन	275 / 1	6.7 X 3.6=24.12	24.12
			बासबल्ली		6.7 X 2.9=19.43	19.43
			दिवाल		17.2 X 0.45=7.74	7.74
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
	36 A		टीन		4.25 X 3.8=16.15	16.15
			दिवाल		6 X 0.45=2.7	2.70
		योग				71.58
30	37	भंवरीबाईदेवा भंवरलाल	बासबल्ली	275 / 1	5 X 3.6=18	18.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		15.5 X 0.45=6.975	6.98
		योग				26.42
31	38	शंभुलाल-छीतरमल	कवेलु	275 / 1	6.1 X 2.9=17.69	17.69
			कवेलु		5.7 X 2.8=15.96	15.96
			टीन		10.3 X 4.05=41.715	41.72
			आरबीसी		6.1 X 3.6=21.96	21.96
			दिवाल		25.4 X 0.45=11.43	11.43
		योग				108.76
32	39	शंकर-मागीलाल	कवेलु	275 / 1	5.8 X 3.3=19.14	19.14
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		10 X 0.45=4.5	4.50
			आरबीसी		8.3 X 3.95=32.785	32.79
		योग				57.87
33	40	मागीलाल-खेमा	कवेलु	275 / 1	3.8 X 2.5=9.5	9.50
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			टीन		3.8 X 3.3=12.54	12.54

		योग				23.48
34	41	सुगनाबाई बेवा रोडमल	टीन	275 / 1	6.1 X 4.2=25.62	25.62
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		25.2 X 0.45=11.34	11.34
		योग				38.40
35	42	कल्याण-भागु 2 मकान	कवेलु	275 / 1	6.3 X 4=25.2	25.20
			कवेलु		12 X 4.1=49.2	49.20
			आरबीसी		5.9 X 3.7=21.83	21.83
			दिवाल		10.1 X 0.45=4.545	4.55
		योग				100.78
37	44	नारु-प्रथा	कवेलु	275 / 1	7.3 X 3.1=22.63	22.63
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			आरबीसी		7.3 X 3.6=26.28	26.28
			दिवाल		35.9 X 0.45=16.155	16.16
		योग				66.51
38	45	शंभुलाल-होकमा	आरबीसी	275 / 1	6.3 X 5.6=35.28	35.28
			टीन		6.9 X 3=20.7	20.70
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
	45 A		पीएम आवास		9.7 X 3.5=33.95	33.95
		योग				91.37
39	46	छीतरमल-कुका	कवेलु	275 / 1	7.4 X 6=44.4	44.40
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			टीन		11.9 X 6=71.4	71.40
			दिवाल		33.7 X 0.45=15.165	15.17
	90 B		टीन		11.9 X 6=71.4	71.40
		योग				203.81
40	47	देवीलाल-छीतरमल	आरबीसी	275 / 1	7.8 X 6.3=49.14	49.14
			आरबीसी		4.3 X 1.2=5.16	5.16
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		5.4 X 0.45=2.43	2.43
	51		टीन		10.1 X 2.75=27.775	27.78
			टीन		10.1 X 4.1=41.41	41.41
		योग				127.36
41	48	राजु-छीतरमल	टीन	275 / 1	7.8 X 4.5=35.1	35.10
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				36.54
42	49	कालुराम-छीतर	कवेलु	275 / 1	6.2 X 2.2=13.64	13.64
			टीन		6.2 X 4=24.8	24.80
		योग				38.44
43	50	भगवानलाल-छीतरमल	टीन	275 / 1	7.4 X 6.1=45.14	45.14
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				46.58
44	52	गेन्दमल-सेवा	कवेलु	275 / 1	5.8 X 1.8=10.44	10.44
			आरबीसी		5.8 X 3.8=22.04	22.04
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		6.5 X 0.45=2.925	2.93
	52 A	शंकरलाल गेंदमल	आरबीसी	275 / 1	5.8 X 3.8=22.04	22.04
			कवेलु		5.8 X 1.8=10.44	10.44

			बासबल्ली		$4.8 \times 3.2=15.36$	15.36
			दिवाल		$6.5 \times 0.45=2.925$	2.93
		योग				87.61
45	53	मोहम्मद हनीफ-पीरमोहम्मद	टीन	275 / 1	$9.8 \times 5.7=55.86$	55.86
			आरबीसी		$4.3 \times 3.1=13.33$	13.33
			दिवाल		$24.3 \times 0.45=10.935$	10.94
		योग				80.13
46	54	राजू-भवरलाल	टीन	275 / 1	$5.2 \times 4=20.8$	20.80
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			बासबल्ली		$5.2 \times 2.9=15.08$	15.08
			दिवाल		$5.35 \times 0.45=2.4075$	2.41
		योग				39.73
47	55	सिपूलाल-उंकारलाल	आरबीसी	275 / 1	$5.8 \times 6.2=35.96$	35.96
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			बासबल्ली		$6.2 \times 3.3=20.46$	20.46
			दिवाल		$20.5 \times 0.45=9.225$	9.23
		योग				67.09
48	56	कमलेश-उंकारलाल	टीन	275 / 1	$5.8 \times 3.5=20.3$	20.30
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			बासबल्ली		$5.8 \times 2.7=15.66$	15.66
		योग				37.40
49	57	प्रेमचन्द उंकारलाल	टीन	275 / 1	$5.4 \times 2.7=14.58$	14.58
			आरबीसी		$5.4 \times 3.5=18.9$	18.90
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			टीन		$3.4 \times 2.85=9.69$	9.69
		योग				44.61
50	58	बाबूलाल-उंकारलाल	आरबीसी	275 / 1	$5.8 \times 3.4=19.72$	19.72
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			आरबीसी		$5.8 \times 2.85=16.53$	16.53
		योग				37.69
51	59	रुकमाबाई बेवा उंकारलाल	टीन	275 / 1	$7.5 \times 3.5=26.25$	26.25
		योग				26.25
52	60	प्रकाश-भेरूलाल	आरबीसी	275 / 1	$8.4 \times 4.2=35.28$	35.28
			टीन		$3 \times 2.6=7.8$	7.80
			बासबल्ली		$5.4 \times 2.6=14.04$	14.04
			बासबल्ली		$12 \times 3.2=38.4$	38.40
			दिवाल		$9.2 \times 0.45=4.14$	4.14
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
		योग				101.10
53	61	प्रहलाद-मथुरालाल	कवेलु	275 / 1	$4.9 \times 3.65=17.885$	17.89
			बासबल्ली		$4.9 \times 2.5=12.25$	12.25
			बासबल्ली		$4.5 \times 2.2=9.9$	9.90
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$33.15 \times 0.45=14.9175$	14.92
		योग				56.39
54	62	मथुरालाल-भेरूलाल	कवेलु	275 / 1	$6.4 \times 3.6=23.04$	23.04
			दिवाल		$22.4 \times 0.45=10.08$	10.08
		योग				33.12
55	63	कालीबाई बेवा गोकुल	कवेलु	275 / 1	$8 \times 3.7=29.6$	29.60
			टीन		$8 \times 2.7=21.6$	21.60

			दिवाल		29.1 X 0.45=13.095	13.10
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
	63 A		टीन		9.3 X 4=37.2	37.20
			दिवाल		9.6 X 0.45=4.32	4.32
		योग				107.26
		गोकुल-नारायण				
56	70		आरबीसी	275 / 1	5.7 X 3.55=20.235	20.24
			बासबल्ली		5.7 X 3=17.1	17.10
			बासबल्ली		4.8 X 3=14.4	14.40
			दिवाल		31.2 X 0.45=14.04	14.04
		योग				65.78
57	71	राजु-भागु	बासबल्ली	275 / 1	5 X 3.6=18	18.00
			टीन		3.6 X 3.5=12.6	12.60
			टीन		5.3 X 3.5=18.55	18.55
			कवेलु		4.5 X 3.5=15.75	15.75
			बासबल्ली		4.5 X 3.2=14.4	14.40
			दिवाल		10.9 X 0.45=4.905	4.91
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				85.65
58	72	घासीराम-देवा	टीन	275 / 1	7.2 X 3.3=23.76	23.76
			आरबीसी		7.2 X 3.7=26.64	26.64
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			बासबल्ली		3.5 X 2.6=9.1	9.10
			दिवाल		6.3 X 0.45=2.835	2.84
	72 A		आरबीसी		7.3 X 3.7=27.01	27.01
		योग				90.79
59	73	सोहन-सेवा	कवेलु	275 / 1	7.8 X 6.5=50.7	50.70
			बासबल्ली		7.8 X 3=23.4	23.40
			बासबल्ली		3.7 X 3=11.1	11.10
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				86.64
60	74	कजोड-सेवा	कवेलु	275 / 1	6.5 X 6.4=41.6	41.60
			बासबल्ली		6.4 X 2.1=13.44	13.44
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
	74 A		टीन		9.7 X 3.6=34.92	34.92
		योग				91.40
61	75	राधेश्याम-रोडमल	आरबीसी	275 / 1	5.7 X 3.7=21.09	21.09
			टीन		5.7 X 3.4=19.38	19.38
			दिवाल		9.9 X 0.45=4.455	4.46
		योग				44.93
62	76	प्रेमीबाई-रोडमल	आरबीसी	275 / 1	5.7 X 3.7=21.09	21.09
			टीन		5.7 X 3.4=19.38	19.38
			दिवाल		18.4 X 0.45=8.28	8.28
		योग				48.75
63	77	प्रेमचन्द-घासीराम	टीन	275 / 1	6.8 X 6.45=43.86	43.86
			टीन		3.35 X 1.9=6.365	6.37
			दिवाल		7.9 X 0.45=3.555	3.56
		योग				53.78
64	78	विशना-देवा	कवेलु	275 / 1	4.6 X 3.4=15.64	15.64

			दिवाल		$5 \times 0.45=2.25$	2.25
		योग				17.89
65	79	कालुराम-गेन्दमल	टीन	275 / 1	$6.4 \times 3.5=22.4$	22.40
			टीन		$5 \times 3.5=17.5$	17.50
			दिवाल		$7 \times 0.45=3.15$	3.15
			दिवाल		$4.7 \times 0.45=2.115$	2.12
		योग				45.17
66	80	नारायण-कन्हैयालाल	आरबीसी	275 / 1	$7.3 \times 3.65=26.645$	26.65
			बासबल्ली		$7.3 \times 2.6=18.98$	18.98
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$26.2 \times 0.45=11.79$	11.79
			बासबल्ली		$3.3 \times 2.8=9.24$	9.24
		योग				68.10
67	81	कन्हैयालाल-देराम	कवेलु	275 / 1	$5.6 \times 3.6=20.16$	20.16
			बासबल्ली		$5.6 \times 3.6=20.16$	20.16
			बासबल्ली		$5.6 \times 2.1=11.76$	11.76
			दिवाल		$16 \times 0.45=7.2$	7.20
		योग				59.28
68	82	रमेश-देवा	कवेलु	275 / 1	$7.8 \times 4=31.2$	31.20
	83		आरबीसी		$6.45 \times 3.5=22.575$	22.58
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$24.8 \times 0.45=11.16$	11.16
		योग				66.38
69	84	शंकर-भीमा	टीन	275 / 1	$5.3 \times 4.9=25.97$	25.97
			टीन		$6.3 \times 4.3=27.09$	27.09
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$6.55 \times 0.45=2.9475$	2.95
	84 A		टीन		$4.8 \times 3.66=17.568$	17.57
		योग				75.02
70	85	सुन्दरबाई बेवा भीमा	बासबल्ली	275 / 1	$5.7 \times 4=22.8$	22.80
		योग				22.80
71	86	लालुराम-कन्हैयालाल	टीन	275 / 1	$6 \times 3.6=21.6$	21.60
			बासबल्ली		$6 \times 2.7=16.2$	16.20
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$46.1 \times 0.45=20.745$	20.75
		योग				59.99
72	87	शंकरलाल-नारायण	आरबीसी	275 / 1	$8.6 \times 3.6=30.96$	30.96
			टीन		$8.6 \times 2.6=22.36$	22.36
			टीन		$5.9 \times 3.2=18.88$	18.88
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$23.2 \times 0.45=10.44$	10.44
		योग				84.08
73	88	हिरालाल-नारायण	टीन	275 / 1	$6.9 \times 5.8=40.02$	40.02
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$16.1 \times 0.45=7.245$	7.25
		योग				48.71
74	89	सुन्दरबाई-नारायण	आरबीसी	275 / 1	$6.2 \times 4=24.8$	24.80
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
		योग				26.24

75	90	सुनील-रामेश्वरलाल -3	आरबीसी	275 / 1	11.6 X 4.2=48.72	48.72
			टीन		9.4 X 2.2=20.68	20.68
			दिवाल		15.2 X 0.45=6.84	6.84
	90 A		टीन		7.8 X 3.65=28.47	28.47
			दिवाल		19.5 X 0.45=8.775	8.78
		योग				113.49
76	91	पन्नालाल-मेरु	टीन	274 / 1 / 1	7.2 X 3.9=28.08	28.08
			बासबल्ली		7.25 X 5.1=36.975	36.98
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		50.85 X 0.45=22.8825	22.88
	91 A		पी एम आवास		7.45 X 3.7=0.45	0.45
		योग				89.83
77	92	सुरेश-देवा	टीन	274 / 1 / 1	6.5 X 3.55=23.075	23.08
			बासबल्ली		6.5 X 4.9=31.85	31.85
			बासबल्ली		6.6 X 3.1=20.46	20.46
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		36.8 X 0.45=16.56	16.56
		योग				93.39
78	93	कचरुमल देवा	टीन	274 / 1 / 1	5 X 3.6=18	18.00
			कवेलु		5 X 2.25=11.25	11.25
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		33.7 X 0.45=15.165	15.17
	94		टीन		3.5 X 2.9=10.15	10.15
		योग				56.01
79	95	शंभुलाल-नारायण (3	आरबीसी	274 / 1 / 1	9.7 X 3.9=37.83	37.83
			टीन		9.7 X 3=29.1	29.10
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			टीन		6.3 X 4=25.2	25.20
			दिवाल		12.75 X 0.45=5.7375	5.74
			दिवाल		52 X 0.45=23.4	23.40
		योग				122.71
80	96	शिवराज-देवीलाल	कवेलु	274 / 1 / 1	6.15 X 3.8=23.37	23.37
			टीन		6.15 X 3=18.45	18.45
			दिवाल		17.3 X 0.45=7.785	7.79
		योग				49.61
81	97	भूरीवाई देवा देवीलाल	कवेलु	274 / 1 / 1	6.8 X 3.5=23.8	23.80
			आरबीसी		9.3 X 3.65=33.945	33.95
			दिवाल		10.4 X 0.45=4.68	4.68
			दिवाल		17.3 X 0.45=7.785	7.79
		योग				70.21
82	99	सुखलाल-कालुराम	आरबीसी	274 / 1 / 1	13.45 X 13.92=187.224	187.22
			आरबीसी		20.2 X 10.7=216.14	216.14
		योग				403.36
83	100	शंकरलाल कालुराम	टीन	274 / 1 / 1	7.2 X 3.7=26.64	26.64
	101	शंकरलाल कालुराम	टीन	274 / 1 / 1	10.9 X 8.4=91.56	91.56
		योग				118.20
84	102	श्यामलाल-माधुलाल	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.2 X 3.6=22.32	22.32
			बासबल्ली		6.2 X 2.8=17.36	17.36
		योग				39.68

85	103	माधुलाल-कालू	टीन	274 / 1 / 1	4.2 X 2.8=11.76	11.76
			कवेलु		6.2 X 3.6=22.32	22.32
			कवेलु		2.2 X 2.8=6.16	6.16
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			बासबल्ली		5.1 X 4.2=21.42	21.42
			दिवाल		35 X 0.45=15.75	15.75
		योग				78.85
86	104	सोहनीबाई देवा नारायण	कवेलु	274 / 1 / 1	6.5 X 3.6=23.4	23.40
			टीन		6.5 X 2.8=18.2	18.20
			दिवाल		6.3 X 0.45=2.835	2.84
	104 A		आरबीसी		11.77 X 7.3=85.921	85.92
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		4.4 X 0.45=1.98	1.98
		योग				133.78
87	105	चन्दालाल -विशना	बासबल्ली	274 / 1 / 1	10.9 X 3.6=39.24	39.24
			बासबल्ली		5.8 X 2.7=15.66	15.66
			दिवाल		17.2 X 0.45=7.74	7.74
		योग				62.64
88	106	अमरचन्द भगवान	आरबीसी	274 / 1 / 1	7.2 X 3.4=24.48	24.48
			बासबल्ली		7.2 X 3.1=22.32	22.32
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		5 X 0.45=2.25	2.25
			बासबल्ली		5.2 X 3.3=17.16	17.16
			दिवाल		25.9 X 0.45=11.655	11.66
			पी एम आवास		11.15 X 3.9=43.485	43.49
		योग				122.79
89	107	दुदालाल-भगवान	आरबीसी	275 / 1	6.7 X 3.6=24.12	24.12
			बासबल्ली		6.4 X 3.6=23.04	23.04
			बासबल्ली		6.7 X 2.6=17.42	17.42
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		22 X 0.45=9.9	9.90
		योग				75.92
90	108	घाणुबाई-भगवान	कवेलु	275 / 1	7.2 X 3.7=26.64	26.64
			दिवाल		11 X 0.45=4.95	4.95
		योग				31.59
91	109	बाबूलाल-नारुलाल	आरबीसी	275 / 1	5.5 X 3.4=18.7	18.70
			बासबल्ली		5.5 X 3.1=17.05	17.05
	109A	केशीबाई देवीलाल	आरबीसी	275 / 1	1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		12.1 X 0.45=5.445	5.45
			पी एम आवास		6.2 X 3.7=22.94	22.94
		योग				65.58
92	110	माधुलाल सेवा	कवेलु	274 / 1 / 1	7.2 X 6.5=46.8	46.80
			दिवाल		7.1 X 0.45=3.195	3.20
		योग				50.00
93	111	छीतरमल-सोहनलाल	टीन	275 / 1	6.7 X 3.3=22.11	22.11
		योग				22.11
	112	मो.हनीफ पीर मोहम्मद	कवेलु	275 / 1	5.3 X 4.25=22.525	22.53
			टीन		4.25 X 3.7=15.725	15.73
			दिवाल		19.5 X 0.45=8.775	8.78
		योग				47.03

94	113	शांतिलाल-शंकरलाल	टीन	275 / 1	8 X 3.8=30.4	30.40
			आरबीसी		8 X 3.6=28.8	28.80
			कवेलु		8 X 2.3=18.4	18.40
			बासबल्ली		8 X 3.1=24.8	24.80
		योग				102.40
95	98	बाबुलाल, सुखलाल	आरबीसी	275 / 1	5.6 X 3.6=20.16	20.16
			टीन		5.6 X 2.3=12.88	12.88
	114		कवेलु		7 X 4.5=31.5	31.50
			दिवाल		5.3 X 0.45=2.385	2.39
		योग				66.93
96	115	बरजीबाई-विरना	बासबल्ली	275 / 1	6.1 X 3.7=22.57	22.57
			दिवाल		13.3 X 0.45=5.985	5.99
		योग				28.56
97	116	रंगलाल -नाथू	बासबल्ली	275 / 1	8 X 3.7=29.6	29.60
		योग				29.60
						19.47
98	133	फूलचन्द कालूराम	कवेलु	274 / 1 / 1	5.9 X 3.3=19.47	19.47
			दिवाल		9.2 X 0.45=4.14	4.14
		योग				23.61
99	134	कालूराम-लख्मा	बासबल्ली	274 / 1 / 1	8.3 X 3.7=30.71	30.71
		योग				30.71
						36.60
100	135	मांगीलाल-कालू	कवेलु	274 / 1 / 1	6.1 X 6=36.6	12.02
			दिवाल		26.7 X 0.45=12.015	12.02
		योग				48.62
101	136	उदयशाम-हरिराम	कवेलु	274 / 1 / 1	6.5 X 5.8=37.7	37.70
			टीन		6.9 X 3.7=25.53	25.53
			बासबल्ली		5.5 X 5=27.5	27.50
			दिवाल		8.8 X 0.45=3.96	3.96
		योग				94.69
102	137	बाबुलाल-हरिराम	टीन	274 / 1 / 1	8 X 3.3=26.4	26.40
			आरबीसी		2 X 1.5=3	3.00
		योग				29.40
103	138	कचरूमल हरिराम	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.7 X 3.8=25.46	25.46
			बासबल्ली		6.7 X 2.4=16.08	16.08
			आरवासा		2 X 1.5=3	3.00
		योग				44.54
104	139	प्यारचन्द-हरिराम	आरबीसी	274 / 1 / 1	5.8 X 3.6=20.88	20.88
			टीन		5.8 X 2.5=14.5	14.50
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				36.82
105	140	हरिराम-नारायण	आरबीसी	274 / 1 / 1	9.2 X 3.8=34.96	34.96
		योग				34.96
106	141	शंकर-देवा 2 मकान	कवेलु	274 / 1 / 1	5.7 X 3.7=21.09	21.09
			टीन		5.7 X 2.4=13.68	13.68
			टीन		7.1 X 3.6=25.56	25.56
			टीन		4.65 X 3.35=15.5775	15.58
			बासबल्ली		5.5 X 3.6=19.8	19.80
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		28.9 X 0.45=13.005	13.01
			कवेलु		6.6 X 3.8=25.08	25.08
			बासबल्ली		6.6 X 2.3=15.18	15.18
			बासबल्ली		3 X 2.4=7.2	7.20
			बासबल्ली		3.8 X 3.8=14.44	14.44



			दिवाल		17.9 X 0.45=8.055	8.06
		योग				180.11
107	142	बाबरू-लादुराम	टीन	274 / 1 / 1	5.6 X 3.5=19.6	19.60
			दिवाल		12.6 X 0.45=5.67	5.67
		योग				25.27
108	143	लादुराम-देवा	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.6 X 5.8=38.28	38.28
		योग				38.28
109	144	बोतलाल-हरिराम	बासबल्ली	274 / 1 / 1	6.5 X 5.8=37.7	37.70
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		23.4 X 0.45=10.53	10.53
		योग				49.67
110	145	शंभूलाल-वरदा	कवेलु	274 / 1 / 1	6.3 X 3.7=23.31	23.31
			बासबल्ली		6.3 X 2.5=15.75	15.75
	146		कवेलु		5.2 X 3.8=19.76	19.76
			दिवाल		21.1 X 0.45=9.495	9.50
		योग				68.32
111	147	कजोड-प्रेमा	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.9 X 3.7=25.53	25.53
			बासबल्ली		6.9 X 3=20.7	20.70
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
	147 A	जयराम प्रेमा	आरबीसी	274 / 1 / 1	1.2 X 1.2=1.44	1.44
			बासबल्ली		3.2 X 2.8=8.96	8.96
			दिवाल		22.7 X 0.45=10.215	10.22
		योग				68.29
112	148	मांगीवाई-चन्दा	कवेलु	274 / 1 / 1	5.6 X 3.7=20.72	20.72
		भवरलाल-भेरु	बासबल्ली		3.8 X 3.7=14.06	14.06
			कवेलु		3.6 X 2.2=7.92	7.92
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				44.14
113	149	उदयराम-भवरलाल	कवेलु	274 / 1 / 1	6.15 X 3.55=21.8325	21.83
			बासबल्ली		2.6 X 2.4=6.24	6.24
			दिवाल		6.6 X 0.45=2.97	2.97
		योग				31.04
114	150	भवरलाल-भेरु	कवेलु	275 / 1	5 X 3.4=17	17.00
			टीन		5 X 2.4=12	12.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		14.6 X 0.45=6.57	6.57
		योग				37.01
	153	मोहम्मद हनीफ-पीरमोहम्मद	आरबीसी	275 / 1	16 X 3.5=56	56.00
			टीन		6.2 X 1.55=9.61	9.61
			आरबीसी		3.35 X 2=6.7	6.70
		योग				72.31
115	151	मोतीलाल-चुनालाल	कवेलु	275 / 1	6.7 X 6.15=41.205	41.21
			बासबल्ली		7.5 X 3.5=26.25	26.25
			बासबल्ली		6.9 X 3.2=22.08	22.08
			बासबल्ली		5.3 X 3.2=16.96	16.96
			दिवाल		15.5 X 0.45=6.975	6.98
		योग				113.47
116	152	प्रहलाद-मोतीलाल	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.3 X 4.25=26.775	26.78
			दिवाल		15 X 0.45=6.75	6.75
		योग				33.53

117	154	तेजमल-कालूराम	टीन	274 / 1 / 1	6 X 3.65=21.9	21.90
			बासबल्ली		6 X 2.35=14.1	14.10
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		4.65 X 0.45=2.0925	2.09
		योग				39.53
118	155	राधेश्याम-कालूराम	टीन	274 / 1 / 1	6.4 X 3.65=23.36	23.36
			बासबल्ली		8.6 X 2.35=20.21	20.21
		योग				43.57
119	156	शंभुलाल - भगवानलाल	पी एम आवास	274 / 1 / 1	7.2 X 3.25=23.4	23.40
		योग				23.40
120	157	प्यारीबाई-मोती	कवेलु	274 / 1 / 1	6.8 X 6.3=42.84	42.84
		योग				42.84
121	158	तेजमल-मोती	बासबल्ली	274 / 1 / 1	6.3 X 3.7=23.31	23.31
			दिवाल		6.6 X 0.45=2.97	2.97
		योग				26.28
122	159	धारूलाल-मोती	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.25 X 3.55=22.1875	22.19
			टीन		6.25 X 2.3=14.375	14.38
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		13.7 X 0.45=6.165	6.17
		योग				44.17
123	160	मोहनलाल-भवरलाल	कवेलु	274 / 1 / 1	5.3 X 4.2=22.26	22.26
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		11.3 X 0.45=5.085	5.09
		योग				28.79
124	161	चेनराम-भवरलाल	कवेलु	274 / 1 / 1	5.6 X 5.3=29.68	29.68
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		11.3 X 0.45=5.085	5.09
		योग				36.21
125	162	लालीबाई-प्रेमचन्द	आरबीसी	275 / 1	6.2 X 3.35=20.77	20.77
			टीन		5.45 X 3.65=19.8925	19.89
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		9.8 X 0.45=4.41	4.41
		योग				46.51
126	163	कस्तुरीबाई-हरला	बासबल्ली	275 / 1	9 X 5=45	45.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		26.3 X 0.45=11.835	11.84
		योग				58.28
127	164	सरजूबाई-कजोड	आरबीसी	275 / 1	6.65 X 3.7=24.605	24.61
			कवेलु		3.4 X 2.6=8.84	8.84
			बासबल्ली		3.25 X 2.6=8.45	8.45
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		2.9 X 0.45=1.305	1.31
		योग				44.64
128	165	गोकुल-प्याश	कवेलु	275 / 1	5.2 X 3.4=17.68	17.68
			बासबल्ली		5.2 X 2.5=13	13.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		18.3 X 0.45=8.235	8.24
		योग				40.36
129	166	भेरूलाल-गोकुल	कवेलु	275 / 1	2.6 X 3.4=8.84	8.84
			बासबल्ली		2.6 X 2.5=6.5	6.50
		योग				15.34

130	167	कन्हैयालाल-कजोड	कवेलु	275 / 1	6 X 4.7=28.2	28.20
			बासबल्ली		4.6 X 3.2=14.72	14.72
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		3.9 X 0.45=1.755	1.76
		योग				46.12
131	168	चतरा-मोडा (2 मकान)	आरबीसी	275 / 1	5.8 X 3.5=20.3	20.30
			बासबल्ली		5.8 X 3=17.4	17.40
			कवेलु		5.8 X 5=29	29.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		20.4 X 0.45=9.18	9.18
			पी एम आवास		5.8 X 6.2=35.96	35.96
		योग				113.28
132	169	वाजिद खों-मोम्महद सलोम (4 मकान)	आरबीसी	275 / 1	11.05 X 3.6=39.78	39.78
			टीन		11.05 X 8=88.4	88.40
	169 A		टीन		9.6 X 5.75=55.2	55.20
		योग				183.38
133	170	प्रमुलाल-कजोड	टीन	275 / 1	6.6 X 3.9=25.74	25.74
			टीन		6.6 X 4.1=27.06	27.06
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		2 X 0.45=0.9	0.90
		योग				55.14
134	171	शंकरलाल-भूरा	टीन	275 / 1	5.4 X 3.35=18.09	18.09
			बासबल्ली		5.4 X 2=10.8	10.80
			दिवाल		18.9 X 0.45=8.505	8.51
		योग				37.40
135	172	काशीबाई-कल्याण	कवेलु	275 / 1	4.9 X 2.8=13.72	13.72
			बासबल्ली		4.9 X 2.6=12.74	12.74
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		35.9 X 0.45=16.155	16.16
		योग				44.06
136	173	मदन-लख्मा	आरबीसी	275 / 1	5.9 X 3.65=21.535	21.54
			टीन		5.9 X 2.8=16.52	16.52
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		41.5 X 0.45=18.675	18.68
		योग				58.17
137	174	श्यामलाल-लख्मा	टीन	275 / 1	6 X 2.7=16.2	16.20
			टीन		7 X 3.65=25.55	25.55
			दिवाल		12 X 0.45=5.4	5.40
		योग				47.15
138	175	बंशीलाल-लख्मा	टीन	275 / 1	6.4 X 3.6=23.04	23.04
			बासबल्ली		6.4 X 2.6=16.64	16.64
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		12 X 0.45=5.4	5.40
		योग				46.52
139	176	कन्हैयालाल-लख्मा	टीन	275 / 1	5.75 X 3.45=19.8375	19.84
			टीन		6.1 X 3.8=23.18	23.18
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44

			दिवाल		11.8 X 0.45=5.31	5.31
		योग				49.77
140	177	नारायण-गोकुल	टीन	275 / 1	4.1 X 3.15=12.915	12.92
		योग				12.92
141	178	समीबाई-देराम	कवेलु	275 / 1	5.1 X 4=20.4	20.40
			बासबल्ली		5.1 X 3=15.3	15.30
		योग				35.70
142	179	श्यामलाल-भंवरलाल	टीन	275 / 1	7.3 X 6.3=45.99	45.99
			बासबल्ली		4 X 4=16	16.00
			दिवाल		17.7 X 0.45=7.965	7.97
		योग				69.96
143	180	पन्नालाल-उदा	आरबीसी	275 / 1	6.65 X 3.6=23.94	23.94
			टीन		6.65 X 3.2=21.28	21.28
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		32.4 X 0.45=14.58	14.58
		योग				61.24
144	181	रामलाल-नन्दा	टीन	275 / 1	18.9 X 3.9=73.71	73.71
			कवेलु		7.8 X 4.2=32.76	32.76
			बासबल्ली		6 X 3=18	18.00
			बासबल्ली		7.5 X 3=22.5	22.50
			टीन		4 X 3=12	12.00
			दिवाल		36.2 X 0.45=16.29	16.29
		योग				175.26
145	183	चैनराम-सेवा	टीन	275 / 1	7.3 X 3.7=27.01	27.01
		योग				27.01
	183 A		कवेलु		7.2 X 6.4=46.08	46.08
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		12.3 X 0.45=5.535	5.54
		योग				53.06
146	184	बाबुलाल-चैनराम	कवेलु	275 / 1	6.4 X 5.3=33.92	33.92
			बासबल्ली		3.95 X 2.4=9.48	9.48
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		8.1 X 0.45=3.645	3.65
		योग				48.49
147	185	सुनील-मदन (4 मकान)	टीन	275 / 1	7.2 X 3.6=25.92	25.92
			टीन		4.5 X 3.65=16.425	16.43
			आरबीसी		5 X 3.65=18.25	18.25
			दिवाल		15.7 X 0.45=7.065	7.07
		योग				67.66
148		वाजिद खॉं- मो. सलीम (4मकान)	कवेलु	275 / 1	11 X 4.6=50.6	50.60
			दिवाल		35.7 X 0.45=16.065	16.07
		योग				66.67
149	187	नानुराम-चन्दा	आरबीसी	275 / 1	6.8 X 3.3=22.44	22.44
			बासबल्ली		6.8 X 2.9=19.72	19.72
			बासबल्ली		5 X 4=20	20.00
			दिवाल		16.9 X 0.45=7.605	7.61
		योग				69.77
150	188	बद्रीबाई-नन्दा	कवेलु	275 / 1	5.9 X 3.8=22.42	22.42
			बासबल्ली		5.9 X 2.8=16.52	16.52
			दिवाल		21.7 X 0.45=9.765	9.77

		योग				48.71
151	189	जगदीश-अमरचन्द	बासबल्ली	275 / 1	6 X 3.8=22.8	22.80
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		6 X 0.45=2.7	2.70
		योग				26.94
152	190	जगदीश-अमरचन्द	कवेलु	275 / 1	5.4 X 2.7=14.58	14.58
			बासबल्ली		5.4 X 2.6=14.04	14.04
			दिवाल		15.9 X 0.45=7.155	7.16
		योग				35.78
153	191	जमनालाल-जगदीश	बासबल्ली	275 / 1	7.4 X 3.5=25.9	25.90
		योग				25.90
154	192	नारायण गोकुल	बासबल्ली	275 / 1	2.7 X 2=5.4	5.40
			दीवाल		15.9 X 0.45=7.155	7.16
			आरबीसी		11 X 7.4=81.4	81.40
			बासबल्ली		10.9 X 4.1=44.69	44.69
		योग				138.65
155	193	कमलेश-नारायण	कवेलु	275 / 1	9.6 X 3.6=34.56	34.56
			कवेलु		4.4 X 4.1=18.04	18.04
			आरबीसी		6.9 X 4.5=31.05	31.05
			आरबीसी		3.3 X 1.2=3.96	3.96
			टीन		4.9 X 3.15=15.435	15.44
		योग				103.05
156	194	कन्हैयालाल-पन्ना (2)	कवेलु	275 / 1	6.3 X 6.1=38.43	38.43
			कवेलु		5.4 X 4=21.6	21.60
			बासबल्ली		7.2 X 2.5=18	18.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		15 X 0.45=6.75	6.75
		योग				86.22
157	195	मोहन-उदा	आरबीसी	275 / 1	5.8 X 3.7=21.46	21.46
	196		टीन		5.8 X 2.4=13.92	13.92
			दिवाल		46.8 X 0.45=21.06	21.06
			कवेलु		6.4 X 5=32	32.00
		योग				88.44
158	197	श्यामलाल-मोहन	बासबल्ली	275 / 1	7 X 3.7=25.9	25.90
			दिवाल		22.1 X 0.45=9.945	9.95
		योग				35.85
159	198	रामचन्द्र - पन्नालाल	टीन	275 / 1	10.9 X 3.7=40.33	40.33
			बासबल्ली		9.5 X 2.9=27.55	27.55
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		30.5 X 0.45=13.725	13.73
		योग				83.05
160	199	मांगीलाल-दोला (2 मकान)	टीन	275 / 1	6.9 X 6=41.4	41.40
			टीन		6.1 X 4.4=26.84	26.84
			कवेलु		11.1 X 3.7=41.07	41.07
			टीन		11.1 X 2.4=26.64	26.64
			बासबल्ली		3.3 X 2.9=9.57	9.57
			बासबल्ली		5.2 X 2.75=14.3	14.30
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		43.5 X 0.45=19.575	19.58
		योग				180.84
161	200	प्यारीबाई-प्यारा	आरबीसी	275 / 1	7 X 4=28	28.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44

			दिवाल		14.8 X 0.45=6.66	6.66
		योग				36.10
162	201	कालुराम -रूपा	बासबल्ली	275 / 1	5.8 X 2.3=13.34	13.34
			कवेलु		5.8 X 4=23.2	23.20
			दिवाल		18.1 X 0.45=8.145	8.15
	201 A		बासबल्ली		12.8 X 2.7=34.56	34.56
			दिवाल		10.5 X 0.45=4.725	4.73
		योग				83.97
163	202	कालुराम-आशाराम	टीन	275 / 1	4.2 X 3.25=13.65	13.65
			बासबल्ली		4.2 X 2.25=9.45	9.45
			पी एम आवास		6.4 X 7.1=45.44	45.44
	268		टीन		5 X 3.5=17.5	17.50
			दिवाल		32.7 X 0.45=14.715	14.72
		योग				100.76
164	203	राकेश -रंगलाल	टीन	275 / 1	5.15 X 3.6=18.54	18.54
		योग				18.54
165	204	पप्पूलाल-रंगलाल	टीन	275 / 1	5.15 X 3.6=18.54	18.54
		योग				18.54
166	205	पिरूलाल-रंगलाल	टीन	275 / 1	7.15 X 6.8=48.62	48.62
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				50.06
167	206	छीतरमल-भीमा	टीन	275 / 1	5.9 X 3.6=21.24	21.24
			टीन		1.2 X 1.2=1.44	1.44
168	207	जगदीश-कालू	आरबीसी	275 / 1	5.3 X 3.4=18.02	18.02
			बासबल्ली		5.3 X 2.9=15.37	15.37
			दिवाल		17.8 X 0.45=8.01	8.01
		योग				64.08
169	208	डालीबाई-कालू	आरबीसी	275 / 1	4.4 X 3.4=14.96	14.96
			बासबल्ली		4.4 X 2.9=12.76	12.76
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		8.5 X 0.45=3.825	3.83
	208 A	शंकर भीमा	टीन	275 / 1	5.4 X 3.4=18.36	18.36
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		12 X 0.45=5.4	5.40
		योग				58.19
170	209	घीसालाल-कालू	बासबल्ली	275 / 1	6.6 X 3.6=23.76	23.76
	209 A		पी एम आवास		7 X 3.7=25.9	25.90
			दिवाल		13.5 X 0.45=6.075	6.08
		योग				55.74
171	210	गुलाब-भीमा	टीन	275 / 1	10 X 3.6=36	36.00
			दिवाल		33.1 X 0.45=14.895	14.90
	210 A		टीन		9.4 X 3.6=33.84	33.84
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		11.6 X 0.45=5.22	5.22
		योग				91.40
172	211	श्यामलाल-गुलाब	टीन	275 / 1	6 X 3.7=22.2	22.20
			बासबल्ली		6 X 5.4=32.4	32.40
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		13 X 0.45=5.85	5.85
		योग				61.89
173	212	लालुराम-गुलाब	कवेलु	275 / 1	7 X 3.7=25.9	25.90
			बासबल्ली		7 X 2.4=16.8	16.80

		योग				42.70
174	213	प्रकाशचन्द्र-गुलाब	कवेलु	275 / 1	4.5 X 3.7=16.65	16.65
			बासबल्ली		4.5 X 2.4=10.8	10.80
			दिवाल		33.9 X 0.45=15.255	15.26
		योग				42.71
175	214	घीसालाल-धन्ना	टीन	275 / 1	6.3 X 3.7=23.31	23.31
			बासबल्ली		6.3 X 2.1=13.23	13.23
			बासबल्ली		4.7 X 3.8=17.86	17.86
			दिवाल		33.3 X 0.45=14.985	14.99
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				70.83
176	215	शंकर-घीसालाल	टीन	275 / 1	7.3 X 3.7=27.01	27.01
			बासबल्ली		7.3 X 2.75=20.075	20.08
		योग				47.09
177	216	रामलाल-कजोड	कवेलु	275 / 1	6.9 X 6.2=42.78	42.78
			कवेलु		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		26 X 0.45=11.7	11.70
		योग				55.92
178	217	महेन्द्र कुमार-रामचन्द्र	आवास	275 / 1	7 X 4=28	28.00
			दिवाल		4 X 0.45=1.8	1.80
		योग				29.80
179	218	कजोड- हिसालाल	टीन	275 / 1	7.6 X 4=30.4	30.40
			बासबल्ली		7.6 X 2=15.2	15.20
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		27 X 0.45=12.15	12.15
		योग				59.19
180	219	रामकृष्ण-हिसालाल	टीन	275 / 1	7 X 4.2=29.4	29.40
			बासबल्ली		4.3 X 3=12.9	12.90
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		31.4 X 0.45=14.13	14.13
		योग				57.87
181	220	किशनलाल-घीसालाल	बासबल्ली	275 / 1	6.5 X 3.7=24.05	24.05
			बासबल्ली		6.5 X 2.9=18.85	18.85
			दिवाल		20.5 X 0.45=9.225	9.23
			बासबल्ली		2.9 X 1.5=4.35	4.35
		योग				56.48
182	221	श्यामलाल-छीतरमल	बासबल्ली	275 / 1	6.3 X 2.5=15.75	15.75
			कवेलु		6.3 X 7.1=44.73	44.73
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		10 X 0.45=4.5	4.50
		योग				66.42
183	222	छीतरमल-हिसालाल	बासबल्ली	275 / 1	6 X 5.5=33	33.00
			दिवाल		38 X 0.45=17.1	17.10
		योग				50.10
184	223	कन्हैयालाल-चन्दा	टीन		5.4 X 5.8=31.32	31.32
			बासबल्ली		6.3 X 3.2=20.16	20.16
			दिवाल		76.3 X 0.45=34.335	34.34
		योग				85.82
185	224	हेमराज-देवालाल	आरबीसी	275 / 1	6.2 X 3.7=22.94	22.94
			बासबल्ली		6.2 X 2.5=15.5	15.50
			बासबल्ली		6.5 X 3.7=24.05	24.05
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44

			दिवाल		43 X 0.45=19.35	19.35
	226	हेमराज-देवालाल	टीन	275 / 1	7.2 X 6.9=49.68	49.68
			दिवाल		11 X 0.45=4.95	4.95
		योग				137.91
186	225	मदनलाल-देवालाल	आरबीसी	275 / 1	8.5 X 3.7=31.45	31.45
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			बासबल्ली		6.3 X 2.6=16.38	16.38
			दिवाल		41.4 X 0.45=18.63	18.63
		योग				67.90
187	227	छीतरमल-किशना	बासबल्ली	275 / 1	5.6 X 4.3=24.08	24.08
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		18.6 X 0.45=8.37	8.37
		योग				33.89
188	228	हिरालाल-भंवरलाल	बासबल्ली	275 / 1	5.2 X 3.4=17.68	17.68
	236	हिरालाल-भंवरलाल	टीन	275 / 1	8.8 X 3.7=32.56	32.56
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				51.68
189	229	भेरुलाल-देवालाल -2	आरबीसी	275 / 1	6.3 X 3.65=22.995	23.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				24.44
190	230	तुलसीबाई-देवालाल	टीन	275 / 1	5.4 X 3.3=17.82	17.82
			कवेलु		6.6 X 3.5=23.1	23.10
			टीन		6.6 X 2.9=19.14	19.14
			दिवाल		11 X 0.45=4.95	4.95
		योग				65.01
191	231	सुखलाल-कालूराम	कवेल	275 / 1	6 X 5.8=34.8	34.80
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				36.24
192	232	भंवरबाई बेवा देवी	आरबीसी	275 / 1	1.2 X 1.2=1.44	1.44
			कवेलु		6 X 5.8=34.8	34.80
		योग				36.24
193	233	बंशीलाल - हिरालाल	टीन	275 / 1	6 X 5.8=34.8	34.80
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			बासबल्ली		8.5 X 3.2=27.2	27.20
			दिवाल		37.8 X 0.45=17.01	17.01
		योग				80.45
194	234	लक्ष्मीबाई-खेमा	टीन	275 / 1	6 X 2.3=13.8	13.80
			कवेलु		6 X 3.6=21.6	21.60
			दिवाल		21.7 X 0.45=9.765	9.77
		योग				45.17
195	235	शंकरलाल-हिरालाल	टीन	275 / 1	6.8 X 3.8=25.84	25.84
			बासबल्ली		6.8 X 2.8=19.04	19.04
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		11.6 X 0.45=5.22	5.22
		योग				51.54
197	238	आनीबाई-गोकुल	आरबीसी	275 / 1	7.2 X 3.6=25.92	25.92
			टीन		7.2 X 3.5=25.2	25.20
			दिवाल		30 X 0.45=13.5	13.50
		योग				64.62
198	239	शंभूडीबाई-शोमलाल-2	आरबीसी	275 / 1	5.45 X 3.6=19.62	19.62
			टीन		5.45 X 3.5=19.075	19.08
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44



			दिवाल		28.2 X 0.45=12.69	12.69
		योग				52.83
199	242	बख्ता-कालू	आरबीसी	275 / 1	4 X 3.6=14.4	14.40
			बासबल्ली		4 X 2.5=10	10.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				25.84
200	243	नारूलाल-बख्ता	कवेलु	275 / 1	6 X 3.8=22.8	22.80
			दिवाल		13 X 0.45=5.85	5.85
		योग				28.65
201	244	मागीलाल-बख्ता	आरबीसी	275 / 1	5.7 X 3.6=20.52	20.52
			बासबल्ली		5.7 X 2.5=14.25	14.25
			दिवाल		3 X 0.45=1.35	1.35
		योग				36.12
202	245	भागचन्द्र-देवी	बासबल्ली	274/1/1	5.7 X 3.8=21.66	21.66
			बासबल्ली		5.7 X 2.4=13.68	13.68
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				36.78
203	246	केलाराम-देवी	दिवाल	274/1/1	12.8 X 0.45=5.76	5.76
			दिवाल		11.5 X 0.45=5.175	5.18
			खोली		3.3 X 3.1=10.23	10.23
		योग				21.17
204	247	सोहनीबाई-बख्ता	कवेलु	274/1/1	6.5 X 6.3=40.95	40.95
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		8.8 X 0.45=3.96	3.96
		योग				46.35
	251	रामलाल देवी	कवेलु	274/1/1	5.6 X 6.3=35.28	35.28
			कवेलु		6.8 X 6.3=42.84	42.84
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			बासबल्ली		5.5 X 3.5=19.25	19.25
			दिवाल		7 X 0.45=3.15	3.15
		योग				101.96
205	248	चतरालाल-बख्ता	कवेलु	274/1/1	6.5 X 5.4=35.1	35.10
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		23.3 X 0.45=10.485	10.49
		योग				47.03
206	249	नारायण-भगवान	कवेलु	274/1/1	4.3 X 3.3=14.19	14.19
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		8.5 X 0.45=3.825	3.83
		योग				19.46
207	250		दिवाल	274/1/1	22 X 0.45=9.9	9.90
	252	रामलाल-देवी	कवेलु	274/1/1	5.9 X 3.1=18.29	18.29
	253	देवालाल-नाथू	आरबीसी	274/1/1	6 X 3.6=21.6	21.60
			बासबल्ली		5.9 X 4.7=27.73	27.73
			बासबल्ली		6 X 3=18	18.00
			कवेलु		4 X 3.5=14	14.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		15.2 X 0.45=6.84	6.84
		योग				89.61
209	254	नन्दलाल-प्रताप	कवेलु	274/1/1	4.3 X 3.4=14.62	14.62
			बासबल्ली		5 X 5=25	25.00

			दिवाल		$3.7 \times 0.45=1.665$	1.67
		योग				41.29
210	255	प्रताप-नाथू	आरबीसी	274/1/1	$6.3 \times 3.3=20.79$	20.79
			बासबल्ली		$6.3 \times 4.3=27.09$	27.09
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$4.4 \times 0.45=1.98$	1.98
		योग				51.30
211	256	सुरेशचन्द्र-बालू	बासबल्ली	274/1/1	$4.6 \times 3.4=15.64$	15.64
			दिवाल		$15.7 \times 0.45=7.065$	7.07
		योग				22.71
212	257	मांगीलाल-बालू	कवेलु	274/1/1	$5.7 \times 3.6=20.52$	20.52
			बासबल्ली		$5.7 \times 2.3=13.11$	13.11
			बासबल्ली		$6.7 \times 3.5=23.45$	23.45
			बासबल्ली		$4 \times 3.7=14.8$	14.80
			दिवाल		$7.9 \times 0.45=3.555$	3.56
		योग				75.44
213	258	हिरालाल-भगवान	कवेलु	274/1/1	$10.3 \times 3.7=38.11$	38.11
			बासबल्ली		$10.3 \times 2.5=25.75$	25.75
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$5.5 \times 0.45=2.475$	2.48
		योग				67.78
214	259	लामचन्द्र-हिरालाल	दिवाल	274/1/1	$5.4 \times 0.45=2.43$	2.43
			टीन		$7.1 \times 3.8=26.98$	26.98
			बासबल्ली		$7.1 \times 2.7=19.17$	19.17
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
		योग				50.02
215	260	राधेश्याम-हिरालाल	कवेलु	274/1/1	$4.7 \times 3.7=17.39$	17.39
			बासबल्ली		$4.6 \times 3.7=17.02$	17.02
			दिवाल		$5.5 \times 0.45=2.475$	2.48
		योग				36.89
216	261	श्यामलाल-कजोड़	कवेलु	274/1/1	$6.7 \times 6.5=43.55$	43.55
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$13.5 \times 0.45=6.075$	6.08
		योग				51.07
217	262	छजनीबाई-छोगा	कवेलु	274/1/1	$5.4 \times 3.7=19.98$	19.98
	262 A		बासबल्ली		$5.4 \times 2.6=14.04$	14.04
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$22.5 \times 0.45=10.125$	10.13
		योग				45.59
218	263	छीतरमल-छोगा	आरबीसी	274/1/1	$8.5 \times 3.4=28.9$	28.90
	263 A		आरबीसी		$7.2 \times 3.6=25.92$	25.92
		योग				54.82
219	264	छीतरमल-माना	आरबीसी	274/1/1	$6.8 \times 3.6=24.48$	24.48
			टीन		$6.8 \times 2.5=17$	17.00
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44
			दिवाल		$21.2 \times 0.45=9.54$	9.54
			कवेलु		$5.8 \times 5=29$	29.00
	264 A		दिवाल		$16.4 \times 0.45=7.38$	7.38
			दिवाल		$4 \times 0.45=1.8$	1.80
	264 B		दिवाल			90.64
		योग				54.90
220	265	देवलाल-देवी	कवेलु	274/1/1	$9 \times 6.1=54.9$	54.90
			आरबीसी		$1.2 \times 1.2=1.44$	1.44

		योग				54.82
219	264	छीतरमल-माना	आरबीसी	274/1/1	6.8 X 3.6=24.48	24.48
			टीन		6.8 X 2.5=17	17.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		21.2 X 0.45=9.54	9.54
	264 A		कवेलु		5.8 X 5=29	29.00
			दिवाल		16.4 X 0.45=7.38	7.38
	264 B		दिवाल		4 X 0.45=1.8	1.80
						90.64
		योग				54.90
220	265	देवालाल-देवी	कवेलु	274/1/1	9 X 6.1=54.9	1.44
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	10.76
			दिवाल		23.9 X 0.45=10.755	24.49
	265 A		आरसीसी		6.2 X 3.95=24.49	91.59
		योग				23.45
221	266	रामलाल-देवालाल	कवेलु	274/1/1	6.7 X 3.5=23.45	6.21
			कवेलु		2.7 X 2.3=6.21	30.21
			बासबल्ली		5.7 X 5.3=30.21	1.44
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	61.31
		योग				12.81
222	267	बाबुलाल-रामलाल	कवेलु	274/1/1	4.2 X 3.05=12.81	21.60
			बासबल्ली		5.4 X 4=21.6	3.78
			दिवाल		8.4 X 0.45=3.78	38.19
		योग				33.25
223	269	कजोड-हरिराम	टीन	274/1/1	9.5 X 3.5=33.25	20.70
			टीन		6.9 X 3=20.7	18.00
			बासबल्ली		4.5 X 4=18	12.02
			दिवाल		26.7 X 0.45=12.015	83.97
		योग				40.30
224	272	शिवलाल-मागीलाल	टीन	274/1/1	6.2 X 6.5=40.3	16.12
			बासबल्ली		6.2 X 2.6=16.12	39.00
	273	शिवलाल-मागीलाल	आरसीसी	274/1/1	6 X 6.5=39	3.00
			टीन		2 X 1.5=3	98.42
		योग				16.77
225	274	कालूराम-भंवरलाल	बासबल्ली	275/1	4.3 X 3.9=16.77	16.77
		योग				21.20
226	275	सौंदर-भंवरलाल	बासबल्ली	275/1	5.3 X 4=21.2	12.72
			बासबल्ली		5.3 X 2.4=12.72	33.92
		योग				27.01
227	276	भंवरलाल-खेमा	टीन	275/1	7.3 X 3.7=27.01	24.82
			बासबल्ली		7.3 X 3.4=24.82	51.83
		योग				16.92
228	277	लादुराम-भंवरलाल	बासबल्ली	275/1	4.7 X 3.6=16.92	2.57
			दिवाल		5.7 X 0.45=2.565	19.49
		योग				25.90
229	278	सुरजमल-वरदा	आरबीसी	275/1	7 X 3.7=25.9	18.90
			बासबल्ली		7 X 2.7=18.9	1.44
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	46.24
		योग				18.62
230	279	नारूलाल-वेणीराम	कवेलु	275/1	7.3 X 2.55=18.615	1.04
			दिवाल		2.3 X 0.45=1.035	19.65
		योग				21.24
231	280	शंभूडीबाई-वेणीराम	कवेलु	275/1	5.9 X 3.6=21.24	15.93
			बासबल्ली		5.9 X 2.7=15.93	7.20
			दिवाल		16 X 0.45=7.2	

		योग				44.37
232	281	जमनालाल-वेणीराम	टीन	275 / 1	6.5 X 3.6=23.4	23.40
			दिवाल		17.6 X 0.45=7.92	7.92
		योग				31.32
233	282	घाणुबाई-रूपा	कवेलु	274/1 /1	5.85 X 3.3=19.305	19.31
			दिवाल		37 X 0.45=16.65	16.65
		योग				35.96
234	283	शांतिलाल-भंवरलाल	कवेलु	274/1 /1	6.7 X 3.6=24.12	24.12
			बासबल्ली		5.9 X 3.1=18.29	18.29
		योग				42.41
235	284	देवीलाल-भंवरलाल	कवेलु	274/1 /1	5.8 X 3.6=20.88	20.88
			बासबल्ली		4.3 X 3.8=16.34	16.34
		योग				37.22
236	285	भंवरलाल-माधु	आरबीसी	274/1 /1	6.8 X 3.7=25.16	25.16
			बासबल्ली		6.8 X 6=40.8	40.80
		योग				65.96
237	286	मांगीलाल-माधु	बासबल्ली	274/1 /1	5 X 3.8=19	19.00
			दिवाल		5 X 0.45=2.25	2.25
	286 A		बासबल्ली		6.6 X 2.9=19.14	19.14
		योग				40.39
238	287	लामचन्द-मांगीलाल	बासबल्ली	275 / 1	7.2 X 6=43.2	43.20
			दिवाल		9 X 0.45=4.05	4.05
		योग				47.25
239	288	मांगीलाल-काना	आरबीसी	275 / 1	6.3 X 3.7=23.31	23.31
			बासबल्ली		6.3 X 2.75=17.325	17.33
			बासबल्ली		7.5 X 3=22.5	22.50
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		4 X 0.45=1.8	1.80
	289	मांगीलाल-काना	आरबीसी	275 / 1	6 X 3.7=22.2	22.20
			टीन		6 X 2.75=16.5	16.50
			दिवाल		16.5 X 0.45=7.425	7.43
		योग				112.50
240	290	पन्नालाल-काना	आरबीसी	275 / 1	7 X 3.6=25.2	25.20
			टीन		7 X 3.5=24.5	24.50
			बासबल्ली		2.6 X 2.5=6.5	6.50
			दिवाल		39.6 X 39.6=1568.16	1568.16
		योग				1624.36
241	291	नानालाल-काना	आरबीसी	275 / 1	6.6 X 3.6=23.76	23.76
			टीन		6.6 X 2.6=17.16	17.16
			बासबल्ली		6.4 X 3.4=21.76	21.76
			दिवाल		16.9 X 0.45=7.605	7.61
		योग				70.29
242	292	रमेशचन्द-प्यारचन्द	कवेलु	274 / 1/ 1	6.5 X 4.5=29.25	29.25
			बासबल्ली		6.5 X 2.7=17.55	17.55
			दिवाल		47.6 X 0.45=21.42	21.42
		योग				68.22
243	293	गेन्दमल-देवा	आरबीसी	274 / 1/ 1	5.4 X 3.15=17.01	17.01
			टीन		5.4 X 3=16.2	16.20
			बासबल्ली		4.7 X 3.2=15.04	15.04
			बासबल्ली		6.2 X 3.2=19.84	19.84
			दिवाल		16.4 X 0.45=7.38	7.38
		योग				75.47
244	294	प्यारचन्द-देवा दायमा	आरबीसी	274 / 1/ 1	5.8 X 3.2=18.56	18.56
			कवेलु		5.8 X 2.6=15.08	15.08

			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		9.4 X 0.45=4.23	4.23
		योग				39.31
245	295	शांतिलाल-प्यारचन्द	आरबीसी	274 / 1/ 1	5 X 3.2=16	16.00
			टीन		5 X 2.6=13	13.00
			टीन		6.1 X 3.6=21.96	21.96
			दिवाल		14.3 X 0.45=6.435	6.44
		योग				57.40
246	296	श्यामलाल-गोहन	बासबल्ली	274 / 1/ 1	5 X 5.5=27.5	27.50
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		32.7 X 0.45=14.715	14.72
		योग				43.66
247	297	पृथ्वीराज-गोपाल	टीन	274 / 1/ 1	6.2 X 3.8=23.56	23.56
			बासबल्ली		6.2 X 2.6=16.12	16.12
			बासबल्ली		6.4 X 3.5=22.4	22.40
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		67.1 X 0.45=30.195	30.20
		योग				93.72
248	298	प्रेमचन्द-कालूराम	बासबल्ली	274 / 1/ 1	6.1 X 6.3=38.43	38.43
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				39.87
249	299	कालूराम-सुरजा	बासबल्ली	274 / 1/ 1	6.9 X 4.1=28.29	28.29
			बासबल्ली		6.3 X 4=25.2	25.20
			बासबल्ली		2.5 X 2.3=5.75	5.75
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			आरबीसी		5.8 X 3.6=20.88	20.88
		योग				81.56
250	300	जगदीश-कालूराम	कवेलु	274 / 1/ 1	6.4 X 3.5=22.4	22.40
			बासबल्ली		6.4 X 2.65=16.96	16.96
			पी एम आवास		5.8 X 3.6=20.88	20.88
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				61.68
251	301	रूपलाल-कालूराम	आरबीसी	274 / 1/ 1	6.9 X 3.5=24.15	24.15
			टीन		6.9 X 2.65=18.285	18.29
			दिवाल		6.8 X 0.45=3.06	3.06
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				46.94
252	302	श्यामलाल-नारायण	आरबीसी	274 / 1/ 1	5.7 X 3.4=19.38	19.38
			टीन		5.7 X 2.7=15.39	15.39
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		71.5 X 0.45=32.175	32.18
		योग				68.39
253	303	नारायण-सुरजा	कवेलु	274 / 1/ 1	6.5 X 4.2=27.3	27.30
			कवेलु		6 X 3.8=22.8	22.80
	323		दिवाल		38.8 X 0.45=17.46	17.46
			कवेलु		6 X 3.6=21.6	21.60
		योग				89.16
254	304	गौरूलाल-घीसालाल	कवेलु	274 / 1/ 1	5.6 X 3.5=19.6	19.60
			टीन		5.6 X 2.4=13.44	13.44
			दिवाल		13.75 X 0.45=6.1875	6.19
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				40.67
255	305	घीसालाल-जगरूप	कवेलु	274 / 1/ 1	6.5 X 3.5=22.75	22.75
			टीन		6.5 X 2.4=15.6	15.60

			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		13.75 X 0.45=6.1875	6.19
		योग				45.98
256	306	कमलेश-घीसालाल	टीन	274 / 1/ 1	5.2 X 3.5=18.2	18.20
			बासबल्ली		5.2 X 2.4=12.48	12.48
			दिवाल		13.75 X 0.45=6.1875	6.19
		योग				36.87
257	307	बंशीलाल-घीसालाल	टीन	274 / 1/ 1	5.6 X 3.5=19.6	19.60
			बासबल्ली		5.6 X 2.4=13.44	13.44
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		13.75 X 0.45=6.1875	6.19
		योग				40.67
258	308	सुरेशचन्द-घीसालाल	टीन	274 / 1/ 1	5.8 X 3.5=20.3	20.30
			बासबल्ली		5.8 X 2.4=13.92	13.92
			दिवाल		30.6 X 0.45=13.77	13.77
			बासबल्ली		7.2 X 3.7=26.64	26.64
		योग				74.63
259	309	सुरेश-रामचन्द	टीन	274 / 1/ 1	5.7 X 3.7=21.09	21.09
			बासबल्ली		5.7 X 2.5=14.25	14.25
			दिवाल		12.6 X 0.45=5.67	5.67
		योग				41.01
260	310	रामचन्द-मोती	कवेलु	274 / 1/ 1	6.5 X 3.7=24.05	24.05
			टीन		6.5 X 2.5=16.25	16.25
			बासबल्ली		5.2 X 3.3=17.16	17.16
			दिवाल		43.4 X 0.45=19.53	19.53
		योग				76.99
261	311	गंगासम-भगवान	आरबीसी	274 / 1/ 1	7.3 X 3.7=27.01	27.01
		योग				27.01
262	312	शंभूडीबाई-भगवान	कवेलु	274 / 1/ 1	6.6 X 3.7=24.42	24.42
			कवेलु		6 X 3=18	18.00
			दिवाल		16 X 0.45=7.2	7.20
		योग				49.62
263	313	किशन-मोती	कवेलु	274 / 1/ 1	6.5 X 3.5=22.75	22.75
			बासबल्ली		6.5 X 2.5=16.25	16.25
			बासबल्ली		9 X 2.8=25.2	25.20
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		26.4 X 0.45=11.88	11.88
		योग				77.52
264	314	शंकरलाल-मोती	कवेलु	274 / 1/ 1	5.4 X 3.6=19.44	19.44
			दिवाल		10.8 X 0.45=4.86	4.86
		योग				24.30
265	315	नाथूलाल-रामा	आरबीसी	274 / 1/ 1	6 X 3.4=20.4	20.40
			कवेलु		6.4 X 2.4=15.36	15.36
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		22 X 0.45=9.9	9.90
		योग				47.10
266	316	मांगीबाई-रामा	टीन	274 / 1/ 1	5.8 X 3.4=19.72	19.72
			कवेलु		5.8 X 2.4=13.92	13.92
			बासबल्ली		4.5 X 3.5=15.75	15.75
			दिवाल		17.5 X 0.45=7.875	7.88
		योग				57.27
267	317	श्यामलाल-मोजीराम	बासबल्ली	274 / 1/ 1	4.5 X 3=13.5	13.50
			टीन		3.5 X 12=42	42.00
			बासबल्ली		7.2 X 2.5=18	18.00

			दिवाल		12.4 X 0.45=5.58	5.58
		योग				79.08
268	318	चम्पालाल-मोजीराम	टीन	274 / 1/ 1	6.1 X 5.5=33.55	33.55
			आरबीसी		6.75 X 3.6=24.3	24.30
			टीन		6.75 X 2.5=16.875	16.88
			आरबीसी		5.5 X 4=22	22.00
			कवेलु		5.5 X 2.9=15.95	15.95
			टीन		7.2 X 3.5=25.2	25.20
			बासबल्ली		7.2 X 3=21.6	21.60
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		7.5 X 0.45=3.375	3.38
		योग				164.29
269	319	शंभुलाल-मोजीराम	आरबीसी	274 / 1/ 1	9.4 X 3.5=32.9	32.90
			कवेलु		2.1 X 3.5=7.35	7.35
			बासबल्ली		9.4 X 3.1=29.14	29.14
			बासबल्ली		2.1 X 3.1=6.51	6.51
			कवेलु		10.6 X 4.4=46.64	46.64
			आरबीसी		2.5 X 2.35=5.875	5.88
			दिवाल		6.6 X 0.45=2.97	2.97
		योग				131.39
270	320	जानालाल-गोपाल	आरबीसी	274 / 1/ 1	5 X 3.7=18.5	18.50
			कवेलु		5 X 2.7=13.5	13.50
			बासबल्ली		7 X 2.7=18.9	18.90
			दिवाल		40 X 0.45=18	18.00
		योग				68.90
271	321	देराम-मंवरलाल	आरबीसी	274 / 1/ 1	3.45 X 6.5=22.425	22.43
		योग				22.43
272	322	भूवानीराम-कालूराम	कवेलु	274 / 1/ 1	8.4 X 3.6=30.24	30.24
			बासबल्ली		6.25 X 3.45=21.5625	21.56
			दिवाल		27 X 0.45=12.15	12.15
	322 A		पी एम आवास		3.8 X 9.7=36.86	36.86
		योग				100.81
273	324	हिरालाल-गोपाल	कवेलु	274 / 1/ 1	5.45 X 3.5=19.075	19.08
			बासबल्ली		2.95 X 5.45=16.0775	16.08
			बासबल्ली		3.7 X 6=22.2	22.20
			बासबल्ली		4.25 X 3.25=13.8125	13.81
			दिवाल		13.8 X 0.45=6.21	6.21
		योग				77.38
274	325	सुन्दरबाई-मंवरलाल	कवेलु	274 / 1/ 1	8.5 X 5.2=44.2	44.20
			कवेलु		6.9 X 5.9=40.71	40.71
			आरबीसी		6 X 2.6=15.6	15.60
			दिवाल		42.5 X 0.45=19.125	19.13
		योग				119.64
275	326	भूलीबाई-गोपाल	बासबल्ली	274 / 1/ 1	5.4 X 3.6=19.44	19.44
			कवेलु		5.5 X 3.6=19.8	19.80
			दिवाल		22.5 X 0.45=10.125	10.13
			पी एम आवास		3.65 X 8.85=32.3025	32.30
	326 A		दिवाल		25 X 0.45=11.25	11.25
		योग				92.92
276	327	बाबुलाल-गोपाल	कवेलु	274 / 1/ 1	3.4 X 5.6=19.04	19.04
			बासबल्ली		5.6 X 2.4=13.44	13.44
			बासबल्ली		5.6 X 2.5=14	14.00
			दिवाल		40.8 X 0.45=18.36	18.36
		योग				64.84

277	328	शंभुलाल-देवा	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.2 X 3.7=22.94	22.94
			टीन		6.2 X 2.6=16.12	16.12
			बासबल्ली		5 X 2.4=12	12.00
			बासबल्ली		6.3 X 3.25=20.475	20.48
			बासबल्ली		3.8 X 3.2=12.16	12.16
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		13.8 X 0.45=6.21	6.21
		योग				91.35
278	329	प्यारचन्द-देवा	बासबल्ली	274 / 1 / 1	4.4 X 8=35.2	35.20
			बासबल्ली		2.4 X 6.7=16.08	16.08
			कवेलु		3.7 X 6.7=24.79	24.79
			दिवाल		18.4 X 0.45=8.28	8.28
		योग				84.35
279	330	मन्गीलाल-प्यारचन्द	आरबीसी	274 / 1 / 1	4.1 X 5.4=22.14	22.14
		योग				22.14
280	331	देराम-भंवरलाल	कवेलु	274 / 1 / 1	9.4 X 6.1=57.34	57.34
			टीन		9.4 X 4.2=39.48	39.48
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		11.2 X 0.45=5.04	5.04
		योग				103.30
281	333	रमेशवरलाल-पन्नालाल	आरबीसी	274 / 1 / 1	5.8 X 6.7=38.86	38.86
	334		कवेलु		5.5 X 6=33	33.00
			दिवाल		21.5 X 0.45=9.675	9.68
		योग				81.54
282	335	पन्नालाल-प्रभु	कवेलु	274 / 1 / 1	9.7 X 6=58.2	58.20
			बासबल्ली		4 X 3=12	12.00
			पी एम आवास		3.9 X 7.3=28.47	28.47
			दिवाल		6.6 X 0.45=2.97	2.97
		योग				101.64
283	336	शंभुलाल-प्रभु	टीन	274 / 1 / 1	5.8 X 5.6=32.48	32.48
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				33.92
	332	भेरुलाल-देराम	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.3 X 3.3=20.79	20.79
			टीन		6.3 X 2.8=17.64	17.64
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
		योग				39.87
284	337	श्यामलाल-मोहन	आरबीसी	274 / 1 / 1	5.5 X 3.4=18.7	18.70
			टीन		5.5 X 3=16.5	16.50
			बासबल्ली		5 X 2.3=11.5	11.50
			बासबल्ली		8 X 1.6=12.8	12.80
			बासबल्ली		8 X 1.9=15.2	15.20
			बासबल्ली		8 X 3.4=27.2	27.20
			टीन		5.7 X 5.1=29.07	29.07
	340		कवेलु		23 X 0.45=10.35	10.35
			दिवाल			141.32
		योग				19.72
285	338	मोहन-प्रभु	आरबीसी	274 / 1 / 1	5.8 X 3.4=19.72	19.72
			टीन		5.8 X 3=17.4	17.40
			बासबल्ली		3.2 X 2.9=9.28	9.28
			टीन		3.8 X 3.7=14.06	14.06
			टीन		8.5 X 3.6=30.6	30.60
			दिवाल		19.3 X 0.45=8.685	8.69
		योग				99.75
286	339	शंकर-प्रभु	कवेलु	274 / 1 / 1	7 X 3.6=25.2	25.20
			आरबीसी		7 X 3.2=22.4	22.40



			दिवाल		61.3 X 0.45=27.585	27.59
		योग				75.19
287	341	देवालाल-नन्दा	आरबीसी	274 / 1/ 1	5.8 X 3.4=19.72	19.72
			बासबल्ली		5.8 X 2.5=14.5	14.50
			दिवाल		48.6 X 0.45=21.87	21.87
		योग				56.09
288	342	नन्दा-लालू	कवेलु	274 / 1/ 1	5.5 X 5.4=29.7	29.70
			बासबल्ली		3.2 X 3.7=11.84	11.84
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		31.5 X 0.45=14.175	14.18
		योग				57.16
289	343	भेरूलाल-भंवरलाल	आरबीसी	274 / 1/ 1	6.6 X 3.6=23.76	23.76
			टीन		6.6 X 2.85=18.81	18.81
			बासबल्ली		5.8 X 2.95=17.11	17.11
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		31.2 X 0.45=14.04	14.04
		योग				75.16
290	344	शंकरलाल-गोपाल	बासबल्ली	274 / 1/ 1	6.2 X 5.2=32.24	32.24
			दिवाल		23.5 X 0.45=10.575	10.58
		योग				42.82
291	345	मांगीलाल-शंकरलाल	टीन	274 / 1/ 1	6.1 X 6.5=39.65	39.65
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		23.8 X 0.45=10.71	10.71
		योग				51.80
292	346	घीसालाल-देवा	आरबीसी	274 / 1/ 1	6.6 X 3.5=23.1	23.10
			बासबल्ली		6.6 X 2.5=16.5	16.50
			बासबल्ली		5.6 X 2.5=14	14.00
			दिवाल		30.8 X 0.45=13.86	13.86
	346 A		आरबीसी		6.5 X 3.95=25.675	25.68
		योग				93.14
293	347	कचरूलाल-भाना	आरबीसी	274 / 1/ 1	6.3 X 3.6=22.68	22.68
			टीन		6.3 X 3=18.9	18.90
			बासबल्ली		4.5 X 6=27	27.00
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		36.7 X 0.45=0.45	0.45
		योग				70.47
294	348	प्रकाश-रामलाल	आरबीसी	274 / 1/ 1	5.7 X 3.5=19.95	19.95
			कवेलु		5.7 X 2.5=14.25	14.25
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		20.3 X 0.45=9.135	9.14
		योग				44.78
295	349	नारूलाल-रामलाल	टीन	274 / 1/ 1	3.9 X 3.5=13.65	13.65
			दिवाल		20.3 X 0.45=9.135	9.14
		योग				22.79
296	350	रामलाल-हरा	टीन	274 / 1/ 1	4.3 X 3.5=15.05	15.05
			दिवाल		20.3 X 0.45=9.135	9.14
		योग				24.19
297	351	प्रकाश-राजू	कवेलु	274 / 1/ 1	5.8 X 5.7=33.06	33.06
			बासबल्ली		4.1 X 2.7=11.07	11.07
			दिवाल		22.1 X 0.45=9.945	9.95
		योग				54.08

298	352	जयलाल-भंवरलाल	कवेलु	274 / 1 / 1	4.4 X 4=17.6	17.60
			बासबल्ली		4 X 2.5=10	10.00
		योग				27.60
299	353	भंवरलाल-जगरूप	कवेलु	274 / 1 / 1	7.1 X 3.9=27.69	27.69
			बासबल्ली		3.6 X 2.3=8.28	8.28
			बासबल्ली		4 X 3.2=12.8	12.80
			दिवाल		16.4 X 0.45=7.38	7.38
		योग				56.15
300	354	बागालाल-हिरालाल	आरबीसी	274 / 1 / 1	5.9 X 3.9=23.01	23.01
			कवेलु		5.9 X 2.85=16.815	16.82
			कवेलु		5.6 X 3.9=21.84	21.84
			बासबल्ली		3.9 X 2.5=9.75	9.75
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		19.1 X 0.45=8.595	8.60
		योग				81.45
301	355	हिरालाल-जगरूप	बासबल्ली	274 / 1 / 1	4.3 X 3.5=15.05	15.05
		योग				15.05
302	356	रामचन्द्र-हिरालाल	टीन	274 / 1 / 1	8.9 X 3.65=32.485	32.49
			कवेलु		7 X 6.2=43.4	43.40
			बासबल्ली		4.2 X 3.2=13.44	13.44
			दिवाल		33.5 X 0.45=15.075	15.08
		योग				104.40
303	357	राजू-लालू	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.4 X 3.6=23.04	23.04
			बासबल्ली		3.2 X 4.5=14.4	14.40
			बासबल्ली		3.6 X 4.1=14.76	14.76
			बासबल्ली		6.4 X 5.7=36.48	36.48
			आरबीसी		1.2 X 1.2=1.44	1.44
			दिवाल		28.3 X 0.45=12.735	12.74
		योग				102.86
304	359	कन्हैयालाल-भाना	आरबीसी	274 / 1 / 1	6.55 X 3.5=22.925	22.93
		योग				22.93
305	369	भागचन्द्र देवीलाल	बासबल्ली	274 / 1 / 1	6 X 3.7=22.2	22.20
			बासबल्ली		6 X 2.5=15	15.00
			दिवाल		21 X 0.45=9.45	9.45
		योग				46.65
	370	केलाराम देवीलाल	बासबल्ली	274 / 1 / 1	7.3 X 5.3=38.69	38.69
			दिवाल		25.8 X 0.45=11.61	11.61
		योग				50.30
	371	बख्ता कालू भील	टीन	274 / 1 / 1	9 X 3.65=32.85	32.85
			बासबल्ली		9 X 2.6=23.4	25.40
			दिवाल		8 X 0.45=3.6	3.60
		योग				59.85

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 41-भू-अर्जन-प्र.क्र. 02-अ-82-2022-23

## (देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

1. परियोजना का नाम : बाण्डा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से
2. भूमि का विवरण
1. जिला : नीमच
2. तहसील : सिंगोली
3. ग्राम : जेथलिया
4. प.ह.नं. : 13
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 28.2750 हे

## अनुसूची -01

सं.क्र.	खातेदारों के नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रं.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. मे)	अर्जित भूमि ( रकबा हेक्टे. में)		भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूलीबाई बेवा-नंदा, भागचन्द, जगदीश, विमला, इंदिरा पिता बाबरू, जानीबाई बेवा बाबरू, छीतर पिता नारायण, मांगीबाई बेवा नारायण, छोगा चुन्दा, भंवरलाल पिता वरदा समभाग जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	67	0.2610	0.1460	-	-

2	भागचन्द पिता बाबरु जाति गुर्जर जगदीश पिता बाबरु जाति गुर्जर विमला पिता बाबरु जाति गुर्जर इंदिरा पिता बाबरु जाति गुर्जर जानीबाई बेवा बाबरु जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	68/1	0.0340	0.0340	-	-
3	प्रकाशचंद पिता भेरूलाल जाति धाकड पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	68/2	0.1330	0.1330	-	-
4	रामकिशन पिता हिरालाल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/1/1	0.1840	0.0310	-	महुआ-
5/1	शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/1/2	0.1960	0.0550	-	पिपल-2 कडी-1
			86/3	0.1220	0.0350	-	-
			104/2	0.5850	0.3350	-	-
			226	0.2720	0.2720	-	पक्का कुअ आम-3, महुआ-1
			231/2	0.1740	0.1740	-	-
5/2	शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	89/2	0.2110	0.0520	-	कच्चा कुअ आम-1 महुआ-2
5/3	शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	104/3	0.2930	0.1990	-	-

5/4	शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता, नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	203/1	0.3040	0.1220	-	खाखरा-सागवान-
			208	0.5230	0.5230	-	-
			209	0.3550	0.3550	-	-
5/5	शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/1/1	0.3520	0.1130	-	-
6	बाबु पिता काशीराम जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	86/2	0.2500	0.0630	-	-
7	नानुराम पिता दल्ला जाति भील सीताराम पिता दल्ला जाति भील नंदा पिता भोला जाति भील मांगीलाल पिता वरदा जाति भील केला पिता नोला जाति भील बालू पिता छोगा जाति भील भेरू पिता छोगा जाति भील कजोड़ पिता छोगा जाति भील गोकल पिता छोगा जाति भील खेमा पिता छोगा जाति भील पैमा पिता हजारी जाति भील देवा पिता कालु जाति भील चतरा पिता कालु जाति भील शंभू पिता कालु जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	88	0.0210	0.0210	-	बुआ पक्का
8	भगवतीबाई बेवा पन्ना श्यामलाल सुरेश गोपाल पिता छीतर हि 1/2 जाति भील पता निग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	96/1	0.3190	0.1460	-	कुआ कच्चा बेर-1 कोडिया-2
9	नानीबाई बेवा गोपी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वाम	भूमि स्वामी	96/2	0.3180	0.1570	-	-

10	गोपी पिता भूरा जाति गुर्जर 1/2 भाग पता सिंगोली पानाबाई बेवा श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 पता जेथलिया बबलू पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया लाडूबाई पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया मंजूबाई पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97	0.1050	0.1050	-	कडी- बेडा-
11/ 1	जीतमल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग हीरालाल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	134/3	0.2090	0.0840	-	-
11/ 2	जीतमल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग हीरालाल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	98	0.4910	0.4810	-	ट्यूबवेल कुआं आम-1 पिपल-1 खाखरा-
12/ 1	महेन्द्रकुमार पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	99	0.2820	0.2820	-	ट्यूबवेल कडी-1 आवला-3 नीम-2
12/ 2	महेन्द्रकुमार पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	139/2, 140 पे	0.3960	0.0420	-	-
13	नंदलाल पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4 भाग ईश्वरलाल पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4 भाग रघुनाथ पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4 भाग प्रताप पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	101	0.6690	0.2610	-	कुआं कच्च खाखरा-4 कडी-1 नीम-2
			102, 106/2	0.6800	0.2510	-	-

14	रामचन्द्र पिता मगना जाति भील 1/2 भाग फोरु पिता मगना जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	104/1	0.1100	0.0730	-	-
15	बालीबाई बेवा मगना जाति भील 1/3 भाग रामचंद्र पिता मगना जाति भील 1/3 भाग फोरु पिता मगना जाति भील 1/3 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	105	0.0730	0.0730	-	खाखरा-2
16	संतोष पति महेन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	106/1/ 1	0.8520	0.8520	-	ट्यूबवेल
			106/1/ 2	0.5690	0.5690	-	-
17	मंदिर श्री देवनारायण स्थित ग्राम प्रबंधक कलेक्टर महोदय नीमच म.प्र. शासन भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	108	0.5120	0.5120	-	खाखरा-2
18	भागचंद पिता बाबरु जाति गुर्जर 1/2 भाग जगदीश पिता बाबरु जाति 1/2 भाग गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	109/1	0.3870	0.3870	0.0000	खाखरा-3
19/ 1	भंवरीबाई बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग रामसिंह पिता फौजसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग चैनसिंह पिता बागसिंह जाति राजपूत 1/10 भाग कम्माकुंवर बेवा बागसिंह जाति राजपूत 1/10 भाग गोपालकुंवर बेवा खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग शेरसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग टम्मुकुंवर पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग गोदुकुंवर बेवा डुंगरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	113	0.2300	0.0730	-	-

19/ 2	भंवरीबाई बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग रामसिंह पिता फौजसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग चैनसिंह पिता बागसिंह जाति राजपूत 1/10 भाग कम्माकुंवर बेवा बागसिंह जाति राजपूत 1/10 भाग गोपालकुंवर बेवा खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग शेरसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग टम्मुकुंवर पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग गोटुकुंवर बेवा डुंगरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	109/2/1	0.3010	0.2490	-	खाखरा- बेडा-2 नीम-1, सादडा- कोडिया-
			110/1	1.3630	0.0420	-	खाखरा- बेडा-1, कोडिया-
			111	0.0420		0.0110	खाखरा- बेडा-1
			112/1	0.0840	0.0840	-	खाखरा-:
			112/2	0.0310	0.0310	-	-
			115/2	0.0630	0.0630	-	-
			139/1/2	0.6610	0.1880	-	-
			215/268	0.0100	0.0100	-	पक्का कु3
20	हीरा पिता गोपी जाति बलाई छीतर पिता गोपी जाति बलाई वरदीचन्द्र पिता गोपी जाति बलाई उदा पिता गोपी जाति बलाई मोडीबाई बेवा गोपी जाति बलाई काना पिता हजारी जाति बलाई सुखलाल पिता हजारी जाति बलाई देवीलाल पिता हजारी जाति बलाई झंमकबाई बेवा हजारी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	116	0.8360	0.3660	-	ट्यूबवेल आम-1, अमरुद-1, सागवान-7 आंवला-2 शीशम-1
21	हीरा पिता गोपी जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	109/2/2	0.0750	0.0310	-	-
			110/2	0.3400	0.0730	-	-



22/1	प्रभूलाल पिता भेरूलाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	114	0.7420	0.3450	-	ट्यूबवे- कुआं आम-2 आंवला- नीम-1 बेर-2
			115/1	0.0840	0.0840	-	आम-2
22/2	प्रभूलाल पिता भेरूलाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	115/3	0.0210	0.0210	-	-
23	जगदीश पिता कन्हैयालाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	139/1/1	0.5000	0.2090	-	खाखरा-1 कोडिया-
24	घीसालाल पिता चम्पा जाति गुर्जर 1/2 भाग मोडा पिता चम्पा जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	141	0.8670	0.8250	-	खाखरा-3
			170/1	0.5230	0.2610	-	-
25/1	भेंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	142	1.2440	1.2440	-	3 कुआं कच महुआ-1, नीम-8, पिपल-2, बबुल-2, खाखरा-2, कडी-5, बेर-1
			144	0.1150	0.1150	-	-
			145	0.0520	0.0520	-	-
			147	0.5120	0.5120	-	-
			150/1	0.1460	0.1460	-	-
			150/2	0.0520	0.0520	-	-
			150/3	0.0210		0.0210	-
			152/1	0.2610	0.2610	-	-
			152/2	0.0840	0.0840	-	-
			157/1	0.2090	0.2090	-	-
			158	1.1700	1.0140	-	-
			161	0.1570	0.0420	-	-
			162	0.1360	0.1360	-	-
166	1.2330	1.2330	-	-			
229	0.3450	0.3450	-	-			

25/ 2	भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	156	0.2820	0.2820	-	-
25/ 3	भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	157/2	0.0210	0.0210	-	-
25/ 4	भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	163/2	0.2090	0.2090	-	-

25/ 5	भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	163/3	0.3140	0.3140		
25/ 6	भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	165/2	0.4180	0.4180		
25/ 7	भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	168	0.1050	0.1050		

26	रामीबाई बेवा काना जाति भील चन्दा पिता काना जाति भील देवीलाल पिता उदा जाति भील लालू पिता उदा जाति भील नानुराम पिता उदा जाति भील नारायण पिता उदा जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	143/1	0.2300	0.2300	-	-
			143/2	0.0840	0.0840	-	-
			143/3	0.0210	0.0210	-	-
			148	0.3140	0.3140	-	-
			149	0.1250	0.1250	-	-
			153/1	0.0630	0.0630	-	-
			153/2, 154	0.5120	0.3440	-	-
			159	0.6580	0.0210	-	-
27	हजारी, सेवा पिता काश्या प्रभू पिता भूरा भंवरलाल, केश्या, कुका, काना भूमिस्वामी सीताराम पिता नारायण काना, देवीलाल, लालु, नाना, नारायण पिता उदा कालीबाई बेवा उदा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	146	0.0100	-	0.0100	-
			155	0.0310	0.0310	-	-
28	भंवरलाल पिता देवी जाति भील 1/3 भाग मांगीलाल पिता सेवा जाति भील 1/3 भाग मांगीबाई बेवा खेमराज जाति भील 1/27 भाग काशीराम पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग हीरालाल पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग डालूराम पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग कस्तुरीबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग सुन्दरबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग भंवरबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग धापुबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग जमनीबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	165/3, 165/4	0.1150	0.1150	-	ट्यूबवेल पिपल-5, महुआ-5, टेमरू-1 कडी-1
			221, 222	1.5150	0.3810	-	पक्का कुआं
			223	0.2300	0.2300	-	-
			227	0.5330	0.5330	-	-
			231/1	0.0870	0.0870	-	-

29	भंवरलाल पिता देवी जाति भील खेमा पिता कालु जाति भील मांगीलाल पिता सेवा जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र.	भूमि स्वामी	224	0.1990	0.1990	-	-
30	टीपूलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	170/2	0.2610	0.1570	-	-
31	घीसीबाई बेवा धन्नालाल जाति गुर्जर पन्नालाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर शोलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर भेरूलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर बालुराम पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	134/4	0.1040	0.0250	-	-
			170/3	0.2610	0.1570	-	कडी-1 खाखरा-6
32	देवीलाल पिता मेघा जाति भील 1/2 भाग प्रेमराज पिता मेघा जाति भील 1/2 भाग पता निवासी जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	171	0.0520	0.0520	-	महुआ-3, आंवला-1 शीशम -2
			172	0.7320	0.3010	-	-
			175	0.4910	0.0210	-	-
			176	0.1050	0.1050	-	-
			177	0.0520	0.0520	-	-
33/ 1	नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग हीरा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	178	0.0630	0.0630	-	कोडिया - 2
			179	0.0210	-	0.0210	-
			180	0.0310	0.0310	-	-
			181	0.0310	0.0310	-	-
			182	0.0310	0.0110	-	-

33/ 2	<p>नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग          हीरा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग          बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग          श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग          गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग          पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग          पता जेधलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी</p>	भूमि स्वामी	188/1	0.3870	0.2270	-	-
33/ 3	<p>नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग          हीरा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग          बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग          श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग          गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग          पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग          पता जेधलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी</p>	भूमि स्वामी	188/2	0.3140	0.2510	-	-

33/4	नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग हीरा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	192	0.0100	0.0100	-	पक्का कुआं
34	देवा, मगया पिता भेरा हजारी बैवा काश्या जाति भील भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	189	0.0100	0.0100	-	कुआं पक्का
35	हजारी पिता काश्या जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	190/1	0.2460	0.1570	-	कुआं कच्चा आम-2
			191/2	0.2720	0.1990	-	-
36	नन्दा पिता कुका जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	190/2	0.2450	0.1670	-	कुआं कच्चा
			193/3	0.0840	0.0840	-	-
37	सेवा पिता काश्या जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	191/1	0.2720	0.1990	-	-
38	रामलाल पिता सीताराम जाति भील व रुकमणीबाई बेवा सीताराम जाति भील नारायणीबाई बेवा काना जाति भील शंभू पिता काना जाति भील मोहन पिता काना जाति भील घीसीबाई पिता काना जाति भील सोहनीबाई पिता काना जाति भील मांगीबाई पिता काना जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	193/1	0.6610	0.3660	-	कुआं नीम-1
39	हीरा पिता कुका जाति भील 1/2 भागबंशी पिता कुका जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	193/2	0.2480	0.2480	-	कुआं कच्चा

40	भीमा पिता हजारी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	202/1	0.4180	-	0.4180	ट्यूबवेल कुआं आम-5 महुआ-1
41	रूपलाल पिता कालुराम जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	203/2	0.3960	0.2300	-	-
			204	0.6790	0.4600	-	आम-1
			205/2, 206 पै	0.3520	0.1140	-	-
42	ईश्वरलाल पिता रतनलाल घीसालाल पिता रतनलाल, बालीबाई बेवा रतनलाल, भगवानलाल पिता रतनलाल हिरालाल पिता रतनलाल पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	205/1/ 2	0.3520	0.1130	-	कुआ कच्चा महुआ-2
43	कालु पिता भेरू जाति भील लालु पिता भेरू जाति भील उदा पिता भेरू जाति भील सोहनी पिता भेरू जाति भील गीता पिता भेरू जाति भील रतन पिता बालु जाति भील काना पिता बालु जाति भील शंकर पिता बालु, जाति भील लाडबाई बेवा शंभू जाति भील चन्दा ना बा. पिता शंभु संरक्षक लाडबाई जाति भील लक्ष्मीबाई बेवा खेमा जाति भील कजोड पिता छोमा जाति भील गोकुल पिता छोमा जाति भील हजारी पिता मोडा जाति भील बंशीलाल पिता भुवाना जाति भील भुवरलाल पिता भुवाना जाति भील नन्दुबाई बेवा भुवाना जाति भील देवा पिता कालु जाति भील चतरा पिता कालु जाति भील शंकर पिता कालु, जाति भील चम्पा पिता नारायण जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	89/1	0.1650	0.0310	-	-
			207	0.3140	0.3140	-	आम-1, सेमला-1



44.	उद। पिता अमरा जाति भील पेमा पिता धूला जाति भील भैरव पिता धुला जाति भील रतना पिता रूपा जाति भील चंद। पिता रूपा जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	210/266	0.0100	0.0100	-	कुआ पक्का आम-3, पिपल-1
			215	0.2720	0.2720	-	-
45	भंवरलाल पिता देवा जाति भील 1/15 भाग नारायण पिता देवा जाति भील 1/15 भाग भोला पिता देवा जाति भील 1/15 भाग अमरचंद पिता देवा जाति भील 1/15 भाग शंभू पिता देवा जाति भील 1/15 भाग सेवा पिता कालु जाति भील 1/9 भाग चुन्या पिता कालु जाति भील 1/9 भाग खेमा पिता कालू जाति भील 1/9 भाग उंकार पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग किशना पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग मोडा पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	210/267	0.0100		0.0100	कुआ कच्चा
			216	0.4180	0.4180	-	आम-2, कोडिया-2
46	नंदुबाई देवा धूला जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	214	0.3240	0.3240	-	-

47/1	झमकूबाई पति भँवरलाल जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	220/2	0.0630	0.0630	-	कुआं आंवला-2, नीम-2
47/2	झमकूबाई पति भँवरलाल जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	225	0.3870	0.3870	-	आम-2 महुआ-1, आंवला-3
48	उदा पिता अमरा जाति भील पता नि.बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	228	0.0730	0.0730	-	ट्यूबवेल
			232, 233	0.4070	0.4070	-	-
			235	0.1670	0.1670	-	-
			236	0.3450	0.3450	-	-
			238	0.7320	0.7320	-	पक्का कुआं
49	शम्भूलाल पिता काना जाति भील 1/2 भाग फोरीबाई पति शम्भूलाल जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	241/2	0.4000	0.2850	-	खाखरा-3, महुआ-2, बेडा-2
50	मोहनलाल पिता काना जाति भील 1/2 भाग सीताबाई पति मोहनलाल जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	241/3	0.4000	0.2850	-	खाखरा-3, महुआ-2, बेडा-2
51	शंभू पिता देवी जाति भील 1/2 भाग चुन्नीबाई पति शंभू जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	241/4	0.4000	0.3650	-	खाखरा-3, महुआ-1, बेडा-2
कुल योग				40.8960	27.7840	0.4910	

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 45-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2022-23

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) व अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि क सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है।

1. परियोजना का नाम : बाण्डा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से

2. भूमि का विवरण

1. जिना : नीमच  
 2. तहसील : सिंगोली  
 3. ग्राम : बाण्डा  
 4. प.ह.नं. : 13  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 62.9870 हे

**अनुसूची -01**

स. क्र.	खातेदार का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का सर्वे नं.	कुल रकबा हेक्टर में	अधियहण हेतु प्रस्तावित रकबा		भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुन्दरबाई बेवा भीमा जाति भील गुलाब पिता भीमा जाति भील छीतर पिता भीमा जाति भील शंकर पिता भीमा जाति भील डालीबाई बेवा कारू जाति भील जगदीश पिता कारू जाति भील हरिया पिता भाना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.0840	0.0840	-	कुआ कच्य कडी -- 1 कांड़िया -- 2 बंदा -- लेप्टस --1 महुआ --1 शीशम --3
			13/2	0.0520	0.0520	-	
			14	0.7000	0.7000	-	

2	कालुराम पिता आशाराम जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	5/3	0.1050	0.1050	-	कुआ कच्चा करुन्ज -1, नीम-1, आम-3, कडी-1, कोडिया -5, बीट-1, बेडा-1
			85/3/1	0.0300		0.0300	
3	कालुराम, छीतरमल पिता आशाराम जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	6/1, 6/2	0.8680	0.8680	-	
			82/2	0.0420	0.0420	-	महुआ-1 आवंला-2
			82/3	0.1360	0.1360	-	
4	सोहनीबाई पति कजोड जाति भील पता बाणदा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	7/1/2, 7/2	0.5850	0.3030	-	आवंला-2, नीम-2, सागवान-2, बीट-2, महुआ-1
			7/3/1	0.2610	0.2400	-	
5	कजोड पिता हीरा जाति भील छीतर पिता हीरा जाति भील कालु पिता रूपा जाति भील कमलीबाई पति प्रभु जाति भील पता प्रेमपुरा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	7/3/2	0.5540	0.4700	-	आवंला-1, नीम-2, पीपल-1 सादडा-1
			7/4	0.1880	0.1670	-	
			7/5/1	0.0730	0.0520	-	
			204	0.3970	0.3970	-	बेडा-1
			205	0.2090	0.2090	-	आम-1 कडी-1
			206	0.0520		0.0520	कोडिया-1, नीम-1, आवंला -1

6	बसना पिता भाना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	7/5/2	0.0840	0.0730	-	सादडा-1, बेडा-1, बड-1
			7/6/1	0.2930	0.2930	-	
			7/7	0.3240	0.3240	-	
			8/2	0.2400	0.2400	-	
7	नानीबाई बेवा काशीराम जाति भीलभेरू पिता काशीराम जाति भीलभागू पिता काशीराम जाति भीलदामू पिता काशीराम जाति भीलपता बाण्डा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	8/1/2	0.7210	0.6370	-	नीम-2
8	कारू, शंकर, नारू पुत्र देवी व काशीबाई बेवा देवी मोहनीबाई किशनीबाई मोत्याबाई पिता देवी भाग 1/4 का भाग 1/3 भगवान सावन्ता पिता भुवाना भाग 1/4 का 1/3 कजोडमल चैनराम, गेन्दमल सोडान माधुलाल पिता सेवा भाग देउबाई बेवा कालु देवालाल तुलसीराम कन्हैयालाल कैलाश पिता कालु 3/4 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	9	0.3240	0.3240	-	
9	सुखलाल पिता रूपा जाति भील लाभचन्द पिता रूपा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	15	0.5750	0.5750	-	कुआं कच्चा नीम-3, कोडिया-3, शीशम-2, बेडा-1, बेर-2, महुआ -1

10	देवीलाल पिता भेरूलाल जाति भील पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	18 / 1	0.2930	0.2930	-	कुआ कच्च महुआ-1, आम-3
			41 / 2	0.4600	0.4600	-	नीम-1 कोडिया-3 शीशम -3 महुआ-1
11	माग्या पिता किशना जाति भील जेराम पिता किशना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	19	0.2610	0.2610	-	सादडा-3
12	देउबाई बेवा कालुराम जाति भील देवालाल पिता कालुराम जाति भील तुलसीराम पिता कालुराम जाति भील कन्हैयालाल पिता कालुराम जाति भील कैलाश पिता कालुराम जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	21	0.0100	0.0100	-	कुआ कच्चा आम-6, बेडा-1, बबूल-1, कडी-1, पीपल-1, नीम-2
			23	0.6170	0.6170	-	
			24	0.1360	0.1360	-	
			144	0.6270	0.6270	-	
			145	0.1460	0.1460	-	
			146, 147	0.8150	0.8150	-	
			148	0.0420	0.0420	-	
			150, 151	0.8380	0.8380	-	
152	0.2930	0.2930	-				

13	गेंदमल पिता सेवा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	25/1	0.0180	-	0.0180	
			113/2/ 2	0.1440	0.1440	-	
			172/1/ 2	0.0940	0.0940		
14	सोहन पिता सेवा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	25/2	0.0450		0.0450	लिप्टस-1, बेडा-1, महुआ-1
			27/2	0.2090	0.2090	-	
			176/2	0.1830	0.1830	-	
15	कालुराम पिता देवा सेवा पुत्र-तेजा, भगवान सावल्दा पुत्र-भुवना कारु, शंकर, नारु पुत्र-देवी भूमिस्वामी केशीबाई बेवा देवा मोहनीबाई, किशनीबाई, मोत्याबाई, पुत्रीया देवी समभाग जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	26	0.0210	0.0210	-	कुआ
16	माधु पिता सेवा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	27/1	0.2090	0.2090	-	कुआ कच्चा पीपल-1, बेर-1
			116	0.0420		0.0420	
			176/1	0.1830	0.1830	-	

17	लीलाबाई नाबालिग पिता कारु संरक्षक माता दुर्गाबाई जाति भील दुर्गाबाई बेवा देवी जाति भील शंकर पिता देवी जाति भील बाबू पिता नारु जाति भील केशीबाई बेवा देवी जाति भील किशनीबाई पिता देवी जाति भील मोत्याबाई पिता देवी, जाति भील सांवता पिता भुवाना जाति भील परथा पिता हरिया जाति भील दौला पिता हरिया जाति भील मांग्या पिता किशना जाति भील जैराम पिता किशना जाति भील भेंवरलाल पिता जयचन्द जाति भील भीमा पिता जयचन्द जाति भील मथुरा पिता जयचन्द जाति भील मोहनीबाई पिता देवी जाति भील घासीराम पिता देवा जाति भील, पन्ना पिता भेरु जाति भील, वरजीबाई बेवा भेरु जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.0100		0.0100	बेडा-1 बबूल-1
			32	0.7000	0.7000		
			112	0.0210		0.0210	
			115	0.0100	0.0100	-	कुआ पक्का
			117	0.0520	0.0520	-	ट्यूबवेल
			118	0.6480	0.6480	-	
			177	0.3450	0.3450	-	
			178	0.0310	0.0310	-	
			179	0.0940		0.0940	
18	रामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	33/1	0.4230	0.4230	-	आवला-1 बेडा-1, सागवान-1, आम-1
19	छितर पिता कुका जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	33/2	0.1940	0.1940	-	ट्यूबवेल खाखरा-2, नीम-2, आंवला-3, बेडा-2, सागवान-1
			35	0.0100	0.0100	-	
			36	0.1360	0.1360	-	
			38/1/3, 38/2 पे	0.1610	0.1610	-	
			41/1	0.4180	0.4180	-	
			96	0.0210		0.0210	
			97	0.0210		0.0210	



20	छितर पिता कुका जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	34/1/1	0.8360	0.8360	-	
21	छितर द.-पुत्र परथा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	34/2	0.0420	0.0420	-	बेडा-1, बेर-1
22	छितर दत्तक परथा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	40	0.3550	0.3550	-	
23	कजोडीबाई बेवा कुका जाति भीलछितर पिता कुका जाति भीलरामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति भीलमोहन पिता उदा जाति भीलपन्ना पिता उदा जाति भीलपता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	37	0.0210	0.0210	-	कुआ बेर-1, नीम-1
24	पन्ना पिता उदा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	38/1/1 38/2	0.2120	0.2120	-	आम-1, नीम-1,
25	मोहन पिता उदा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	38/1/2 38/2	0.2120	0.2120	-	नीम-1 शीशम-2, खाखरा-1
26	देवीलाल पिता छितरमल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	38/3	0.3030	0.3030	-	कुआ
27	कालीबाई बेवा गोकुल जाति भील लाभचन्द पिता गोकुल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	46	0.0420	0.0420	-	ट्यूबवेल कुआ कच्चा महुआ-4, करुन्ज-1,से मला-1, सादडा-2 कोडिया-3
			48	0.4700	0.4700	-	
			51/1, 51/2	0.3030	0.3030	-	
			51/3	0.0520	0.0520	-	
			54	0.2090	0.2090	-	

28	कालीबाई बेवा गोकुल जाति भील लाभचन्द्र पिता गोकुल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	52/2	0.0420	0.0420	-	
29	रामीबाई बेवा देराम कन्हैयालाल पिता देराम, भंवरीबाई बैवा भंवरलाल, शातिलाल, श्यामलाल, राजु पिता भंवरलाल जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	57/1/1	0.4180	0.4180	-	
30	रामीबाई बेवा देराम काना पिता देराम जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	58	0.1250	0.1250	-	ट्यूबवेल शीशम-8, आंवला-3, नीम-2
			59	0.1050	0.1050	-	
			60	0.4080	0.4080	-	
31	गट्टूबाई पति हीरालाल जाति चारण पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	57/1/2	0.1000	0.1000	-	कुआ कच्चा बेर-1 शीशम-1 खाखरा-3
			57/1/5	0.1000	0.1000	-	
			65/1/2	0.8000	0.8000	-	
32	हीरालाल पिता चुन्नीलाल जाति चारण पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	57/1/4	0.2180	0.2180	-	ट्यूबवेल
			65/1/1	0.6630	0.6630	-	
			85/1/3	0.1180	0.1180	-	
33	नंदुबाई बेवा पेमा, धूरा पिता रूपा शंकर पिता पेमा, लाभचन्द्र बा. सुखलाल नाबा. पिता रतना सरपरस्त माता भंवरीबाई समभाग हि. 3/5, उदा पिता अमरा हि. 1/4 जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	57/2	0.0420	-	0.0420	
			64/2, 67/4	0.2090	0.2090	-	
			65/2, 66/5	0.1570	0.1570	-	
			66/4	0.1250	0.1250	-	

34	नंदुबाई बेवा पैमा जाति भील शंकर पिता पैमा जाति भील धूरा पिता रूपा जाति भील सुखलाल ना.बा. पिता रतना संरक्षक भंवरीबाई जाति भील लाभचंद. ना.बा. पिता रतना संरक्षक भवरीबाई जाति भील भवरीबाई बेवा रतना जाति भील उदा पिता अमरा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	67/2	0.0840	0.0840	-	
35	बागालाल पिता हीरालाल जाति भील, रामचंद्र पिता हीरालाल जाति भील, रामीबाई पिता हीरालाल जाति भील, झुमाबाई पिता हीरालाल जाति भील, भँवरलाल पिता जगरूप जाति भील, घीसा पिता जगरूप जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	67/3/1	0.2370		0.2370	
			126/2/ 1	0.1680	0.1680	-	
			138/1	0.1250	0.1250	-	
36	कस्तुरीबाई पति सुखलाल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	67/3/2, 71 पे	0.1190	0.1190	-	ट्यूबवेल
			88/3	0.6270	0.6270	-	
37	सुन्दरबाई बेवा शंकर जाति भील कैलाश पिता शंकर जाति भील बाबु पिता शंकर जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	82/4	0.4180	0.4180	-	कुआ कच्चा
			85/5	0.3970	0.3970	-	महुआ-2 शीशम-2 नीम-1
38	कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	84/1	0.0630	0.0630	-	
39	कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	84/2	0.1050	0.1050	-	
40	देवीलाल पिता प्यारा जाति रेगर प्यारीबाई बेवा प्यारा जाति रेगर पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	85/1/2	0.3000	0.3000	-	नीम-2, बेर-1 कोडिया-1
41	कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	85/2	0.1780	0.1780	-	ट्यूबवेल

42	बाबुलाल पिता शंकरलाल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	85/3/2	0.2100	0.2100	-	
43	पारसमल पिता विशना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	86/2	1.2750	1.2750	-	ट्यूबवेल कुआ कच्चा बेडा-1, नीम-1, आंवला-2
44	सुखलाल पिता कालुराम जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	88/2	0.6480	0.6480	-	ट्यूबवेल सागवान-1, बेडा-1, गुरजन -1
45	चेनराम पिता सेवा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच	भूमि स्वामी	99	0.0100		0.0100	
			113/2/1	0.1440	0.1440	-	
			172/1/1	0.0940	0.0940	-	
			174/1	0.0830	0.0830	-	खाखरा-1, बबूल-2, शीशम -1, सागवान-1
			175	0.1050	0.1050	-	
46	कजोड पिता सेवा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	100	0.0210		0.0210	
47	ममता बाई बेवा कन्हैयालाल जाति भील जमनीबाई पिता भुवाना जाति भील डालीबाई पिता भुवाना जाति भील घोसीबाई पिता भुवाना जाति भील, ठम्माबाई पिता भुवाना जाति भील दुर्गाशंकर नाबालिग पिता कन्हैयालाल संरक्षक सर माता ममताबाई जाति भील छीतर पिता भुवाना जाति भील कचरू पिता भुवाना जाति भील देवा पिता देवी जाति भील गुल्ली बेवा देवा जाति भील माधुलाल पिता कालु जाति भील सुखलाल पिता कालु जाति भील शंकरलाल पिता कालु जाति भील, सोहनीबाई बेवा नारायण जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	101	0.0310		0.0310	
			197/3	0.0630	0.0630	-	

48	पारस पिता विष्णु जाति भील रुकमणीबाई बेवा औंकारलाल शीपुलाल पिता औंकारलाल जाति भील बाबूलाल पिता औंकारलाल जाति भील प्रेमचंद पिता औंकारलाल जाति भील कमलेश पिता औंकारलाल जाति भील लाडुबाई पिता औंकारलाल जाति भील सुन्दरबाई पिता औंकारलाल जाति भील शिमलाबाई पिता औंकारलाल जाति भील कन्कूबाई पिता औंकारलाल जाति भील भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील, नारू पिता भागु जाति भील कल्याण पिता भागु जाति भील सुगनाबाई बेवा रोडमल जाति भील लवकुश पिता रोडमल जाति भील, भंवरिया पिता नोला जाति भील भोला पिता नोला जाति भील, भंवरिया पिता खेमा जाति भील मागया पिता खेमा जाति भील वरदा पिता खेमा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	110	0.0840	0.0840	-	आम-1, कडी-1
			121	0.0630	0.0630	-	
			122	1.0140	1.0140	-	
			127	0.0210	0.0210	-	कुआ पक्का
			128 / 3 129	0.2610	0.2610	-	
			138 / 3	0.1250	0.1250	-	
49	अमरचन्द्र पिता भगवान जाति भील दुधालाल पिता भगवान जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	113 / 1, 114 पे	0.2870	0.2870	-	आम-1, महुआ-2, बेडा-3,
			172 / 2	0.1880	0.1880	-	
			174 / 2	0.0420	0.0420	-	
50	हिरा पिता भवरिया जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	119	0.6270	0.6270	-	
			120	0.0630	0.0630	-	आम-1, आंवला-1
			130	0.0420	0.0420	-	कुआ कच्चा

51	भूरीबाई बेवा देवीलाल जाति भील शिवराज पिता देवीलाल जाति भील मनीष पिता देवीलाल जाति भील शंभु पिता नारायण जाति भील शंकर पिता नारायण जाति भील हीरा पिता नारायण जाति भील गोकुल पिता नारायण जाति भील सुन्दरबाई बेवा नारायण, जाति भील लीलाबाई पिता नारायण जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	124	0.1460	0.1460	-	
			125, 126 / 1	0.2510	0.2510	-	
			187	0.1670	0.1670	-	
			188 / 1	0.3970	0.3970	-	
			188 / 3	0.3140	0.3140	-	
			209 / 1	0.3760	0.3760	-	नीम-3, आम-3, बेडा-1
			211 / 1	0.0100		0.0100	
			211 / 2, 211 / 3 / 9902	0.1150	0.1150	-	
52	वरदीचंद पिता रतनलाल जाति भील पता परलाई खुर्द रावतभाटा चित्तौडगढ राजस्थान भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	126 / 2 / 2, 128 / 1	0.1040	0.1040	-	बेडा-1, आम-3
53	भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील आँकार पिता रामचन्द्र जाति भील भागु पिता रामचन्द्र जाति भील पारसमल पिता विष्णु, जाति भील प्रभुलाल पिता भेरू जाति भील चम्पा पिता मौजीराम जाति भील शंभु पिता मौजीराम जाति भील श्याम पिता मौजीराम जाति भील नाथु पिता रामा जाति भील मांगीबाई बेवा रामा जाति भील राजु पिता भागु जाति भील निवासी ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र.भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	133	0.0730	0.0730	-	कुआ पक्का महुआ- 1, बेडा-1
54	नंदुबाई बेवा परथा जाति भीलजालम पिता परथा जाति भीलहरीराम पिता नारायण जाति भीलनन्दा पिता लालु जाति भीलराजू पिता लालु जाति भीलदेऊबाई बेवा देवा जाति भीललादु पिता देवा जाति भीलशंकर पिता देवा जाति भीलकैलाश पिता नाथु जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	134 / 1	0.2300	0.2300	-	
			135	0.1670	0.1670	-	
			141 / 1	0.0940	0.0940	-	
			218	0.5020	0.2820	-	
			219	0.1050	0.1050	-	
			220	0.5850	0.1660	-	

55	गोकुल पिता प्यारा जाति भील रुकमणी पिता प्यारा जाति भील सोहनी पिता प्यारा जाति भील शंभुबाई पिता प्यारा जाति भील सीताबाई पिता प्यारा जाति भील सरजूबाई बेवा कजोड जाति भील काना पिता कजोड जाति भील प्रभुलाल पिता कजोड जाति भील पीरू पिता कजोड जाति भील कस्तुरीबाई बेवा हरला जाति भील भगवान पिता हरला जाति भील प्यारी बेवा मोती जाति भील देवा पिता मोती जाति भील कल्याण पिता मोती जाति भील भगवान पिता मोती जाति भील रामचन्द्र पिता मोती जाति भील तेजमल पिता मोती, शंकर पिता भूरा जाति भील चैमा पिता भूरा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	134 / 2	0.2190	0.2190	-
			141 / 4	0.0940	0.0940	-
			215	0.4080	0.4080	-
56	भुतालाल पिता कालु जाति भील शम्भुडीबाई बेवा वेणीराम जाति भील नारू पिता वेणा जाति भील जमनालाल पिता वेणा जाति भील चन्दा पिता वेणा जाति भील चतरा पिता मोडा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	134 / 3	0.2190	0.2190	
			141 / 2	0.0940	0.0940	
57	भंवरलाल पिता भेरू जाति भील मोहन पिता वरदा जाति भील सुरजा पिता वरदा जाति भील शम्भू पिता वरदा जाति भील शांति पिता वरदा, जाति भील मांगीबाई बेवा लक्ष्मण जाति भील कारू पिता लखमा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	134 / 4	0.2190	0.2190	
			141 / 3	0.0940	0.0940	

58	जैराम पिता पैमा जाति भीलकस्तुरीबाई बेवा भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलमोहनलाल पिता भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलचैनराम पिता भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलकजोड पिता पैमा जाति भीलदेवा पिता नाथु जाति भीलपरथा पिता नाथु जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	136 / 2, 137	1.1390	1.1390	-	कुआ सागवान-3 खाखरा-1. महुआ-4
59	भंवरबाई बेवा मौजीराम, मथरीबाई बेवा काना, मांगीलाल, नानुराम, पन्ना पिता काना, जाति भील मांगीबाई बेवा रामा जाति भील नाथु पिता रामा जाति भील चम्पा पिता मौजीराम जाति भील शम्भु पिता मौजीराम जाति भील श्यामलाल पिता मौजीराम जाति भील भंवरबाई बेवा मौजीराम जाति भील मथरीबाई बेवा काना जाति भील मांगीलाल पिता काना जाति भील नानुराम पिता काना जाति भील पन्ना पिता काना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	138 / 2	0.1250	0.1250	-	
			197 / 9	0.1460	0.1460	-	
			208 / 2	0.1050	0.1050	-	कुआ नीम-1, ऑवला-1, बीट-2
			209 / 4	0.3760	0.3240	-	नीम-1, बीट-1
			210 / 2	0.0310	-	0.0310	
			274 / 1 / 2	0.3240	0.3240	-	
			275 / 2	1.3590	1.3590	-	
60	मांगीलाल पिता माधूलाल जाति भील भंवरलाल पिता माधूलाल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	139	0.0310	0.0310	-	कुआं पक्का आम-2, महुआ-1 नीम-1, सादडा-1, खाखरा-1
			140	0.9930	0.9930	-	
			164 / 2	0.1570	-	0.1570	



61	नारू पिता भागू जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	153	0.1780	0.1780		ट्यूबवेल नीम-1
62	आनीबाई बेवा गोकुल जाति भील भानीबाई बेवा नारायण, जाति भील कमलेश पिता नारायण, जाति भील लाडूबाई पिता नारायण जाति भील राधाबाई पिता नारायण जाति भील शंभूडीबाई बेवा शोभालाल जाति भील बापूलाल ना.बा. पिता शोभालाल संरक्षक माता शंभूडीबाई, राहुल ना. बा. पिता शोभालाल संरक्षक माता शंभूडीबाई पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	157	0.8260	0.8260	-	कुआ कच्चा आम-3 महुआ-3 आवंला-1 शीशम-
			159	0.5120	0.5120	-	आम-3
			161, 162	0.3760	0.3760	-	आम-3
			186	0.2820	0.2820	-	
63	आनीबाई पति गोकुल जाति भीलनारायण पिता गोकुल जाति भीलशंभूडीबाई पति शोभालाल जाति भील, रामलाल पिता नंदा जाति भीलबद्रीबाई पिता नंदा जाति भीलखेमीबाई बेवा अमरचंद जाति भीलजगदीश पित अमरचंद जाति भीलकाना पिता अमरचंद जाति भीलनानुराम पिता अमरचंद जाति भीलहरिया पिता भुवाना जाति भीलबक्ता पिता भवाना जाति भीलसुन्दरबाई बेवा कालु जाति भीलडालीबाई पिता कालु जाति भीलघीतरमल पिता कालु, जाति भीलगुलाबीबाई पिता भीमा जाति भीलपता बाण्डा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	158	0.0210	0.0210	-	पक्का कुआ ट्यूबवेल आवंला-8, आम-1

64	भगवान पिता भुवाना जाति भील नंदुबाई बेवा रूपा जाति भील कारु पिता रूपा जाति भील नंदा पिता हजारी जाति भील खेमीबाई बेवा अमरचंद जाति भील जगदीश पिता अमरचंद जाति भील काना पिता अमरचंद जाति भील नानुराम पिता अमरचंद जाति भील कुका पिता भवरीया जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	160	0.6900	0.6900	-	खाखरा-3
65	सेवा पुत्र तेजी, बरदी, सेवा, उदा, देवा, भगवान, सावन्ता पुत्र भगवान समभाग हि. 1/2 परथा नोला पु. हरिया भूमिस्वामी, रूपचंद, जोधा, पुत्र नंदा माग्या, विजेराम पुत्र किशना, हि. 1/8 जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	170	0.0420	0.0420	-	पक्का कुआ
66	बद्रीबाई बेवा नन्दा, रामलाल पिता नन्दा, खेमीबाई, अमरचन्द, जगदीश काना नानुराम पिता अमरचंद जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी नंदा पिता हजारी खेमीबाई, अमरचन्द जगदीश, काना, नानुराम पिता अमरचन्द जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	171	0.6370	0.6370	-	कुआ कच्चा आम-1
67	बाबुलाल पिता सुखलाल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	180	1.0970	1.0970	-	

68	राजु पिता भागू जाति भील गोपाल पिता सुरजा जाति भील कारूलाल पिता सुरजा जाति भील नारायण पिता सुरजा जाति भील देराम पिता भंवरलाल, जाति भील प्यारा पिता देवा जाति भील गेंदा पिता देवा जाति भील पता बाण्डा तह. सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	181/1	0.3870	0.3870	-	
			183/1	0.0100	0.0100	-	कुआ
			212/1/ 1	0.3550	0.3550	-	
			213/4	0.3550	0.2930	-	
69	कचरुमल पिता देवा रमेशचन्द्र पिता देवा सुरेशचन्द्र पिता देवा पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	181/2	0.3870	0.3870	-	आम-1, महुआ-1, खाखरा-3
			182	0.0100	0.0100		कुआ पक्का
			184	0.1780	0.1780	-	
			197/6	0.0730		0.0730	
			212/1/2	0.3550	0.3550	-	
			213/2	0.3450	0.1880	-	
70	जेराम पिता पेमा जाति भील कजोड पिता पेमा जाति भील देवीलाल पिता नाथु जाति भील प्रताप पिता नाथु जाति भील नोजीबाई बेवा-भुवना जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188/2	0.0730	0.0730	-	
71	गोरीबाई बेवा प्रभु जाति भील भंवरलाल पिता प्रभु जाति भील मोहनलाल पिता प्रभु जाति भील पन्ना पिता प्रभु जाति भील शंकर पिता प्रभु जाति भील शंभू पिता प्रभु जाति भील जमना पिता प्रभु जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	189/1/ 3	1.6720		0.5020	कुआ कच्चा बेडा-3, नीम-8, खाखरा-2, बेर-3
			274/1/ 3	0.4700	0.4700	-	
			274/2/ 1	0.7630	0.7630	-	

72	जेराम पिता पेमा जाति भील कजोड पिता पेमा जाति भील देवीलाल पिता नाथु जाति भील प्रताप पिता नाथु जाति भील नोजीबाई बेवा-भुवाना जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	189 / 2	0.2720	-	0.2720	
73	बाबुलाल पिता सुखलाल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	191	1.2020	1.2020	-	कुआ कच्चा
74	वरदीचंद पिता रतनलाल जाति भील पता परलाई खुर्द रावतभाटा चित्तौडगढ राजस्थान भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	193	1.0030	1.0030	-	
			195	0.0310		0.0310	कुआ कच्चा
			196	0.1670		0.1670	
75	नानुराम पिता भंवरलाल जाति भील देवीलाल पिता भंवरलाल जाति भील भीमा पिता जयचंद जाति भील लालु पिता जयचंद जाति भील मथरा पिता जयचंद जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	197 / 2	0.2090		0.2090	
76	शम्भूलाल दत्तक हुक्मा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	197 / 5	0.0730	-	0.0730	
77	लालु पिता जेराम जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	197 / 7	0.0730	-	0.0730	
			272 / 1	0.1050	-	0.1050	
78	जमनीबाई बेवा कानीराम जाति भील भेरू पिता काशीराम जाति भील भागु पिता काशीराम जाति भील दामु पिता काशीराम जाति भील लच्छीबाई बेवा प्रभू जाति भील मथुरा पिता प्रभू जाति भील भगवानिया पिता प्रभू जाति भील विसना पिता भुवाना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	198	0.2400	0.2400	-	बेडा-2
			199	0.5330	0.5330	-	कोडिया-1
			207	0.7840	0.7840	-	बेडा-1

79	देवी पिता खेरिंग जाति भील कुका पिता खेरिंग जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	200	0.0420	0.0420	-	कुआ कच्चा इमली-1
80	रामीबाई बेवा जैराम, कन्हैयालाल पिता देराम भंवरबाई बेवा देवी व जगदीश कन्हैयालाल, नानुराम पिता अमरचन्द घीसीबाई बैवा कालु, सुखलाल पिता कालु भंवरबाई पति भंवरलाल शांतिलाल श्यामलाल राजु श पिता भंवरलाल पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	201	0.1150	0.1150	-	बेडा-1
			202	0.3760	0.3760	-	खाखरा-1
81	शंभूलाल पिता मोतीराम हि. 1/4 देवीलाल पिता नंदा धापूबाई बेवा नंदा हि. 1/4 भील भूमिस्वामी देवी पिता उंदा हि. 1/4 बालीबाई बेवा सुरजा भगवान, भागू राजू जमनीबाई भोली बाई, सोहनीबाई, मांगीबाई, केशीबाई पिता भागु, भंवरलाल, कालू नारायण पिता सूरजा मथरीबाई बेवा काना, मांगीबाई बेवा रामा नाथु गोरीबाई पिता रामा चम्पालाल पता शंकर हिरा जमनालाल पृथ्वीराज बालु पिता गोपाल भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.0100	0.0100	-	कुआ पक्क
82	जानीबाई बेवा प्यारा, कजोड, गोकुल, रूकमणी, सोहनी, शंभूबाई, सीता पिता प्यारा कस्तूरीबाई बेवा हरला, भगवान पिता हरला कालु पिता रूपा प्यारीबाई बेवा मोती देवा कल्याण, भगवान, रामचन्द्र, शंकर पिता मोती ब्रा. कारु नाबा. पिता मोती सर. माता प्यारीबाई हि. 1/3 कालु, मांगीलाल वेणीराम, चतरा पुत्र मोडा भूमिस्वामी, समभाग हि. 1/3 कल्लुबाई प्रेमचन्द, श्यामलाल पिता मोहन सुरजा, शंभू पिता वरदा व हनजी बेवा वरदा, मांगीबाई बेवा चंदा मांगीबाई बेवा लछमन कारु पिता लछमन हि. 1/3 पता नि. ग्राम भूमिस्वामी, शंभूडीबाई बैवा वैणीराम नारूलाल, जमनालाल चन्दा पिता वैणीराम भूमिस्वामी नि. ग्राम	भूमि स्वामी	214	0.3030	0.3030	-	
			216	0.3140	0.2200	-	

83	मोती पिता चुन्या जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	221	0.6690	0.0520	-	
84	गारस पिता विष्णु जाति भील भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील औंकार पिता रामचन्द्र जाति भील, नारू पिता भागु जाति भील कल्याण पिता भागु जाति भील सुगनाबाई बेवा रोडमल, जाति भील लवकुश पिता रोडमल जाति भील, भंवरिया पिता नोला जाति भील भोला पिता नोला जाति भील, भंवरिया पिता खेमा जाति भील मागया पिता खेमा जाति भील वरदा पिता खेमा जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260 / 2	0.0310	0.0310	-	
85	भेरूलाल पिता भंवरलाल जाति भील 1/2 पन्नीबाई पति भेरूलाल जाति भील 1/2 पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	278 / 1	1.2800	1.2800	-	कुआ कच्चा आवंला-2 नीम-1
86	छीतरमल पिता किशना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	278 / 2	1.2800	1.2800	-	कुआ कच्चा नीम-1, गुरजन-1, बबूल-1, सादडा-1
87	कस्तुरीबाई बेवा दोला, मांगीलाल पिता दोला जाति रेगर पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	278 / 4	1.2800	1.2800	-	कुआ कच्चा गुरजन-1, टीमरू-1, खाखरा-1, अ विला-1, महुआ-1

88	शंभूलाल पिता वरदा, रामीबाई पति शंभूलाल जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच	भूमि स्वामी	278 / 5	1.2800	1.2800		
89	बंशी पिता लखमा जाति रेगर पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तातरणीय	भूमि स्वामी	278 / 6	1.2800	1.2800		
90	रंगलाल पिता नाथू कंचनबाई पति रंगलाल जाति चमार पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तातरणीय	भूमि स्वामी	278 / 7	1.2800	1.2800		ट्यूबवेल नीम-1
91	घीसालाल पिता धन्ना, राधीबाई बेवा धन्ना जाति भील पता बाण्डा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तातरणीय	भूमि स्वामी	278 / 8	1.3200	1.3200		
	<b>कुल योग</b>			<b>66.3020</b>	<b>60.5890</b>	<b>2.3980</b>	

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्र जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है।



दिनेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0039-अ-82-2023-24

राजगढ़, दिनांक 18 दिसम्बर 2023

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बवत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम खजूरिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम:- खजूरिया

स. क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- खजूरिया की भूमि की आवश्यकता।	11.085	1.151

अनुसूची-(2)

क.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी नि.ग्राम भ स्वामी	505	0.645	0.050
योग:-		1	0.645	0.050
2	घीसालाल पिता रामबगस जाति दांगी	506/2/1	0.041	0.020
		506/2/3	0.040	0.025
योग:-		2	0.081	0.045
3	गंगाप्रसाद पिता देव्या दांगी	506/3/1	0.232	0.060
योग:-		1	0.232	0.060
4	रामचंद्र पिता रामप्रसाद जाति दांगी	509/1	1.315	0.024
योग:-		1	1.315	0.024



क.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
5	राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण रूगनाथ पिता गंगाधर, काशीबाई बैवा गंगाधर, अजुध्याबाई पिता गंगाधर, घनश्याम, बनवारी, विष्णु पिता हजारी, जसोदी बाई बैवा हजारी जाति सुतार रामबगस, हरिनारायण कंचनबाई पिता हीरा जाति सुतार	511/1	0.419	0.010
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.419</b>	<b>0.010</b>
6	राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार नि.ग्राम	512/1	0.080	0.010
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.080</b>	<b>0.010</b>
7	रामचन्द्र पिता सालगराम हि.1/3 भाग हरिओम पिता सालगराम हि.1/3	514/1	0.367	0.026
	नारानीबाई बेवा सालगराम हि.1/3 भाग जाति दांगी	1365/1/1	0.207	0.070
<b>योग:-</b>		<b>2</b>	<b>0.574</b>	<b>0.096</b>
8	देवबगस रामदयाल पिता शिवलालजाति दांगी	515/1/1/3	0.268	0.060
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.268</b>	<b>0.060</b>
9	रंगलाल पिता नारायण जाति दांगी	515/1/2/1	0.494	0.030
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.494</b>	<b>0.030</b>
10	चम्पालाल पिता हजारीलाल जाति दांगी	515/2/1/1	0.382	0.020
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.382</b>	<b>0.020</b>
11	मांगीलाल, रामचन्द्र, बजेसिंह पिता शिवलाल, लीलाबाई, संतोषबाई पुत्री शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी	1351/1	0.444	0.017
	हि. 1/2, रोड़ीबाई पिता राधाकिशन हि. 1/2 जाति दांगी	1358/1	0.395	0.174
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.839</b>	<b>0.191</b>
12	गोपाल पिता कालू जाति दांगी	1355/1	0.183	0.020
		1393/1	0.102	0.010
<b>योग:-</b>		<b>2</b>	<b>0.285</b>	<b>0.030</b>

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
13	रामभरोसे पिता कालू जाति दांगी	1395/1/1	0.027	0.017
		1396/1/1	0.084	0.040
<b>योग:-</b>		<b>2</b>	<b>0.111</b>	<b>0.057</b>
14	छीताराम पिता बापूलाल दांगी	1359/4/1/1	0.339	0.030
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.339</b>	<b>0.030</b>
15	श्यामसुंदर पिता जगन्नाथ जाति दांगी	1364/3	0.759	0.020
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.759</b>	<b>0.020</b>
16	फुन्दीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	1498/1350/4/1	0.123	0.010
		1497/1350/2/1	0.074	0.074
<b>योग:-</b>		<b>2</b>	<b>0.197</b>	<b>0.084</b>
17	रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी	1408/1	0.522	0.020
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.522</b>	<b>0.020</b>
18	सुरेश पिता महेश प्रसाद जाति दांगी	1410/2/1	0.999	0.017
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.999</b>	<b>0.017</b>
19	हरिओम पिता महेशप्रसाद जाति दांगी	1409/2/1	0.362	0.060
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.362</b>	<b>0.060</b>
20	राधेश्याम पिता रामरतन जाति दांगी	1411/1/3	0.234	0.078
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.234</b>	<b>0.078</b>
21	लक्ष्मीनारायण पिता रामरतन जाति दांगी	1411/2/1	0.120	0.010
		1412/1	0.743	0.020
<b>योग:-</b>		<b>2</b>	<b>0.863</b>	<b>0.030</b>

क.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
22	बद्रीलाल पिता हजारीलाल जाति दांगी	515/2/2	0.494	0.025
	योग:-	1	0.494	0.025
23	शिवचरण पिता बापूलाल जाति दांगी	1359/4/2	0.380	0.004
	योग:-	1	0.380	0.004
24	कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	1497/1350/2/3	0.211	0.100
	योग:-	1	0.211	0.100
	महायोग:-	कुलकिता 30	11.085	1.151

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 0039-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बवत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम बाईहेड़ा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-बाईहेड़ा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-बाईहेड़ा की भूमि की आवश्यकता।	17.686	2.273
कुल योग :-		17.686	2.273

-: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	धुलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी	416 /1/1	1.347	0.045
योग:-		1	1.347	0.045
2	द्वारका प्रसाद हरीओम, पिता चंदरलाल जाति दांगी नि. खजूरिया	807/1/1	0.278	0.070
योग:-		1	0.278	0.070
3	गोकुलप्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	807/2/1	0.335	0.016
		819/1/1	0.189	0.039
		819/2/1	0.167	0.006
		811/2	0.100	0.060
योग:-		4	0.791	0.121

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
4	नाथूलाल पिता गगाधर नि. खजूरिया भू स्वामी	810/1/2	0.025	0.017
		810/1/3	0.368	0.172
	योग:-	2	0.393	0.189
5	मांगीलाल, रामचन्द्र, बजेसिंह, लीलाबाई, संतोषबाई पिता शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी नि. खजूरिया	812	0.430	0.015
		818/1	0.551	0.044
	योग:-	2	0.981	0.059
6	रामबाबू पिता रगलाल जाति दांगी नि. खजूरिया भू स्वामी	814/2/1	0.273	0.035
	योग:-	1	0.273	0.035
7	जतनबाई पिता गोकुलप्रसाद जाति दांगी नि. खजूरिया भू स्वामी	815/1/1	0.411	0.028
	योग:-	1	0.411	0.028
8	कन्हैयालाल, शिवनारायण, गीताबाई पिता चंदरलाल, गोराबाई बैवा चंदरलाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.	821/1	0.689	0.070
	योग:-	1	0.689	0.070
9	रामचरण रगलाल पिता नाथूलाल जाति काछी नि. ग्रा.भू.	822/2	0.400	0.075
	योग:-	1	0.400	0.075
10	किशनलाल पिता देवा जाति दांगी नि. खजूरिया	823	0.670	0.092
	योग:-	1	0.670	0.092
11	देवचंद्र शिवचरण पिता रामबगस जाति दांगी नि. खजूरिया	828/1/1	1.257	0.102
	योग:-	1	1.257	0.102
12	रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दांगी नि. ग्रा.	829/1	0.532	0.006
	योग:-	1	0.532	0.006
13	रामचंद्र पिता नाराण जाति दांगी नि. ग्रा.	830/3	0.020	0.003
	योग:-	1	0.020	0.003
14	लक्ष्माचंद्र नवलसह पिता बापूलाल भवराबाई अयोध्याबाई राजूबाई पुत्री बापूलाल जाति दांगी नि. खजूरिया	832/1	0.544	0.039
	योग:-	1	0.544	0.039

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
15	मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति दांगी निवासी खजूरिया	833/1/2	0.552	0.033
	योग:-	1	0.552	0.033
16	अमृतलाल पिता कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.	772/1	0.581	0.061
		871/1/1	0.093	0.015
	योग:-	2	0.674	0.076
17	रगलाल पिता जालम जाति दागा नि.ग्रा.भू	768/2/1	0.601	0.247
		874/3/3	0.166	0.003
	योग:-	2	0.767	0.250
18	देबी राम पिता कनाराम जाति भाल नि.ग्रा.भू	766/4/1	0.702	0.157
	योग:-	1	0.702	0.157
19	हमराज पिता रामबगस जाति भाल नि.ग्रा.भू	904/2	0.250	0.019
		903/2	0.126	0.005
	योग:-	2	0.376	0.024
20	बद्रीलाल पिता घासालाल जाति दागा नि.ग्रा.भू	916/1	0.659	0.008
	योग:-	1	0.659	0.008
21	रूकमा बाई पात राम बगस जाति भाल नि.ग्रा.भू	914/1/1/1	0.312	0.005
	योग:-	1	0.312	0.005
22	अयाध्या बाई पात बद्रीलाल जाति दागा नि.ग्रा.भू	920/1/1	0.747	0.006
	योग:-	1	0.747	0.006
23	देवनारायण पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.	918/2/1/3	0.221	0.150
		919/1/1	0.101	0.012
	योग:-	2	0.322	0.162
24	कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.भू	918/2/2/2	0.291	0.150
	योग:-	1	0.291	0.150
25	राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति दांगी	920/2/2	0.245	0.009
	योग:-	1	0.245	0.009
24	रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया	834/1	0.591	0.045
	योग:-	1	0.591	0.045

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
25	रामनारायण पिता भवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू	783/1/4/1	0.224	0.009
	योग:-	1	0.224	0.009
26	बदामबाई पात लक्ष्मीचंद जाति दांगी नि.खजूरीया	773/1	1.088	0.068
	योग:-	1	1.088	0.068
27	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	873/3	1.135	0.065
	योग:-	1	1.135	0.065
28	रामबगस पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भू	874/2/4	0.162	0.072
	योग:-	1	0.162	0.072
29	रामप्रसाद,शम्भूलाल, रामबगस पिता भंवरलाल, कस्तुरीबाई बैवा भंवरलाल जाति दांगी	874/2/1	0.253	0.200
	योग:-	1	0.253	0.200
	कुलयोग:-	कुलकिता-38	17.686	2.273

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 मार्च 2024

प्रकरण क्रमांक 0017/अ 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाता है. इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
(ख) तहसील - देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम - भिलसाँय  
(घ) क्षेत्रफल - 4.9453 हेक्टेयर

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	1654	0.0100	निजी भूमि
2	1557	0.0600	निजी भूमि
3	1556	0.0600	निजी भूमि
4	1632	0.0277	निजी भूमि
5	1558	0.0308	निजी भूमि
6	1636	0.1500	निजी भूमि
7	1642	0.3000	निजी भूमि
8	1645	0.0839	निजी भूमि
9	1647	0.6869	निजी भूमि
10	1653	0.0030	निजी भूमि
11	1656	0.4500	निजी भूमि
12	1634	0.0812	निजी भूमि
13	1655	0.3528	निजी भूमि
14	1659	0.0300	निजी भूमि
15	2305	0.2000	निजी भूमि
16	1554	0.1200	निजी भूमि
17	1555	0.1300	निजी भूमि
18	1576	0.2200	निजी भूमि
19	1577	0.0294	निजी भूमि
20	1553	0.0718	निजी भूमि
21	1559/1	0.7526	निजी भूमि
22	1559/2	0.0820	निजी भूमि



23	1568	0.0955	निजी भूमि
24	1631	0.2800	निजी भूमि
25	2306	0.0800	निजी भूमि
26	1658	0.0400	निजी भूमि
27	1657	0.0178	निजी भूमि
28	1635	0.0437	निजी भूमि
29	1648	0.0693	निजी भूमि
30	1646	0.0218	निजी भूमि
31	1643	0.0341	निजी भूमि
32	1641	0.0010	निजी भूमि
33	1633	0.0200	निजी भूमि
34	1629	0.2500	निजी भूमि
35	1630	0.0600	निजी भूमि
<b>किता-35</b>		<b>4.9453</b>	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम भिलसौय तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 0015/अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 (1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1)के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:-

(क)	जिला	-	पन्ना
(ख)	तहसील	-	देवेन्द्रनगर
(ग)	ग्राम	-	मझगवों
(घ)	क्षेत्रफल	-	5.7928 हेक्टेयर

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	399	0.4200	निजी भूमि
2	400	0.0900	निजी भूमि
3	403	1.3300	निजी भूमि
4	379	0.5251	निजी भूमि
5	378	0.3726	निजी भूमि
6	372	0.2890	निजी भूमि
7	373	1.8500	निजी भूमि
8	397	0.1200	निजी भूमि
9	369	0.0200	निजी भूमि
10	370	0.3961	निजी भूमि
11	371	0.2100	निजी भूमि
12	380	0.0200	निजी भूमि
13	377	0.0100	निजी भूमि
14	398	0.0200	निजी भूमि
15	402	0.1200	निजी भूमि
<b>किता-15</b>		<b>5.7928</b>	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम मझगवों तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 0016/अ 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्राक्घानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2)के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील - देवेन्द्रनगर  
 (ग) ग्राम - सुन्दरा  
 (घ) क्षेत्रफल - 12.0098 हेक्टेयर

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	471/1	0.1600	निजी भूमि
2	471/2	0.1900	निजी भूमि
3	508/1	0.4160	निजी भूमि
4	508/2	0.4340	निजी भूमि
5	480	0.7770	निजी भूमि
6	478	0.1000	निजी भूमि
7	482/1	0.3020	निजी भूमि
8	482/2	0.2280	निजी भूमि
9	483/2	0.0300	निजी भूमि
10	481	0.6923	निजी भूमि
11	503	0.0500	निजी भूमि
12	472	0.3200	निजी भूमि
13	506	0.0065	निजी भूमि
14	505/1	0.3300	निजी भूमि
15	505/2	0.3000	निजी भूमि
16	531	0.0405	निजी भूमि
17	542	0.1495	निजी भूमि
18	533	0.0800	निजी भूमि
19	510	0.0900	निजी भूमि
20	509/1	0.4600	निजी भूमि
21	509/2	0.4900	निजी भूमि
22	527	0.1643	निजी भूमि
23	535	0.0608	निजी भूमि
24	530	0.6911	निजी भूमि

25	528/1	0.1500	निजी भूमि
26	528/2	0.1000	निजी भूमि
27	534/1	0.2000	निजी भूमि
28	534/3	0.1800	निजी भूमि
29	532	0.5209	निजी भूमि
30	540/1	0.2512	निजी भूमि
31	540/2	0.2788	निजी भूमि
32	545	0.5590	निजी भूमि
33	543	0.3596	निजी भूमि
34	541	0.2000	निजी भूमि
35	544/1	0.1550	निजी भूमि
36	544/2	0.1550	निजी भूमि
37	608	0.1308	निजी भूमि
38	606/1/1	0.1600	निजी भूमि
39	606/1/2	0.2600	निजी भूमि
40	606/2	0.1375	निजी भूमि
41	607/1/1	0.2000	निजी भूमि
42	607/1/2/1	0.5100	निजी भूमि
43	607/1/2/2	0.6100	निजी भूमि
44	607/2/2	0.2500	निजी भूमि
45	479/1	0.0800	निजी भूमि
	<b>कित्ता-45</b>	<b>12.0098</b>	

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम सुन्दरा तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 0018/अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
 (ख) तहसील - देवेन्द्रनगर  
 (ग) ग्राम - फुलदरी  
 (घ) क्षेत्रफल - 17.5576 हेक्टेयर

क.	खसरा नं.	अर्जित रकबा	
1	8/1/3	0.0050	निजी भूमि
2	163/3	0.0030	निजी भूमि
3	123/1	0.0200	निजी भूमि
4	102	0.0020	निजी भूमि
5	153	0.0645	निजी भूमि
6	152/1	0.1000	निजी भूमि
7	152/2	0.1000	निजी भूमि
8	171	0.0400	निजी भूमि
9	422/1	0.0300	निजी भूमि
10	421	0.1908	निजी भूमि
11	108	0.2901	निजी भूमि
12	120/1/2	0.0300	निजी भूमि
13	120/2	0.2700	निजी भूमि
14	107	0.8400	निजी भूमि
15	106	0.0245	निजी भूमि
16	127/1	0.0500	निजी भूमि
17	127/2	0.0900	निजी भूमि
18	126	0.3500	निजी भूमि
19	119	0.4100	निजी भूमि
20	9	0.0700	निजी भूमि
21	151/1	1.1000	निजी भूमि
22	151/2/1	0.1000	निजी भूमि

23	151/2/2	1.0000	निजी भूमि
24	3/1	0.0300	निजी भूमि
25	3/2	0.0200	निजी भूमि
26	173	0.2000	निजी भूमि
27	154	0.2200	निजी भूमि
28	157/2	0.0035	निजी भूमि
29	131	0.8200	निजी भूमि
30	172	0.0700	निजी भूमि
31	2	0.0154	निजी भूमि
32	164/1	0.0800	निजी भूमि
33	164/2	0.0800	निजी भूमि
34	174/3	0.1000	निजी भूमि
35	174/4	0.1500	निजी भूमि
36	174/5	0.0900	निजी भूमि
37	174/6	0.1600	निजी भूमि
38	174/7	0.1600	निजी भूमि
39	174/8	0.1600	निजी भूमि
40	176/1	0.0028	निजी भूमि
41	176/2	0.1672	निजी भूमि
42	170	0.7200	निजी भूमि
43	177	0.1200	निजी भूमि
44	169	0.5800	निजी भूमि
45	165	0.3100	निजी भूमि
46	162/1/1	0.2100	निजी भूमि
47	162/1/3	0.6200	निजी भूमि
48	155/1	0.0500	निजी भूमि
49	155/2	0.0700	निजी भूमि
50	130	0.1400	निजी भूमि
51	116/1	0.3400	निजी भूमि
52	116/2/1	0.2800	निजी भूमि
53	116/2/2	0.0600	निजी भूमि
54	117/1	0.1800	निजी भूमि
55	117/2	0.1900	निजी भूमि
56	109	0.0068	निजी भूमि
57	110/2	0.0100	निजी भूमि
58	99/1/1	0.0300	निजी भूमि
59	99/2	0.9600	निजी भूमि
60	100	0.0800	निजी भूमि
61	101	1.3511	निजी भूमि
62	89	1.5798	निजी भूमि
63	405/1/1	0.0400	निजी भूमि
64	405/1/2	0.0400	निजी भूमि
65	405/2	0.1100	निजी भूमि

66	420	0.3904	निजी भूमि
67	423	0.6822	निजी भूमि
68	94/1	0.5427	निजी भूमि
69	95/1	0.0558	निजी भूमि
70	96	0.0900	निजी भूमि
71	97	0.0100	निजी भूमि
	कित्ता-71	17.5576	निजी भूमि

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- नागौद संतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम फुलदरी तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्रमांक/602 /आर-1553477/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16-सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°41'58.18" से 22°41'46.17" उत्तर अक्षांश तथा 75°0'44.04" से 75°0'31.42" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- धार  
वनमंडल- धारतहसील- सरदारपुर  
वन परिक्षेत्र -सरदारपुर

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	मोयाखेड़ा-अ	मोयाखेड़ा	निस्तार चरनोई	553/2	10.00	उत्तर- सरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - सरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - सरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- सरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	10.00	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063/2018-बीएचओ/दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला-धार के आदेश क्रमांक RCMS प्र.क्र. 0165/अ-19(3)/2017-18 दिनांक 02.01.2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

## 2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

## 2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गंधवानी के प्रमाण पत्र के आधार पर संरक्षित अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। संरक्षित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023-दस-3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15<sup>th</sup> March 2024.

No/ 602/R-1553477/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22°41'58.18'' to 22°41'46.17'' North Latitude and 75°0'44.04'' to 75°0'31.42'' East Longitude .

**SCHEDULE**

District :-Dhar  
Forest Division :- Dhar

Tehsil :- Sardarpur  
Forest Range:- Sardarpur

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Moyakheda-A	Moyakheda	Nistar Charnoi	553/2	10.00	North – Artificial forest boundary from pillar no. 08 to 09 of Protected Forest Block. East – Artificial forest boundary from pillar no. 09 to 24 of Protected Forest Block. South – Artificial forest boundary from pillar no. 04 to 11 of Protected Forest Block. West – Artificial forest boundary from pillar no. 01 to 08 of Protected Forest Block.
				<b>Total</b>	10.00	



**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order No 6-MPC063/2018-BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab project of Executive Engineer, Water Resources Department, Indore, the above mentioned Non Forest Land of 10.00 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt., Forest Department by Collector Dhar order no. RCMS Project no. 0165/A-19(3)/2017-18 Dated 02-01-2020 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Gandhwani are as under .

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्रमांक/602/आर-1553477/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°23'57.99" से 22°24'13.83" उत्तर अक्षांश तथा 75°53'51.57" से 75°54'6.71" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

**अनुसूची**

जिला- इन्दौर  
वनमंडल- इन्दौर

तहसील- महुँ  
वन परिक्षेत्र - इंदौर

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	कुलथाना	कुलथाना	शासकीय	58/1	7.000	उत्तर - मुनारा क.-11 से 14 तक की कृत्रिम सीमा पूर्व - मुनारा क.- 03 से 11 की कृत्रिम सीमा। दक्षिण - मुनारा क.- 01 से 03 तक की कृत्रिम सीमा पश्चिम - मुनारा क.- 14 से 16 तक एवं मुनारा क.- 16 से 01 की कृत्रिम सीमा
				योग	7.000	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063/2018-बीएचओ/दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क्र. 558/क.री./2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क्र. 538/क.री./2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क्र. 5/अ-74/2013-14) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक**

**(ख)** उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023-दस-3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15<sup>th</sup> March 2024

No/ 602 /R-1553477/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest Block lies between 22°23'57.99" to 22°24'13.83" North Latitude and 75°53'51.57" to 75°54'6.71" East Longitude .

**SCHEDULE**

District :-Indore  
Forest Division :-Indore

Tehsil :- Mhow  
Forest Range:-Choral

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Kulthana	Kulthana	Shashkiya	58/1	7.000	<b>North</b> – Munara no. 11 to 14 Artificial boundary line. <b>East</b> – Munara no. 03 to 11 Artificial boundary line. <b>South</b> – Munara no. 01 to 03 Artificial boundary line <b>West</b> – Munara no. 14 to 16 and Munara no. 16 to 01 Artificial boundary line.
				<b>Total</b>	<b>7.000</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's No 6-MPC063/2018-BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab Project of Executive Engineer Water Resources Department Indore, the above mentioned Non Forest Land of 7.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt., Forest Department by Collector Indore order no. 558/Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no. 538/Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014 Case no. 5/A-74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Mhow Distt. Indore are as under .

1. **Individual Rights** – There are no individual rights on the said land .

2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

कमाक/ 602 /आर-1553477/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (कमाक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगे। यह वनखण्ड 22°24'46.91" से 22°24'59.05" उत्तर अक्षांश तथा 75°46'10.62" से 75°46'19.09" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

**अनुसूची**

जिला- इन्दौर  
वनमंडल- इन्दौर

तहसील- महुँ  
वन परिक्षेत्र -महुँ

अ.क.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	रामपुरिया (अ)	रामपुरिया (अ)	चरागाह	58/3	5.000	उत्तर – मुनारा क.-09 से 10 तक की कृत्रिम सीमा पूर्व – मुनारा क.- 02 से 09 की कृत्रिम सीमा। दक्षिण – मुनारा क.- 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा पश्चिम – मुनारा क.- 10 से 19 तक एवं मुनारा क.- 19 से 01 की कृत्रिम सीमा
				योग	5.000	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063/2018-बीएचओ/दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558/क.री./2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क. 538/क.री./2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क. 5/अ-74/2013-14) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023-दस-3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15<sup>th</sup> March 2024

No/ 602/R-1553477/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22°24'46.91'' to 22°24'59.05'' North Latitude and 75°46'10.62'' to 75°46'19.09'' East Longitude.

**SCHEDULE**

District :-Indore

Tehsil :- Mhow

Forest Division :-Indore

Forest Range:-Mhow

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Rampuriya (A)	Rampuriya (A)	Charahgah	58/3	5.000	North –Munara no. 09 to 10 Artificial boundary line. East – Munara no. 02 to 09 Artificial boundary line. South – Munara no. 01 to 02 Artificial boundary line West – Munara no. 10 to 19 and Munara no. 19 to 01 Artificial boundary line .
				<b>Total</b>	<b>5.000</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt .of India's No 6-MPC063/2018-BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab Project of Executive Engineer, Water Resources Department, Indore, the above mentioned Non Forest Land of 5.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt., Forest Department by Collector Indore order no. 558/Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no. 538/Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014 Case no. 5/A-74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report  
(Certification) of Tehsildar Mhow Distt. Indore are as under (Certification) of Tehsildar Mhow

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land. There are no  
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land. There are no

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्रमांक/ 602 /आर-1553477/2023/10-3 :- भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°29'47.04" से 22°29'57.51" उत्तर अक्षांश तथा 75°48'32.81" से 75°48'40.38" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

**अनुसूची**

जिला- इन्दौर  
वनमंडल- इन्दौर

तहसील- महुँ  
वन परिक्षेत्र -महुँ

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	पातालपानी (अ)	पातालपानी (अ)	पहाड़	52/1/2	3.510	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड का मुनारा क.1 से विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 के मुनारा क. 08 और 09 के बीच का मिलान बिंदु पूर्व - विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 के मुनारा क. 08 और 09 के बीच प्रस्तावित वनखण्ड के मिलान बिंदु से मुनारा क. 07 तक दक्षिण- विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 का मुनारा क. 07 से मुनारा क. 06 के पास प्रस्तावित वनखण्ड का मिलान बिंदु पश्चिम- विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 का मुनारा क. 06 के पास प्रस्तावित वनखण्ड का मिलान बिंदु से प्रस्तावित वनखण्ड का मुनारा क. 01
				योग	3.510	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063/2018-बीएचओ/दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति), में अधिरोपित शर्तों के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.510 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क्र. 558/क.री./2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क्र. 538/क.री./2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क्र. 5/अ-74/2013-14) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023-दस-3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.



Bhopal, the 15<sup>th</sup> March 2024

No/ 602/R-1553477/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest Block lies between 22°29'47.04'' to 22°29'57.51'' North Latitude and 75°48'32.81'' to 75°48'40.38'' East Longitude.

**SCHEDULE**

District :-Indore  
Forest Division :-Indore

Tehsil :- Mhow  
Forest Range:-Mhow

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Patalpani (A)	Patalpani (A)	Pahad	52/1/2	3.510	<p><b>North-</b> Munara no. 1 of proposed forest block to adjoining point between munara no. 08 and 09 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181</p> <p><b>East -</b> Adjoining point of proposed forest block between Munara no. 08 and 09 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181 to munara no. 07</p> <p><b>South -</b> Munara no. 07 to adjoining point of proposed forest block near munara no. 06 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181</p> <p><b>West -</b> Adjoining point of proposed forest block near munara no. 06 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181 to munara no. 01 of proposed forest block</p>
				<b>Total</b>	<b>3.510</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's No 6-MPC063/2018-BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab Project of Executive Engineer Water Resources Department, Indore, the above mentioned Non Forest Land of 3.510 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt., Forest Department by Collector Indore order no. 558/Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no. 538/Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014 Case no. 5/A-74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Mhow Distt. Indore are as under .

1. Individual Rights – There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्रमांक / 602 / आर-1553477 / 2023 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगे। यह वनखण्ड 22°31'54.45" से 22°32'9.93" उत्तर अक्षांश तथा 75°57'38.84" से 75°57'51.97" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

**अनुसूची**जिला- इन्दौर  
वनमंडल- इन्दौरतहसील- महुँ  
वन परिक्षेत्र -इंदौर

अ.क.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	चिखली (अ)	चिखली (अ)	शासकीय	43/35, 43/48, 43/38, 43/41, 43/43, 43/45, 43/46	1.619 1.618 1.619 1.618 1.619 1.619 1.618	उत्तर- मुनारा क.-5 से 6 तक की कृत्रिम सीमा पूर्व - मुनारा क.-3 से 5 की कृत्रिम सीमा। दक्षिण - मुनारा क.- 01 से 03 तक की कृत्रिम सीमा पश्चिम - मुनारा क.- 06 से 10 तक एवं मुनारा क.- 10 से 01 की कृत्रिम सीमा
				<b>योग</b>	<b>11.330</b>	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063/2018-बीएचओ/दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.330 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क्र. 558/क.री./2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क्र. 538/क.री./2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क्र. 5/अ-74/2013-14) हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महुँ के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023-दस-3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15<sup>th</sup> March 2024

No/602/R-1553477/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest Block lies between 22°31'54.45'' to 22°32'9.93'' North Latitude and 75°57'38.84'' to 75°57'51.97'' East Longitude.

**SCHEDULE**

District :-Indore  
Forest Division :-Indore

Tehsil :- Mhow  
Forest Range:-Indore

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
		Name of village	Present head of land	Khasra No.		
1.	Chikhali (A)	Chikhali (A)	Shashkiya	43/35, 43/48, 43/38, 43/41, 43/43, 43/45, 43/46	1.619 1.618 1.619 1.618 1.619 1.619 1.618	North- Munara no. 05 to 06 Artificial boundary line. East- Munara no. 03 to 05 Artificial boundary line. South- Munara no. 01 to 03 Artificial boundary line West- Munara no. 06 to 10 and Munara no. 10 to 01 Artificial boundary line.
				<b>Total</b>	11.330	

**(C) Reason for publication of Notification :-**

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order No 6-MPC063/2018-BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab project of Executive Engineer Water Resources Department Indore, the above mentioned Non Forest Land of 11.330 hectare transferred or muted in favour of M.P Govt., Forest Department by Collector Indore order no. 558/Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no. 538/Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014 Case no. 5/A-74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation.
- Details of other Reasons - Nil

(D) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Mhow Distt. Indore are as under (Certification) of Tehsildar Mhow

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land.
  2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land.
- Therefore the above land is being declared as protected forest under section-29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड किशनगढ़--स N 24° 30' 52.65" से N 24° 31' 25.44 उत्तर अक्षांश तथा E 79° 41' 31.58" से E 79° 42' 16.41 पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	किशनगढ़-स	बसुधा	म.प्र. शासन वन विभाग की शासकीय भूमि	115 116 117 121 125 126 127 128 130 131 132 133 134 139 119/1 119/2 123/1 124/1 124/2 124/3 124/4 135/1/1	2.764 1.727 0.012 5.184 1.845 0.057 0.841 6.54 1.676 0.016 0.012 0.053 2.278 6.195 5.455 1.038 0.156 5.229 0.25 0.054 1.905 13.209	उत्तर - किशनगढ़ वनखण्ड की दक्षिणी सीमा एवं वन कक्ष क्र. पी-522 की सीमा लाईन एवं मुनारा क्रमांक 1 तक। पूर्व - ग्राम करी की पश्चिमी सीमा लाईन से मुनारा क्र. 1 से 8 तक। दक्षिण - राजख्व ग्राम कूड़ापानी की सीमा होते हुये मुनारा क्र. 8 से 17 तक। पश्चिम - किशनगढ़ वनखण्ड की दक्षिणी सीमा एवं वन कक्ष क्र. पी-522 एवं पी-521 की सीमा लाईन मुनारा क्रमांक 17 से 1 तक।

किशनगढ़-स	बसुधा	शासकीय बंजर भूमि	135/1/2	0.17
			135/1/3	0.21
			135/1/4	0.607
			135/3	1.594
			137/2	7.099
		योग:-		66.176

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 66.176 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1) भूमि-आवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20.12.2022 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> March 2024

No./ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Kishangarh -C** N 24° 30' 52.65" to N 24° 31' 25.44" North Latitude and E 79° 41' 31.58" to E 79° 42' 16.41" East Longitude.

**SCHEDULE****District- Chhatarpur****Tahsil- Bijawar****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kishangarh -C	Basudha	Govt. Land M.P. Govt. Forest Department	115 116 117 121 125 126 127 128 130 131 132 133 134 139 119/1 119/2 123/1 124/1 124/2 124/3	2.764 1.727 0.012 5.184 1.845 0.057 0.841 6.54 1.676 0.016 0.012 0.053 2.278 6.195 5.455 1.038 0.156 5.229 0.25 0.054	<b>North -</b> Southern boundary of forest block Kishangarh and boundary line of forest Compartment No. P-522 and upto Pillar No. 1. <b>East -</b> From Pillar No. 1 to 8 on the western boundary of village karri. <b>South -</b> Boundary of Revenue Village Kudapani From Pillar No. 8 to 17. <b>West -</b> From Pillar No. 17 to 1 Southern boundary of forest block Kishangarh and boundary line of forest Compartment number P-522 and P-521.

				124/4	1.905
				135/1/1	13.209
	Kishangarh -C	Basudha	Barren Govt. Land	135/1/2	0.17
				135/1/3	0.21
				135/1/4	0.607
				135/3	1.594
				137/2	7.099
				<b>Total:-</b>	<b>66.176</b>

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 66.176 hectare transferred/ mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 0029/अ-20(1)भूमि-आवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.



भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड मझौली 79° 55' 29.27" E 24° 32' 25.27" N से 79° 55' 56.53 E 24° 32' 17.24" N उत्तर अक्षांश तथा 79° 56' 10.48" E, 24° 32' 3.42" N से 79° 55' 27.47 E, 24° 32' 6.53" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मझौली	मझौली	म.प्र. शासन वन विभाग की शासकीय भूमि	44	0.760	उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 15 तक। पूर्व- मुनारा क्र. 15 से 16 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 16 से 26 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 26 से 31 एवं 01 तक।
2				42	0.440	
3				25	0.090	
4				51	0.200	
5				34	0.090	
6				43	0.200	
7				5	0.990	
8				14	0.260	
9				7	0.23	
10				9	0.80	
11				11	0.140	
12				15	0.030	
13				40/1	0.450	
14				41	1.000	
15				12	0.190	
16				16	0.920	
17				73	2.000	
18				74	0.400	
19				13	0.530	
20				26/2	0.150	
21				40/2	0.610	

22			21	0.100
23			22	0.150
24			35	0.530
25			36	0.370
26			23	0.320
27			52/1	0.220
28			24	0.300
29			26/1	0.120
30			40/3	0.350
31			27	0.090
32			30	0.090
33			33	0.140
34			28	0.160
35			29	0.350
36			48	0.670
37			49	0.380
38			68	1.15
39			69	0.55
40			31	0.030
41			38	0.360
42			39	0.700
43			66	0.240
44			52/2	0.550
45			52/3	0.550
46			52/4	0.540
47			62	0.310
48			64	0.350
49			70	0.60
50			71	2.00
51			72	1.50
			योग:-	24.250
52		शासकीय बंजर	1	12.624
53		भूमि	4	0.690
54			8	0.810
55			6	0.050
56			10	0.040
57			18	0.160
58			20	0.180
59			32	0.440
60			46	0.250
61			47	0.130
62			37	0.030
63			45	0.040
64			50	0.180

65			53	0.450
66			54	0.400
67			55	0.170
68			56	0.280
69			57	0.400
70			58	0.400
71			59	0.400
72			60	0.650
73			61	0.460
74			63	0.590
75			65	1.250
76			67	0.670
77			75	3.561
78			76	0.283
79			82	0.046
80			85	1.423
81			89	0.021
82			98	0.275
83			123	0.238
			योग:-	27.591
			कुल योग:-	51.841

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्वीकृत परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 51.84 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0054/अ-20(3) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0017/अ-82/2021-22 में आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Majholi 79° 55' 29.27" E 24° 32' 25.27" N to 79° 55' 56.53 E 24° 32' 17.24" N North Latitude and 79° 56' 10.48" E 24° 32' 3.42" N to 79° 55' 27.47 E 24° 32' 6.53" East Longitude.

**SCHEDULE**

**District- Panna**

**Tahsil- Panna**

**Forest Division - Panna Tiger Reserve**

**Forest Range -Amanganj Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Details of Land Included			Description of Boundaries
			Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Majholi	Majholi	Govt. Land M.P. Govt. Forest Department	44	0.76	<b>North-</b> From Pillar No. 01 to 15. <b>East -</b> From Pillar No. 15 to 16. <b>South-</b> From Pillar No. 16 to 26. <b>West -</b> From Pillar No. 26 to 31 and 01.
2				42	0.44	
3				25	0.09	
4				51	0.20	
5				34	0.09	
6				43	0.20	
7				5	0.99	
8				14	0.26	
9				7	0.23	
10				9	0.80	
11				11	0.14	
12				15	0.03	
13				40/1	0.45	
14				41	1.00	
15				12	0.19	
16				16	0.92	
17				73	2.00	
18				74	0.40	
19				13	0.53	
20				26/2	0.15	
21				40/2	0.61	
22				21	0.10	
23				22	0.15	
24				35	0.53	
25				36	0.37	

26			23	0.32
27			52/1	0.22
28			24	0.30
29			26/1	0.12
30			40/3	0.35
31			27	0.09
32			30	0.09
33			33	0.14
34			28	0.16
35			29	0.35
36			48	0.67
37			49	0.38
38			68	1.15
39			69	0.55
40			31	0.03
41			38	0.36
42			39	0.70
43			66	0.24
44			52/2	0.55
45			52/3	0.55
46			52/4	0.54
47			62	0.31
48			64	0.35
49			70	0.60
50			71	2.00
51			72	1.50
			<b>Total</b>	<b>24.25</b>
52	Majholi	Barren	1	12.624
53		Govt. Land	4	0.690
54			8	0.810
55			6	0.050
56			10	0.040
57			18	0.160
58			20	0.180
59			32	0.440
60			46	0.250
61			47	0.130
62			37	0.030
63			45	0.040
64			50	0.180
65			53	0.450
66			54	0.400
67			55	0.170
68			56	0.280
69			57	0.400

70				58	0.400	
71				59	0.400	
72				60	0.650	
73				61	0.460	
74				63	0.590	
75				65	1.250	
76				67	0.670	
77				75	3.561	
78				76	0.283	
79				82	0.046	
80				85	1.423	
81				89	0.021	
82				98	0.275	
83				123	0.238	
				<b>Total:-</b>	<b>27.591</b>	
				<b>Grand Total:-</b>	<b>51.84</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India letter no. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 51.84 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh., Forest Department vide Collector Panna order No. 0054/अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.01.2023 and order passed in Case No. 0017/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 by the Collector Panna court, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons :- Non forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कोनी N-24° 34' 4.89" E-79° 55' 44.8" से N-24° 33' 25.97" E-79° 56' 17.6" उत्तर अक्षांश तथा N-24° 33' 16.23" E-79° 55' 58.8" से N-24° 33' 38.63" E-79° 55' 33.17" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कोनी	कोनी	म.प्र. शासन वन विभाग की शासकीय भूमि	186/1	0.30	उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 07 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 07 से 11 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 11 से 18 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 18 से 23 एवं 01 तक।
2				5/1	0.44	
3				186/2	0.29	
4				5/2	0.45	
5				150/2	0.43	
6				5/3	0.31	
7				101	0.25	
8				11/1	0.72	
9				146	0.43	
10				26	0.98	
11				11/2	0.73	
12				12	0.13	
13				147	0.14	
14				19	0.97	
15				87	0.14	
16				102/2	0.14	
17				11/4	0.73	
18				182	0.48	
19				31	1.00	
20				11/3	0.73	
21				153	0.37	
22				14	0.27	
23				141	0.02	

24				142	0.05
25				159	0.24
26				156	0.32
27				16	0.30
28				41	0.40
29				85	0.14
30				18/1	0.51
31				18/2	0.38
32				18/3	0.33
33				20	1.38
34				22	0.62
35				21/1	0.80
36				21/2	0.80
37				24	0.43
38				29	1.57
39				28/1	0.67
40				28/2	0.57
41				30/2	0.09
42				30/1	0.66
43				33	1.49
44				38	1.50
45				39	1.50
46				98/2	0.54
47				45	2.00
48				52	0.60
49				53	0.90
50				88	0.44
51				145	0.35
52				179	0.15
53				180	0.07
54				54	2.00
55				86	0.10
56				56	2.34
57				74	0.08
58				77	0.23
59				82	0.44
60				90	0.35
61				166	0.17
62				71/1	0.62
63				71/2	0.24
64				91/1	0.40
65				71/3	0.24



66			91/2	0.43
67			173	0.03
68			177	0.06
69			71/4	0.61
70			193	0.34
71			72	0.24
72			116	0.11
73			194	0.11
74			195	0.29
75			196	0.17
76			73	0.13
77			76	0.34
78			79	0.50
79			80	0.37
80			89/1	0.63
81			89/2	0.58
82			91/3	0.03
83			93	0.63
84			96/1	0.63
85			96/2	0.63
86			96/3	0.62
87			104	0.38
88			105	1.05
89			106	0.62
90			151	0.40
91			107	0.73
92			172	0.03
93			148	0.18
94			149	0.16
95			155/2	0.16
96			183	0.09
97			150/1	0.57
98			155/1	0.17
99			167	0.01
100			169	0.50
101			170	0.04
102			174	0.04
103			184	0.57
			योग:-	50.64
104		शासकीय बंजर भूमि	23	0.340
105			25	0.400
106			32	0.050
107			34	1.110

108			35	0.880
109			36	0.230
110			37	1.210
111			40	0.720
112			42	0.900
113			43	0.820
114			44	0.230
115			55	1.320
116			94	1.070
117			95	2.230
118			2	0.025
119			6	5.230
120			27	0.350
121			59	1.300
122			60	0.623
123			213	2.601
124			3	0.830
125			7	0.850
126			8	5.880
127			9	1.550
128			10	0.510
129			15	0.870
130			13	1.640
131			4	2.290
132			17	0.510
133			57	0.224
134			58	0.580
135			64	0.810
136			78	0.090
137			75	0.050
138			81	0.010
139			83	0.080
140			84	0.120
141			92	0.150
142			97	0.250
143			99	0.130
144			110	0.480
145			111	0.030
146			112	0.060
147			120	0.420
148			121	0.130

149			122	0.930
150			123	0.020
151			125	0.270
152			210	1.576
153			211	1.110
154			117	0.530
155			118	0.300
156			124	5.000
157			126	0.500
158			127	0.090
159			128	0.200
160			129	0.100
161			130	0.100
162			131	0.120
163			132	0.060
164			133	0.080
165			134	0.120
166			135	0.350
167			136	0.200
168			137	0.140
169			138	0.150
170			188	0.400
171			209	0.751
172			189	0.230
173			198	0.140
174			139	1.540
175			199	1.440
176			200	0.100
177			201	0.300
178			202	0.400
179			203	1.600
180			204	2.547
181			205	1.500
182			140	1.330
183			187	0.430
184			185	0.480
185			152	0.030
186			154	0.020
187			157	0.020
188			158	0.050
189			164	0.260
190			171	0.050
191			178	0.350

192				181	0.110
193				190	0.440
194				191	0.050
195				192	0.160
196				219	0.100
				योग:-	66.957
				कुल योग:-	117.597

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 117.597 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0050/अ-20(3) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0016/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के अनुक्रम में हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> March 2024

No./ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Koni N-24° 34' 4.89" E-79° 55' 44.8" to N-24° 33' 25.97" E-79° 56' 17.6" North Latitude and N-24° 33' 16.23" E-79° 55' 58.8" to N-24° 33' 38.63" E-79° 55' 33.17" East Longitude.

**SCHEDULE****District- Panna****Tahsil- Panna****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Amanganj Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Koni	Koni	Govt. Land M.P. Govt. Forest Department	186/1	0.30	North- From Pillar No. 01 to 07. East - From Pillar No. 07 to 11. South - From Pillar No. 11 to 18. West - From Pillar No. 18 to 23 and 1.
2				5/1	0.44	
3				186/2	0.29	
4				5/2	0.45	
5				150/2	0.43	
6				5/3	0.31	
7				101	0.25	
8				11/1	0.72	
9				146	0.43	
10				26	0.98	
11				11/2	0.73	
12				12	0.13	
13				147	0.14	
14				19	0.97	
15				87	0.14	
16				102/2	0.14	
17				11/4	0.73	
18				182	0.48	
19				31	1.00	
20				11/3	0.73	
21				153	0.37	
22				14	0.27	
23				141	0.02	
24				142	0.05	
25				159	0.24	

26			156	0.32
27			16	0.30
28			41	0.40
29			85	0.14
30			18/1	0.51
31			18/2	0.38
32			18/3	0.33
33			20	1.38
34			22	0.62
35			21/1	0.80
36			21/2	0.80
37			24	0.43
38			29	1.57
39			28/1	0.67
40			28/2	0.57
41			30/2	0.09
42			30/1	0.66
43			33	1.49
44			38	1.50
45			39	1.50
46			98/2	0.54
47			45	2.00
48			52	0.60
49			53	0.90
50			88	0.44
51			145	0.35
52			179	0.15
53			180	0.07
54			54	2.00
55			86	0.10
56			56	2.34
57			74	0.08
58			77	0.23
59			82	0.44
60			90	0.35
61			166	0.17
62			71/1	0.62
63			71/2	0.24
64			91/1	0.40
65			71/3	0.24
66			91/2	0.43
67			173	0.03
68			177	0.06
69			71/4	0.61
70			193	0.34

71			72	0.24
72			116	0.11
73			194	0.11
74			195	0.29
75			196	0.17
76			73	0.13
77			76	0.34
78			79	0.50
79			80	0.37
80			89/1	0.63
81			89/2	0.58
82			91/3	0.03
83			93	0.63
84			96/1	0.63
85			96/2	0.63
86			96/3	0.62
87			104	0.38
88			105	1.05
89			106	0.62
90			151	0.40
91			107	0.73
92			172	0.03
93			148	0.18
94			149	0.16
95			155/2	0.16
96			183	0.09
97			150/1	0.57
98			155/1	0.17
99			167	0.01
100			169	0.50
101			170	0.04
102			174	0.04
103			184	0.57
			<b>Total:-</b>	<b>50.64</b>
104		<b>Barren</b>	23	0.340
105		<b>Govt. Land</b>	25	0.400
106			32	0.050
107			34	1.110
108			35	0.880
109			36	0.230
110			37	1.210
111			40	0.720
112			42	0.900
113			43	0.820
114			44	0.230

115			55	1.320
116			94	1.070
117			95	2.230
118			2	0.025
119			6	5.230
120			27	0.350
121			59	1.300
122			60	0.623
123			213	2.601
124			3	0.830
125			7	0.850
126			8	5.880
127			9	1.550
128			10	0.510
129			15	0.870
130			13	1.640
131			4	2.290
132			17	0.510
133			57	0.224
134			58	0.580
135			64	0.810
136			78	0.090
137			75	0.050
138			81	0.010
139			83	0.080
140			84	0.120
141			92	0.150
142			97	0.250
143			99	0.130
144			110	0.480
145			111	0.030
146			112	0.060
147			120	0.420
148			121	0.130
149			122	0.930
150			123	0.020
151			125	0.270
152			210	1.576
153			211	1.110
154			117	0.530
155			118	0.300
156			124	5.000
157			126	0.500
158			127	0.090
159			128	0.200
160			129	0.100
161			130	0.100



162				131	0.120
163				132	0.060
164				133	0.080
165				134	0.120
166				135	0.350
167				136	0.200
168				137	0.140
169				138	0.150
170				188	0.400
171				209	0.751
172				189	0.230
173				198	0.140
174				139	1.540
175				199	1.440
176				200	0.100
177				201	0.300
178				202	0.400
179				203	1.600
180				204	2.547
181				205	1.500
182				140	1.330
183				187	0.430
184				185	0.480
185				152	0.030
186				154	0.020
187				157	0.020
188				158	0.050
189				164	0.260
190				171	0.050
191				178	0.350
192				181	0.110
193				190	0.440
194				191	0.050
195				192	0.160
196				219	0.100
				<b>Total:-</b>	<b>66.957</b>
				<b>Grand Total:-</b>	<b>117.597</b>

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project the above mentioned Non Forest Land of 117.597 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No. 0050/अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.01.2023 of Collector Panna and order passed in Case No. 0016/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 by the collector panna court, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons :- Non forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपमेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कटहरी-बिलहटा N 24°34'51.92" E 79° 56'2.63" से N 24°34'20.12" E 79°57'54.57" उत्तर अक्षांश एवं पूर्व N 24°35'9.08" E 79° 57'22.18" से N 24°34'23.61" E 79°57'25.20" देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – पन्ना  
वनमंडल – पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना

तहसील – पन्ना  
वन पक्षेत्र – अमानगंज बफर

संक्र०	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा न०	अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)	
1	कटारी बिलहटा	कटारी बिलहटा	स.प्र. शासन वन विभाग की शासकीय भूमि	1	2.02	उत्तर – मुनारा कमांक 1 से 11 तक। पूर्व – मुनारा कमांक 11 से 22 तक। दक्षिण – मुनारा कमांक 22 से 41 तक। पश्चिम – मुनारा कमांक 41 से 46 एवं 1 तक।
2				78	0.05	
3				93	0.27	
4				96	0.19	
5				138	0.26	
6				190	0.64	
7				234	0.95	
8				237	0.03	
9				241	0.04	
10				285	1.03	
11				344	0.99	
12				2/1	1.01	
13				66/1	0.11	
14				293	1.87	
15				2/2	1.01	
16				66/2	0.11	
17				292	1.87	
18				3	2.02	
19				4	1.48	
20				156	0.02	
21				233/1	0.4	
22				6	2.02	
23				9	0.89	
24				10	1.13	
25				11	0.6	
26				12	0.51	

27				227	0.86
28				238	0.5
29				240	0.31
30				258	0.35
31				26	0.34
32				269	0.78
33				27	0.34
34				30	0.56
35				34	0.18
36				59	0.05
37				60	0.05
38				69	0.03
39				70	0.22
40				89	0.16
41				92	0.22
42				13	3.05
43				179/1	1.00
44				221	0.05
45				222	0.55
46				128/1	0.44
47				16/1	0.49
48				191/1	0.33
49				29	0.30
50				32/1	0.33
51				72	0.10
52				79	0.18
53				16/2	0.49
54				191/2	0.07
55				310	0.19
56				18/1	1.18
57				71	0.08
58				111/1	1.38
59				167	0.71
60				217/1	1.05
61				282	0.13
62				18/2	1.19
63				74	0.07
64				111/2	1.13
65				164	1.09
66				217/2	1.05
67				177	0.08
68				178	0.05
69				179/4	0.1
70				21	0.56
71				268/2	1.21
72				37	0.3
73				38	2.34
74				186	0.98

75			23	0.35
76			280	0.83
77			87	0.22
78			88	0.22
79			90	0.09
80			25	2.66
81			55	0.35
82			179/2	0.30
83			268/1	1.22
84			281	0.12
85			28	0.31
86			75	0.14
87			31	2.24
88			35	0.43
89			58	0.20
90			81	0.16
91			179/3	0.41
92			268/3	1.21
93			32/2	0.33
94			128/2	0.10
95			192	0.27
96			33	0.29
97			73	0.07
98			127	0.33
99			39	2.02
100			52	0.12
101			256	0.44
102			257	1.58
103			56	0.14
104			300	0.94
105			302	1.08
106			57	0.19
107			62	0.07
108			63	0.02
109			83	0.02
110			84	0.07
111			99	0.88
112			67	0.24
113			76	0.09
114			116	0.48
115			117	0.40
116			129	1.09
117			137/1	0.13
118			77	0.07
119			86	0.22
120			118	0.42
121			119	0.44

122			187	0.8
123			228	0.6
124			266/2	0.63
125			339	2.02
126			80	0.04
127			294/1	0.38
128			85	0.18
129			114/2	0.14
130			229/1	0.41
131			91	0.13
132			298	1.87
133			110	0.84
134			284	0.62
135			326	0.55
136			112	0.13
137			271	0.44
138			317	0.12
139			318	0.9
140			319	0.35
141			113	0.68
142			195	2.02
143			208	0.30
144			286	1.05
145			114/1	0.08
146			266/1	0.64
147			114/3	0.13
148			137/2	0.18
149			229/2	0.42
150			115	0.27
151			122	0.28
152			123	0.19
153			124	0.18
154			348/107	1.04
155			120	0.78
156			215	1.7
157			325	0.31
158			121	0.35
159			134	0.23
160			141	0.21
161			272	0.32
162			125	0.44
163			161	0.24
164			131	0.48
165			132	0.44
166			143	0.08
167			133	0.22
168			152	0.03
169			182	0.39

170				184	0.14
171				223	1.20
172				224	1.16
173				225	1.80
174				254	1.35
175				255	0.33
176				295	1.27
177				347/193	0.50
178				136	0.24
179				146	0.07
180				226	0.68
181				139	0.25
182				154	0.04
183				299	0.66
184				331	1.14
185				332	0.22
186				149	0.07
187				157	0.03
188				270	1.37
189				150	0.04
190				163	0.27
191				349/107	1.85
192				160	0.25
193				233/2	0.59
194				188/1	0.20
195				188/2	0.2
196				291/2	0.93
197				193	0.31
198				218	0.5
199				196	0.41
200				330	1.61
201				197	0.17
202				212	1.08
203				323	0.76
204				199	1.37
205				200	0.22
206				311	0.65
207				346	1.00
208				201	0.53
209				324	1.14
210				204	0.48
211				341/4	0.07
212				205	0.36
213				334	1.65
214				214	0.52
215				230	0.43
216				320	0.96
217				217/3	1.06

218			231	0.42
219			321	0.95
220			343	0.53
221			239	1.00
222			244	0.09
223			245	0.86
224			242	0.36
225			253	0.31
226			263	1.28
227			246	0.56
228			247	0.32
229			248	0.36
230			251	0.78
231			249	2.02
232			259	1.17
233			260	0.78
234			261	0.77
235			262	0.58
236			267	0.67
237			264	2.02
238			265	2.02
239			287	0.98
240			297	1.04
241			289	1.15
242			290	0.87
243			291/1	0.92
244			294/2	0.41
245			294/3	0.41
246			294/4	0.41
247			294/5	0.41
248			296	0.42
249			301	1.6
250			306	0.20
251			328	0.29
252			341/1	0.26
253			337/1	0.34
254			337/2	0.33
255			337/3	0.34
256			337/4	0.33
257			337/5	0.08
258			338	0.25
259			341/2	0.56
260			341/3	0.56
261			342	2.02
262			345	2.02
योग :-			163.730	

क्र.सं.	कटारी बिलहटा	कटारी बिलहटा	शासकीय भूमि	5	0.130
263				7	0.570
264				8	0.400
265				14	1.840
266				40	5.010
267				43	0.030
268				44	0.040
269				45	0.190
270				46	0.230
271				47	0.110
272				48	0.060
273				49	0.150
274				50	0.390
275				51	0.160
276				53	0.220
277				54	0.150
278				64	0.030
279				65	0.020
280				41	0.350
281				42	0.040
282				36	0.050
283				15	2.770
284				17	0.380
285				19	1.420
286				20	0.920
287				22	10.770
288				24	0.250
289				61	0.830
290				82	0.020
291				68	0.090
292				94	0.180
293				95	0.180
294				97	0.040
295				98	0.210
296				100	0.570
297				101	0.390
298				102	0.140
299				103	0.220
300				104	0.090
301				105	2.528
302				107	7.770
303				126	0.280
304				130	0.040
305				135	0.030
306				140	0.020
307				151	0.220
308				142	0.070
309				144	0.010
310				148	0.020
311					



312			169	0.040
313			173	0.040
314			176	0.080
315			180	0.020
316			181	0.050
317			183	0.020
318			185	0.010
319			171	0.037
320			145	0.040
321			147	0.030
322			153	0.020
323			158	0.020
324			159	0.010
325			162	0.030
326			168	0.070
327			170	0.340
328			172	0.020
329			174	0.850
330			175	0.110
331			235	0.080
332			243	0.460
333			250	0.610
334			252	1.000
335			165	0.350
336			166	0.240
337			216	0.050
338			219	0.350
339			189	0.020
340			232	0.060
341			273	0.230
342			275	0.130
343			276	0.360
344			277	1.250
345			279	0.180
346			283	0.190
347			108	10.830
348			109	6.530
349			194	0.780
350			198	0.760
351			202	0.370
352			203	1.110
353			206	0.090
354			207	0.710
355			209	0.320
356			210	0.100
357			211	0.150
358			213	0.830
359			288	0.200
360			303	0.210
361			304	0.410

362			305	0.060
363			307	1.790
364			308	2.750
365			309	0.350
366			312	0.040
367			313	0.120
368			314	0.140
369			315	0.620
370			316	0.160
371			322	0.780
372			327	0.030
373			329	0.560
374			333	0.090
375			335	0.450
376			336	2.200
377			340	2.260
योग :-				83.825
<b>कुल क्षेत्रफल</b>				<b>247.555</b>

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 247.555 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0053/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0018/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> March 2024

No./ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Katari-Bilahta N-24° 34' 51.92" E-79° 56' 2.63" to N-24° 34' 20.12" E-79° 57' 54.57" North Latitude and N-24° 35' 9.08" E-79° 57' 22.18" to N-24° 34' 23.61" E-79° 57' 25.20" East Longitude.

**SCHEDULE****District - Panna****Forest Division - Panna tiger reserve panna****Tahsil - Panna****Forest Range - Amanganj Buffer**

S. N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	
	Name of Proposed Forest Block	Name of village	Present head of land	khasra No.	Area (Hectare)		
1	Katari-Bilahta	Katari-Bilahta	Govt. Land M.P. Government Forest Department	1	2.02	North- From Pillar No. 01 to 11.	
2				78	0.05		
3				93	0.27		East- From Pillar No. 11 to 22.
4				96	0.19		
5				138	0.26		South- From Pillar No. 22 to 41.
6				190	0.64		
7				234	0.95		
8				237	0.03		West- From Pillar No.. 41 to 46 and upto 01.
9				241	0.04		
10				285	1.03		
11				344	0.99		
12				2/1	1.01		
13				66/1	0.11		
14				293	1.87		
15				2/2	1.01		
16				66/2	0.11		
17				292	1.87		
18				3	2.02		
19				4	1.48		
20				156	0.02		
21				233/1	0.4		
22				6	2.02		
23				9	0.89		
24				10	1.13		

25				11	0.6
26				12	0.5
27				227	0.9
28				238	0.5
29				240	0.3
30				258	0.4
31				26	0.3
32				269	0.8
33				27	0.3
34				30	0.6
35				34	0.2
36				59	0.1
37				60	0.1
38				69	0.0
39				70	0.2
40				89	0.2
41				92	0.2
42				13	3.1
43				179/1	1.0
44				221	0.1
45				222	0.6
46				128/1	0.4
47				16/1	0.5
48				191/1	0.3
49				29	0.3
50				32/1	0.3
51				72	0.1
52				79	0.2
53				16/2	0.5
54				191/2	0.1
55				310	0.2
56				18/1	1.2
57				71	0.1
58				111/1	1.4
59				167	0.7
60				217/1	1.1
61				282	0.1
62				18/2	1.2

63				74	0.1
64				111/2	1.1
65				164	1.1
66				217/2	1.1
67				177	0.1
68				178	0.1
69				179/4	0.1
70				21	0.6
71				268/2	1.2
72				37	0.3
73				38	2.3
74				186	1.0
75				23	0.4
76				280	0.8
77				87	0.2
78				88	0.2
79				90	0.1
80				25	2.7
81				55	0.4
82				179/2	0.3
83				268/1	1.2
84				281	0.1
85				28	0.3
86				75	0.1
87				31	2.2
88				35	0.4
89				58	0.2
90				81	0.2
91				179/3	0.4
92				268/3	1.2
93				32/2	0.3
94				128/2	0.1
95				192	0.3
96				33	0.3
97				73	0.1
98				127	0.3
99				39	2.0
100				52	0.1

101				256	0.4
102				257	1.6
103				56	0.1
104				300	0.9
105				302	1.1
106				57	0.2
107				62	0.1
108				63	0.0
109				83	0.0
110				84	0.1
111				99	0.9
112				67	0.2
113				76	0.1
114				116	0.5
115				117	0.4
116				129	1.1
117				137/1	0.1
118				77	0.1
119				86	0.2
120				118	0.4
121				119	0.4
122				187	0.8
123				228	0.6
124				266/2	0.6
125				339	2.0
126				80	0.0
127				294/1	0.4
128				85	0.2
129				114/2	0.1
130				229/1	0.4
131				91	0.1
132				298	1.9
133				110	0.8
134				284	0.6
135				326	0.6
136				112	0.1
137				271	0.4
138				317	0.1

139				318	0.9
140				319	0.4
141				113	0.7
142				195	2.0
143				208	0.3
144				286	1.1
145				114/1	0.1
146				266/1	0.6
147				114/3	0.1
148				137/2	0.2
149				229/2	0.4
150				115	0.3
151				122	0.3
152				123	0.2
153				124	0.2
154				348/107	1.0
155				120	0.8
156				215	1.7
157				325	0.3
158				121	0.4
159				134	0.2
160				141	0.2
161				272	0.3
162				125	0.4
163				161	0.2
164				131	0.5
165				132	0.4
166				143	0.1
167				133	0.2
168				152	0.0
169				182	0.4
170				184	0.1
171				223	1.2
172				224	1.2
173				225	1.8
174				254	1.4
175				255	0.3
176				295	1.3

177				347/193	0.5
178				136	0.2
179				146	0.1
180				226	0.7
181				139	0.3
182				154	0.0
183				299	0.7
184				331	1.1
185				332	0.2
186				149	0.1
187				157	0.0
188				270	1.4
189				150	0.0
190				163	0.3
191				349/107	1.9
192				160	0.3
193				233/2	0.6
194				188/1	0.2
195				188/2	0.2
196				291/2	0.9
197				193	0.3
198				218	0.5
199				196	0.4
200				330	1.6
201				197	0.2
202				212	1.1
203				323	0.8
204				199	1.4
205				200	0.2
206				311	0.7
207				346	1.0
208				201	0.5
209				324	1.1
210				204	0.5
211				341/4	0.1
212				205	0.4
213				334	1.7
214				214	0.5



215				230	0.4
216				320	1.0
217				217/3	1.1
218				231	0.4
219				321	1.0
220				343	0.5
221				239	1.0
222				244	0.1
223				245	0.9
224				242	0.4
225				253	0.3
226				263	1.3
227				246	0.6
228				247	0.3
229				248	0.4
230				251	0.8
231				249	2.0
232				259	1.2
233				260	0.8
234				261	0.8
235				262	0.6
236				267	0.7
237				264	2.0
238				265	2.0
239				287	1.0
240				297	1.0
241				289	1.2
242				290	0.9
243				291/1	0.9
244				294/2	0.4
245				294/3	0.4
246				294/4	0.4
247				294/5	0.4
248				296	0.4
249				301	1.6
250				306	0.2
251				328	0.3
252				341/1	0.3

253				337/1	0.3	
254				337/2	0.3	
255				337/3	0.3	
256				337/4	0.3	
257				337/5	0.1	
258				338	0.3	
259				341/2	0.6	
260				341/3	0.6	
261				342	2.0	
262				345	2.0	
	Total				163.7	
263	Katari-Bilahta	Katari-Bilahta	Govt. Land	5	0.1	
264				7	0.6	
265				8	0.4	
266				14	1.8	
267				40	5.0	
268				43	0.0	
269				44	0.0	
270				45	0.2	
271				46	0.2	
272				47	0.1	
273				48	0.1	
274				49	0.2	
275				50	0.4	
276				51	0.2	
277				53	0.2	
278				54	0.2	
279				64	0.0	
280				65	0.0	
281				41	0.4	
282				42	0.0	
283				36	0.1	
284				15	2.8	
285				17	0.4	
286				19	1.4	
287				20	0.9	
288				22	10.8	
289				24	0.3	

290				61	0.8
291				82	0.0
292				68	0.1
293				94	0.2
294				95	0.2
295				97	0.0
296				98	0.2
297				100	0.6
298				101	0.4
299				102	0.1
300				103	0.2
301				104	0.1
302				105	2.5
303				107	7.8
304				126	0.3
305				130	0.0
306				135	0.0
307				140	0.0
308				151	0.2
309				142	0.1
310				144	0.0
311				148	0.0
312				169	0.0
313				173	0.0
314				176	0.1
315				180	0.0
316				181	0.1
317				183	0.0
318				185	0.0
319				171	0.0
320				145	0.0
321				147	0.0
322				153	0.0
323				158	0.0
324				159	0.0
325				162	0.0
326				168	0.1
327				170	0.3

328			172	0.0
329			174	0.9
330			175	0.1
331			235	0.1
332			243	0.5
333			250	0.6
334			252	1.0
335			165	0.4
336			166	0.2
337			216	0.1
338			219	0.4
339			189	0.0
340			232	0.1
341			273	0.2
342			275	0.1
343			276	0.4
344			277	1.3
345			279	0.2
346			283	0.2
347			108	10.8
348			109	6.5
349			194	0.8
350			198	0.8
351			202	0.4
352			203	1.1
353			206	0.1
354			207	0.7
355			209	0.3
356			210	0.1
357			211	0.2
358			213	0.8
359			288	0.2
360			303	0.2
361			304	0.4
362			305	0.1
363			307	1.8
364			308	2.8
365			309	0.4

366				312	0.0	
367				313	0.1	
368				314	0.1	
369				315	0.6	
370				316	0.2	
371				322	0.8	
372				327	0.0	
373				329	0.6	
374				333	0.1	
375				335	0.5	
376				336	2.2	
377				340	2.3	
<b>Total</b>					<b>83.825</b>	
<b>Grand Total</b>					<b>247.555</b>	

## (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 247.555 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0053/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 dated 12.01.2023 and order passed in Case No. 0018/अ-82/2021-22 दिनांक 27.09.2023 dated 27.09.2023, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड डुंगरिया N 24° 29' 37.27" E 79° 45' 41.48" से N 24° 29' 33.51 E 79° 46' 9.78" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 28' 51.2" E 79° 45' 17.43" से N 24° 28' 54.96 E 79° 45' 58.51" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	डुंगरिया	डुंगरिया	म.प्र. शासन वन विभाग	1/1	2.497	उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 20 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 20 से 32 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 32 से 36 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 36 से 40 एवं 1 तक।
2				25/3	3.116	
3				1/2/1	0.146	
4				1/4	0.239	
5				2	0.506	
6				3	0.749	
7				6	0.809	
8				1/2/2	0.129	
9				1/3	0.267	
10				5	3.023	
11				4	0.603	
12				7	0.040	
13				9	1.627	
14				8	1.991	
15				18/2	0.162	
16				18/3	0.101	
17				11/1/1	1.000	
18				11/2	0.914	
19				12	0.652	
20				13	2.383	
21				15	0.829	
22				16/3	0.101	
23				14	0.575	

24				16/2	0.348
25				16/1/1	1.036
26				16/1/2	2.000
27				18/1	1.949
28				19/1	0.121
29				19/2/1	4.452
30				19/2/2	1.619
31				19/3/1	1.683
32				19/3/2	1.683
33				19/3/3	1.684
34				20	2.120
35				21	1.686
36				23	1.218
37				24	0.113
38				28	0.202
39				25/2	5.666
40				26	1.056
41				27	0.154
42				34	0.020
43				29	0.688
44				32	0.016
45				33	0.372
46				36	0.599
47				38	0.182
48				31	0.263
49				40	0.510
50				43/2	1.485
51				47/8/2	1.100
52				47/1	2.000
53				47/2	1.143
54				47/3	2.000
55				47/4	0.783
56				47/5	1.000
57				47/6	1.000
				योग:-	64.410
58	डुंगरिया	डुंगरिया	शासकीय बंजर भूमि	16/1/3	1.162
59				49	9.264
60				50	6.362
61				51	5.684
62				10	0.040
63				11/1/2002	1.226
64				22	0.020

65				37	0.299
66				41	0.081
67				42	0.817
68				44/4	5.926
69				45/1	2.023
70				47/7	5.362
71				48	0.061
				योग:-	38.327
				कुल योग:-	102.737

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 102.737 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/अ--20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 0014/अ-82/2021-22 दिनांक 20.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 22 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.



Bhopal, the 22<sup>nd</sup> March 2024

No./ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Dungariya** N 24° 29' 37.27" E 79° 45' 41.48" to N 24° 29' 33.51 E 79° 46' 9.78" North Latitude and N 24° 28' 51.2" E 79° 45' 17.43" to N 24° 28' 54.96 E 79° 45' 58.51" East Longitude.

**SCHEDULE****District- Chhatarpur****Tahsil- Bijawar****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dungariya	Dungariya	M.P. Govt. Forest Department	1/1	2.497	North - From Pillar No. 01 to 20. South - From Pillar No. 20 to 32. East - From Pillar No. 32 to 36. West - From Pillar No. 36 to 40 and 01.
2				25/3	3.116	
3				1/2/1	0.146	
4				1/4	0.239	
5				2	0.506	
6				3	0.749	
7				6	0.809	
8				1/2/2	0.129	
9				1/3	0.267	
10				5	3.023	
11				4	0.603	
12				7	0.040	
13				9	1.627	
14				8	1.991	
15				18/2	0.162	
16				18/3	0.101	
17				11/1/1	1.000	
18				11/2	0.914	
19				12	0.652	
20				13	2.383	
21				15	0.829	
22				16/3	0.101	
23				14	0.575	
24				16/2	0.348	
25				16/1/1	1.036	
26				16/1/2	2.000	

27				18/1	1.949
28				19/1	0.121
29				19/2/1	4.452
30				19/2/2	1.619
31				19/3/1	1.683
32				19/3/2	1.683
33				19/3/3	1.684
34				20	2.120
35				21	1.686
36				23	1.218
37				24	0.113
38				28	0.202
39				25/2	5.666
40				26	1.056
41				27	0.154
42				34	0.020
43				29	0.688
44				32	0.016
45				33	0.372
46				36	0.599
47				38	0.182
48				31	0.263
49				40	0.510
50				43/2	1.485
51				47/8/2	1.100
52				47/1	2.000
53				47/2	1.143
54				47/3	2.000
55				47/4	0.783
56				47/5	1.000
57				47/6	1.000
				<b>Total:-</b>	<b>64.410</b>
58	Dungariya	Dungariya	Barren Govt. Land	16/1/3	1.162
59				49	9.264
60				50	6.362
61				51	5.684
62				10	0.040
63				11/1/2002	1.226
64				22	0.020
65				37	0.299
66				41	0.081

67				42	0.817	
68				44/4	5.926	
69				45/1	2.023	
70				47/7	5.362	
71				48	0.061	
				<b>Total:-</b>	<b>38.327</b>	
				<b>Grand Total :-</b>	<b>102.737</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 102.737 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0029/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and order passed in Case No. 0014/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023, for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल  
कचनार ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्र. 1571-वि.यो.-टी.डी.आर.(प्राप्ति क्षेत्र)-14-नग्रानि-2024

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2024

**प्ररूप-2**

{नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए}

**प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना**

क्रमांक 1571/दि. 21/03/24 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 क्रमांक (23 सन् 1973) की धारा-2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, संचालक एतद् द्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं। अर्थात : -

**अनुसूची  
(प्राप्ति क्षेत्र)**

सरल क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगर पालिक निगम, भोपाल में सम्मिलित समस्त ग्राम	नगर पालिक निगम, भोपाल की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समस्त खसरे।	41784.42

टीप : - उपरोक्त अधिसूचना के कॉलम -2 में उल्लेखित क्षेत्र " म.प्र. नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्त) नियम, 2016" के तहत केवल प्रशमन के प्रयोजन के लिये "प्राप्ति क्षेत्र" होगा।

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा।

क्र. 1573-वि.यो.-टी.डी.आर.(प्राप्ति क्षेत्र)-14-नग्रानि-2024

प्ररूप-2

{नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए}  
प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्रमांक: 1573 दि. 21/03/24 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 क्रमांक (23 सन् 1973) की धारा-2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, संचालक एतद् द्वारा इंदौर निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं। अर्थात : -

अनुसूची  
(प्राप्ति क्षेत्र)

सरल क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नगर पालिक निगम, इंदौर में सम्मिलित समस्त ग्राम	नगर पालिक निगम, इंदौर की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समस्त खसरे।	281 वर्ग कि.मी

टीप : - उपरोक्त अधिसूचना के कॉलम -2 में उल्लेखित क्षेत्र " म.प्र. नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्तों) नियम, 2016" के तहत केवल प्रशमन के प्रयोजन के लिये "प्राप्ति क्षेत्र" होगा।

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा।

श्रीकांत बनोट, वि.क.अ. सह-आयुक्त सह संचालक.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड विनैका N 24° 26' 34.426" E 79° 39' 38.296" से N 24° 27' 56.385 E 79° 39' 38.561" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 27' 15.653" E 79° 39' 13.874" से N 24° 27' 31.191 E 79° 40' 35.088" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील - बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाड़गर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	विनैका	विनैका	म.प्र. शासन वन विभाग	10	0.008	उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 19 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 19 से 27 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 27 से 120 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 120 से 134 एवं 01 तक।  प्रस्तावित वनखण्डों की सीमा में स्थित भूमि टुकड़ा क्रमांक 1, 2 एवं 3 को छोड़कर जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं:-  <b>टुकड़ा क्रमांक-1</b> उत्तर - मुनारा क्र. 135 से 136 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 136 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 136 से 137 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 137 से 135 तक।  <b>टुकड़ा क्रमांक-2</b> उत्तर - मुनारा क्र. 139 से 140 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 140 से 142 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 142 से 138 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 138 से 139 तक।  <b>टुकड़ा क्रमांक-3</b> उत्तर - मुनारा क्र. 143 से 144 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 144 से 146 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 145 से 146 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 146 से 143 तक।
2				14/1	9.523	
3				16	7.596	
4				17	0.413	
5				19	8.422	
6				20	12.140	
7				21	9.105	
8				30/1	2.388	
9				46/1	8.394	
10				47/1	0.186	
11				48/1	5.998	
12				49	16.188	
13				50	8.806	
14				51	10.915	
15				53	10.133	
16				56/1	0.404	
17				58/1	0.256	
18				59/1	0.126	
19				60/1	0.073	
20				61/1	1.324	
21				62/1	0.037	
22				63	9.065	
23				64	1.680	
24				66	0.113	

25			67	0.761
26			68	1.413
27			69/1	6.333
28			70	8.862
29			71	5.158
30			73	9.043
31			74	0.129
32			77	6.191
33			78	14.326
34			79	5.816
35			80	6.070
36			81	8.502
37			82	8.341
38			83	11.707
39			84	6.831
40			85	22.950
41			86	0.166
42			87	0.219
43			88	1.121
44			90	0.696
45			91	0.854
46			92	0.943
47			93	0.279
48			95	0.219
49			96	0.109
50			97	0.943
51			98	0.307
52			99	0.534
53			100	0.328
54			102	3.427
55			103	7.976
56			104	3.796
57			105	0.328
58			106	3.658
59			107	0.344
60			120	0.049
61			121	0.295
62			122	0.024
63			136	0.291
64			137	3.848
65			138	0.094
66			139	0.117
67			140	1.534
68			165	0.117
69			166	0.490
70			167	0.049
71			168	0.134
72			169	3.877
73			170	11.084
74			171	8.485

75			172/1	5.929
76			173	3.532
77			174	2.998
78			175	0.931
79			184	0.214
80			185	0.369
81			186	0.502
82			187	0.809
83			188	1.279
84			190	0.308
			योग:-	319.332

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 319.332 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.



Bhopal, the 26<sup>th</sup> March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Bineka** N 24° 26' 34.426" E 79° 39' 38.296" to N 24° 27' 56.385 E 79° 39' 38.561" North Latitude N 24° 27' 15.653" E 79° 39' 13.874" to N 24° 27' 31.191 E 79° 40' 35.088" East Longitude.

**SCHEDULE****District- Chhatarpur****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Tahsil- Bijawar****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bineka	Bineka	M.P. Govt. Forest Department	10	0.008	<b>North</b> - From Pillar No. 01 to 19. <b>South</b> - From Pillar No. 19 to 27. <b>East</b> - From Pillar No. 27 to 120. <b>West</b> - From Pillar No. 120 to 134 and 01.  Patch No. 1, 2 and 3 are excluded from proposed forest Block as follow:-  <b>Patch No. 1</b> <b>North</b> - From Pillar No. 135 to 136. <b>South</b> - From Pillar No. 136. <b>East</b> - From Pillar No. 136 to 137. <b>West</b> - From Pillar No. 137 to 135.  <b>Patch No. 2</b> <b>North</b> - From Pillar No. 139 to 140. <b>South</b> - From Pillar No. 140 to 142. <b>East</b> - From Pillar No. 142 to 138. <b>West</b> - From Pillar No. 138 to 139.  <b>Patch No. 3</b> <b>North</b> - From Pillar No. 143 to 144. <b>South</b> - From Pillar No. 144 to 145. <b>East</b> - From Pillar No. 145 to 146. <b>West</b> - From Pillar No. 146 to 143.
2				14/1	9.523	
3				16	7.596	
4				17	0.413	
5				19	8.422	
6				20	12.140	
7				21	9.105	
8				30/1	2.388	
9				46/1	8.394	
10				47/1	0.186	
11				48/1	5.998	
12				49	16.188	
13				50	8.806	
14				51	10.915	
15				53	10.133	
16				56/1	0.404	
17				58/1	0.256	
18				59/1	0.126	
19				60/1	0.073	
20				61/1	1.324	
21				62/1	0.037	
22				63	9.065	
23				64	1.680	
24				66	0.113	
25				67	0.761	
26				68	1.413	
27				69/1	6.333	
28				70	8.862	

29			71	5.158
30			73	9.043
31			74	0.129
32			77	6.191
33			78	14.326
34			79	5.816
35			80	6.070
36			81	8.502
37			82	8.341
38			83	11.707
39			84	6.831
40			85	22.950
41			86	0.166
42			87	0.219
43			88	1.121
44			90	0.696
45			91	0.854
46			92	0.943
47			93	0.279
48			95	0.219
49			96	0.109
50			97	0.943
51			98	0.307
52			99	0.534
53			100	0.328
54			102	3.427
55			103	7.976
56			104	3.796
57			105	0.328
58			106	3.658
59			107	0.344
60			120	0.049
61			121	0.295
62			122	0.024
63			136	0.291
64			137	3.848
65			138	0.094
66			139	0.117
67			140	1.534
68			165	0.117
69			166	0.490
70			167	0.049
71			168	0.134
72			169	3.877
73			170	11.084
74			171	8.485
75			172	5.929

76				173	3.532	
77				174	2.998	
78				175	0.931	
79				184	0.214	
80				185	0.369	
81				186	0.502	
82				187	0.809	
83				188	1.279	
84				190/1	0.308	
				<b>Total:-</b>	<b>319.332</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 167.740 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0010/अ-20(1) वर्ष 2023-24 dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड रायचौर N 24° 24' 45.518" E 79° 42' 50.084" से N 24° 25' 57.764 E 79° 41' 59.345" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 25' 44.738" E 79° 41' 38.602" से N 24° 25' 1.668 E 79° 43' 7.839" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	रायचौर	रायचौर	म.प्र. शासन वन विभाग	143	6.151	उत्तर - मुनारा क्र. 37 से 42 एवं 43 से 1 एवं 1 से 27 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 27 से नाला होते हुये मुनारा क्र. 28 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 28 से 34 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 34 से 37 तक।  प्रस्तावित वनखण्ड की सीमा में स्थित भूमि के टुकड़े को छोड़कर, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-  उत्तर - मुनारा क्र. 76 से 80 एवं मुनारा क्र. 80 से 44 होते हुए मुनारा क्र. 47 तक। पूर्व - मुनारा क्र. 47 से 57 तक। दक्षिण - मुनारा क्र. 57 से 66 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 66 से 76 तक।
2				205	1.509	
3				243	0.587	
4				244	0.219	
5				245	2.719	
6				246	0.182	
7				247	1.263	
8				248	0.142	
9				277	8.159	
10				278	3.035	
11				289	4.602	
12				290	6.07	
13				291	4.36	
14				292	1.174	
15				293	6.989	
16				294	2.453	
17				295	5.516	
18				296	3.339	
19				297	1.457	
20				131/1	1.052	
21				142/1/1	2.171	
22				196/2	7.094	
23				196/3	0.214	

24			196/4	0.121
25			196/5	0.405
26			196/6	0.405
27			197/1	15.985
28			198/12	0.595
29			198/13	0.057
30			198/14	0.348
31			198/8/1/1	3.007
32			198/9	0.405
33			199/2/1	11.047
34			200/1	7.98
35			201/2	2.833
36			201/3	2.833
37			202/1/2	6.839
38			203/1/3	1.011
39			204/1/2/3	5.457
40			225/1/1	0.061
41			239/1/1	8.976
42			240/1	3.869
43			240/2	0.304
44			240/4/1	0.227
45			241/1	0.162
46			241/3	1.003
47			242/1	3.258
48			249/1	4.658
49			260/1/1	8.935
50			260/2	0.283
51			261/1/1	1.886
52			261/2	1.202
53			261/3	1.011
54			262/1/1/1	3.874
55			262/2	0.19
56			262/3	0.405
57			263/1/1	4.766
58			263/2	0.526
59			279/1	1.574
			योग:-	176.955

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 176.955 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Raychor** N 24° 24' 45.518" E 79° 42' 50.084" to N 24° 25' 57.764 E 79° 41' 59.345" North Latitude N 24° 25' 44.738" E 79° 41' 38.602" to N 24° 25' 1.668 E 79° 43' 7.839" East Longitude.

**SCHEDULE**

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Raychor	Raychor	M.P. Govt. Forest Department	143	6.151	<b>North -</b> From Pillar No. 37 to 42 and 43 to 1 and 1 to 27. <b>East-</b> From Pillar No. 27 via Nala to From Pillar No. Till 28. <b>South -</b> From Pillar No. 28 to 34. <b>West -</b> From Pillar No. 34 to 37.  Path of the Land excluded from the proposed forest block whose boundaries are as follows:-  <b>North -</b> From Pillar No. 76 to 80 and througha Pillar No. 80 to 44 upto Pillar No. 47 <b>East -</b> From Pillar No. 47 to 57 <b>South -</b> From Pillar No. 57 to 66 <b>West -</b> From Pillar No. 66 to 76
2				205	1.509	
3				243	0.587	
4				244	0.219	
5				245	2.719	
6				246	0.182	
7				247	1.263	
8				248	0.142	
9				277	8.159	
10				278	3.035	
11				289	4.602	
12				290	6.07	
13				291	4.36	
14				292	1.174	
15				293	6.989	
16				294	2.453	
17				295	5.516	
18				296	3.339	
19				297	1.457	
20				131/1	1.052	
21				142/1/1	2.171	
22				196/2	7.094	
23				196/3	0.214	
24				196/4	0.121	
25				196/5	0.405	
26				196/6	0.405	
27				197/1	15.985	

28			198/12	0.595
29			198/13	0.057
30			198/14	0.348
31			198/8/1/1	3.007
32			198/9	0.405
33			199/2/1	11.047
34			200/1	7.98
35			201/2	2.833
36			201/3	2.833
37			202/1/2	6.839
38			203/1/3	1.011
39			204/1/2/3	5.457
40			225/1/1	0.061
41			239/1/1	8.976
42			240/1	3.869
43			240/2	0.304
44			240/4/1	0.227
45			241/1	0.162
46			241/3	1.003
47			242/1	3.258
48			249/1	4.658
49			260/1/1	8.935
50			260/2	0.283
51			261/1/1	1.886
52			261/2	1.202
53			261/3	1.011
54			262/1/1/1	3.874
55			262/2	0.19
56			262/3	0.405
57			263/1/1	4.766
58			263/2	0.526
59			279/1	1.574
			Total	176.955

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 176.955 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0010/अ-20(1) वर्ष 2023-24 dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

- Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
- Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.



भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्रमांक/ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड सुरई N 24° 25' 3.905" E 79° 43' 6.563" से N 24° 26' 42.208 E 79° 43' 44.688" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 26' 2.549" E 79° 42' 21.073" से N 24° 26' 14.189 E 79° 44' 5.291" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरई	सुरई	म.प्र. शासन वन विभाग	4	3.441	उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 5 तक। पूर्व - वनखण्ड बिला के मुनारा क्र. 46, 45, 44 तक एवं प्रस्तावित वनखण्ड सुरई के मुनारा क्र. 6 से 25 तक। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 31 तक। पश्चिम - मुनारा क्र. 31 से 104 तक एवं नाला होते हुये मुनारा क्र. 1 तक।
2				5	10.011	
3				6	12.141	
4				7	4.617	
5				8	12.141	
6				9	12.141	
7				10	12.141	
8				11/1	28.440	
9				12	0.530	
10				14	12.140	
11				15	16.187	
12				16	8.093	
13				17	16.187	
14				18	9.647	
15				19	6.839	
16				20	12.140	
17				21	6.070	
18				22	3.282	
19				23	0.890	
20				24	0.376	

21			25	4.741	
22			26	8.093	
23			27	6.115	
24			28	7.843	
25			29	2.707	
26			30	0.243	
27			31	0.113	
28			34	0.384	
29			35	0.495	
30			39	0.442	
31			40	0.093	
32			41	0.049	
33			45	0.501	
34			46	0.061	
35			50	0.166	
36			51	0.183	
37			52	2.894	
38			72	2.326	
39			100	1.011	
40			101	0.089	
41			102	0.040	
42			103/1	0.935	
43			104	0.057	
44			105	0.247	
45			106	0.154	
46			107/4	1.747	
47			108	0.967	
48			109	1.149	
49			112	8.754	
50			117/1	8.781	
51			118/1	17.984	
52			118/5	0.380	
53			118/17	0.352	
54			120/1	9.910	
55			121/1/1	4.828	
56			122/1/1	7.781	
57			221	4.079	
58			222/1	7.429	
59			222/7	0.304	
60			223	5.974	
61			224	0.299	

62			231	0.364
63			361/1	7.126
64			363	11.796
65			364	7.851
66			365/4	4.579
67			366	0.539
68			367	0.733
69			368	7.413
70			369	12.019
			योग:-	360.574

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 360.574 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010/अ-20(1)/भूमि-आवंटन/नजूल/2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
  2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR), दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Surai N 24° 25' 3.905" E 79° 43' 6.563" to N 24° 26' 42.208 E 79° 43' 44.688" North Latitude N 24° 26' 2.549" E 79° 42' 21.073" to N 24° 26' 14.189 E 79° 44' 5.291" East Longitude.

## SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Surai	Surai	M.P. Govt. Forest Department	4	3.441	North - . Munara No. From 01 to 5. South - Munara No. of Vanakhand Bila. 46, 45, 44 and Manara No. of proposed forest block Surai. From 6 to 25. East - Munara No. From 25 to 31. West - Munara No. From 31 to 104 and via drain, Munara No. Till 1.
2				5	10.011	
3				6	12.141	
4				7	4.617	
5				8	12.141	
6				9	12.141	
7				10	12.141	
8				11/1	28.440	
9				12	0.530	
10				14	12.140	
11				15	16.187	
12				16	8.093	
13				17	16.187	
14				18	9.647	
15				19	6.839	
16				20	12.140	
17				21	6.070	
18				22	3.282	
19				23	0.890	
20				24	0.376	
21				25	4.741	
22				26	8.093	
23				27	6.115	

24			28	7.843
25			29	2.707
26			30	0.243
27			31	0.113
28			34	0.384
29			35	0.495
30			39	0.442
31			40	0.093
32			41	0.049
33			45	0.501
34			46	0.061
35			50	0.166
36			51	0.183
37			52	2.894
38			72	2.326
39			100	1.011
40			101	0.089
41			102	0.040
42			103/1	0.935
43			104	0.057
44			105	0.247
45			106	0.154
46			107/4	1.747
47			108	0.967
48			109	1.149
49			112	8.754
50			117/1	8.781
51			118/1	17.984
52			118/5	0.380
53			118/17	0.352
54			120/1	9.910
55			121/1/1	4.828
56			122/1/1	7.781
57			221	4.079
58			222/1	7.429
59			222/7	0.304
60			223	5.974
61			224	0.299
62			231	0.364
63			361/1	7.126

64				363	11.796
65				364	7.851
66				365/4	4.579
67				366	0.539
68				367	0.733
69				368	7.413
70				369	12.019
				<b>Total:-</b>	<b>360.574</b>

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 360.574 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0010 / अ-20(1) वर्ष 2023-24 dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर .

Jabalpur the 2<sup>nd</sup> January, 2024

No. A-27.—In partial modification to tentative list of Holiday issued for District Judiciary vide Registry Order No. A-8775 dated 28<sup>th</sup> December 2023, 13<sup>th</sup> January, 2024 (2<sup>nd</sup> Saturday) is declared as a holiday for the District Judiciary of Madhya Pradesh on account of 10th Biennial Conference scheduled for 13<sup>th</sup> & 14<sup>th</sup> January, 2024 at Ravindra Bhawan, Bhopal.

In lieu of aforesaid holiday, 20<sup>th</sup> January, 2024 (Holiday) shall be a working day for the District Judiciary of Madhya Pradesh.

By order of Hon'ble Chief Justice,  
MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2024

क्र. ए-1287-तीन-10-42-75.—एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री सिराज अली, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान नर्मदापुरम के अतिरिक्त सिवनी मालवा में प्रत्येक माह में दस दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, नर्मदापुरम में ही बैठक करेंगे. नर्मदापुरम-सिवनी मालवा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वाह (जिला मण्डलेश्वर) जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान बड़वाह के अतिरिक्त सनावद में प्रत्येक माह में 20 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, बड़वाह में ही बैठक करेंगे. बड़वाह-सनावद श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. A-1287-III-10-42-75.—It is hereby directed that Shri Siraj Ali, II<sup>nd</sup> Additional Judge to the Court of I<sup>st</sup> District & Additional Sessions Judge, Narmadapuram who was directed to hold sitting at Seoni Malwa in addition to his place of Posting for a period of 10 days in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Narmadapuram only on all working days in a month. **The sitting of Narmadapuram-Seoni Malwa Link Court is hereby discontinued.**

It is also directed that Shri Kaushlendra Sing Bhadauriya, I<sup>st</sup> District & Additional Sessions Judge, Barwah who was directed to hold sitting at Sanawad (District Mandleshwar) in addition to his place of Posting for a period of 20 days in a month for holding Link Court, will henceforth hold sitting at Barwah only on all working days in a month. **The sitting of Barwah-Sanawad Link Court is hereby discontinued.**

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इसटेब्लिशमेंट).

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2024

क्र. बी-377-दो-2-84-2023.—श्री आशुतोष अग्रवाल, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 9 से 22 दिसम्बर 2023 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अग्रवाल, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशुतोष अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2024

क्र. A-231-दो-2-63-2022.—श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 जनवरी 2024 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2024

क्र. C-923-दो-2-3-2024.—श्री अभिषेक कुमार पटेल, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 30 जनवरी 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक कुमार पटेल, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिषेक कुमार पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2024

क्र. C-997-दो-2-57-2012.—श्री यू. एस. दुबे, Advisor to Hon'ble Chief Justice, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, Advisor to Hon'ble Chief Justice, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो Advisor to Hon'ble Chief Justice, के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र. C-1499-दो-2-36-2022.—श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2024 तक, चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. C-1785-दो-2-63-2022.—श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 फरवरी से 23 मार्च 2024 तक, चौतीस दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave Preparatory to Retirement) स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave Preparatory to Retirement) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2024

क्र. C-2204-दो-2-7-2024.—श्री रवि शंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (A/c), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (A/c), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर डेकाटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (A/c), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2024

क्र. C-2281-दो-3-420-1980-भाग सोलह.—श्री अजय पवार, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 255 दिवस (दो सौ पचपन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 में दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.



## गणना-पत्रक

1. श्री अजय पवार, :  
सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार (एम),  
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,  
जबलपुर का नियुक्ति दिनांक : 12-03-1986
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2024
3. नियुक्ति दिनांक 12-03-1986 : 00 वर्ष 11 माह 09  
से दिनांक 09-03-1987 तक दिन.  
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 36 वर्ष 10 माह  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा 19 दिन.  
अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि : 1×15 =15  
हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता दिन.  
(एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु : 36=18×15=270  
समर्पण अवकाश की पात्रता (एक दिन.  
वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो  
वर्ष में 15 दिन की दर से तथा  
सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में 6  
माह से अधिक होने पर 7 दिन  
गणना में लिये जायेंगे).
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण : 285 दिन  
की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान लिया : 30 दिन  
गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश : 255 दिन  
समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को शेष अर्जित अवकाश 272 दिन).

श्री अजय पवार, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के अवकाश नगदीकरण प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-25-202-2000-पी.डब्ल्यू.सी.-चार, दिनांक 30-10-2000 के अनुसार एकीकृत मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व) एवं मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात्) की सेवा का विवरण निम्नानुसार है :-

## विभाजन-पत्रक

1. कुल सेवा नियुक्ति दिनांक वर्ष माह कुल माह  
12-03-1986 से सेवानिवृत्ति 37 10 454  
31-01-2024 तक.

2. एकीकृत म. प्र. की सेवा में वर्ष माह कुल माह  
नियुक्ति दिनांक 12-03-1986 14 07 175  
से छ.ग. विभाजन दिनांक  
31-10-2000 तक.

3. मध्यप्रदेश राज्य की सेवा वर्ष माह कुल माह  
दिनांक 01-11-2000 से 23 03 279  
सेवानिवृत्ति दिनांक 31-01-2024  
तक.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2024

क्र. A-201-दो-3-127-2009.—श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A-203-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-205-दो-2-46-2023.—श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-212-दो-2-22-2023.—श्री सुनील कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. बी-362-दो-2-53-2022.—श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-364-दो-2-2-2023.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 दिसम्बर 2023 के, एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-366-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 2 से 3 जनवरी 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-368-दो-2-15-2019.—श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 दिसम्बर 2023 तक, एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-373-दो-2-50-2015.—श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-375-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 9 से 11 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-449-दो-3-127-2009.—श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-447-दो-2-15-2019.—श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)-2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-443-दो-2-30-2023.—श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 10 से 18 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपयोग करने के कारण वर्ष 2023 से 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)-2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2024

क्र. C-515-दो-2-73-2022.—श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-511-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 23 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-513-दो-2-2-2023.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 24 से 31 जनवरी 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2024

क्र. A-229-दो-2-28-2019.—श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2024

क्र. A-398-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 27 जनवरी 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-408-दो-2-80-2023.—श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामजी गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-410-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-412-दो-2-73-2023.—श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 12 से 19 जनवरी 2024 तक आठ दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-414-दो-2-34-2023.—श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2024

क्र. C-902-दो-2-51-2020.—श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-III), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-III), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-III), के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-914-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार—श्रीमती मिश्रा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. अर्जित अवकाश  | . . . 262 |
| अर्द्धवेतन अवकाश | . . . 38  |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 262 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय-महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश =  $\frac{\text{अर्जित अवकाश}}{30} \times 38$   
के एवज में नगद भुगतान.

क्र. C-916-दो-2-15-2019.—श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 9 से 10 जनवरी 2024 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-921-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-925-दो-2-60-2021.—कु. प्रतिभा साठवणे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 2 दिसम्बर 2021 से 1 दिसम्बर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यव्यवस्था अधिकारी.

### मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 19 जनवरी 2024

क्र.-197-स्था.—श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 8 से 10 जनवरी 2024 तक कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जनवरी 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

कमांक. C / 2462 /

जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2024

तीन-6-4/57 भाग-40

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम कमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अपनी अधिसूचना कमांक ए/1802/तीन-6-4/57 भाग -40 दिनांक 13.04.2022 को अतिष्ठित करते हुए सुश्री मृणालिनी सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक-1/5/96/21-बी(1) दिनांक 3 मार्च 2011 द्वारा जबलपुर, कटनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, दमोह, नर्मदापुरम, हरदा, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला, शहडोल, सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डोरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम कमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधों, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के विचारण करने हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है।

न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा।

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. A/1802/III-6-4/57-40 dated 13<sup>th</sup> April 2022, the High Court of Madhya Pradesh appoints **Sushri Mrinalini Singh, Judicial Magistrate, First Class, Jabalpur** to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate First Class (**Specially for C.B.I. Cases**) established by the Government of Madhya Pradesh vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. F-1/5/96/21-B(1), dated 03rd March, 2011 for the areas comprising the Districts Jabalpur, Katni, Balaghat, Betul, Chhindwara, Tikamgarh, Damoh, Narmadapuram, Harda, Chhatarpur, Narsinghpur, Rewa, Seoni, Mandla, Shahdol, Sidhi, Sagar, Satna, Panna, Dindori, Umariya, Anuppur and Singrauli for trial of offences investigated by the Special Police Establishment Act, 1946, except those specified in Chapter-III of Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).

The Head quarter of the Court shall be at Jabalpur.

No. C / 2464 /  
**III-6-5/14**

In exercise of the powers conferred u/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the Judicial Magistrate First Class specified in column no. (2) is hereby designated to deal with the cases in respect of offences relating to **VYAPAM** Scam matters and other matters linked thereto, investigated by the Central Bureau of Investigation, by Special Task Force or by Local Police Stations for area specified in the corresponding entries in column no. (4) thereof. The Headquarter of the Courts will be at the places mentioned in column no. (3).

This Notification is being issued by making partial amendment in Notification No. A/1919 dated 21.04.2022 issued in this regard in respect of designating Court of Judicial Magistrate First Class, Jabalpur for dealing with cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters for the places mentioned in the following table.

**TABLE**

S. No.	Name of Court	Head Quarter	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Smt. Anuja Shrivastava, JMFC, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur, Chhatarpur, Narsinghpur, Damoh, Seoni, Satna, Panna, Shahdol, Katni, Anuppur, Mandla, Sagar, Chhindwara, Rewa, Sidhi, Balghat, Dindori, Umaria and Singrauli

No. C / 2466 /  
III-10-40/78

In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the Court of the **Judicial Magistrate First Class** specified in the column no. (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Courts for **trial of cases relating to Economic Offences** (as described in the Schedule of the notification of the State Government no. F.No. 1-8-79-XXI (1)-dated 28<sup>th</sup> June, 2007).

The Headquarters of the said designated Courts shall be at the place of posting shown in column no. (2) and the jurisdiction shall extend to the area of the Revenue Districts shown in column no. (4) in the table below.

**TABLE**

<b>S. No.</b>	<b>Place</b>	<b>Name of Judicial Officer</b>	<b>Area of Jurisdiction</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jabalpur	Sushri Mrinalini Singh, JMFC, Jabalpur	Jabalpur, Katni, Damoh, Mandla, Dindori, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Sagar, Panna, Chhatarpur, Shahdol, Umaria & Anuppur

This Notification has been issued in supersession of earlier Notification no. A/1835 dated 18.04.2022.



No C / 2468 / (Railway)  
III-6-3/57- IX

In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class mentioned in Column No. 2 of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class is authorised to take cognizance, arising out of territorial jurisdiction of Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. 4 of the said table with effect from the date of assumption of charge by the Magistrates. The Headquarter of the Court will be as mentioned in Column no. 3 of the table.

This notification is being issued by making partial amendment in earlier notification no. A/1798 dated 13.04.2022 issued in this regard.

**TABLE**

S. No.	Judicial Magistrates	Headquarter	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Shri Anurag Khare, JMFC, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Schore, Ujjain, Guna, Ashoknagar, Indore, Shajapur, Ratlam, Khandwa, Burhanpur Sagar, Vidisha, Narmadapuram, Harda, Betul, Gwalior, Jabalpur, Satna, Morena, Narsinghpur, Rewa, Neemuch, Bhind, Katni, Chhatarpur, Shahdol, Umaria, Anuppur, Chhindwara & Sehoper.

No. C / 2470 /  
**III-6-5/14**

In exercise of the powers conferred u/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the Judicial Magistrate First Class specified in column no. (2) is hereby designated to deal with the cases in respect of offences relating to **VYAPAM** Scam matters and other matters linked thereto, investigated by the Central Bureau of Investigation, by Special Task Force or by Local Police Stations for area specified in the corresponding entries in column no. (4) thereof. The Headquarter of the Courts will be at the places mentioned in column no. (3).

This Notification is being issued by making partial amendment in Notification No. A/1919 dated 21.04.2022 issued in this regard in respect of designating Court of Judicial Magistrate First Class, Jabalpur for dealing with cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters for the places mentioned in the following table.

**TABLE**

S. No.	Name of Court	Head Quarter	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Shri Tathagat Yagnik, JMFC, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Betul, Narmadapuram, Rajgarh (Bioara) and Harda

No. C / 2472 /  
**III-6-2/2018**

In compliance of the directions of Honourable the Supreme Court of India, given in Writ Petition (Civil) No. 699/2016, Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Anr, the Court, particularized in the following table is hereby designated as Special Court under scheme for setting up of Special Courts for trial of criminal cases, registered against the 'Members of Parliament' and 'Member of Legislative Assembly' (sitting and former) in the State of Madhya Praesh.

The Headquarter of the Special Court and the respective jurisdiction will be as detailed in the following table.

This notification is issued by making partial amendment in Sr. No. 2 of the table in the earlier Notification No. B/8125 dated 14.12.2021 issued by the High Court of M.P. in this regard.

**TABLE**

<u>S. No.</u>	<u>Place (Headquarter)</u>	<u>Cadre</u>	<u>Judge/ Magistrate</u>	<u>Territorial Jurisdiction</u>
<b>2.</b>	<b>Bhopal</b>	Judicial Magistrate First Class	<b>Shri Tathagat Yagnik, JMFC</b>	Bhopal, Sehore, Vidisha, Raisen, Narmadapuram, Harda, Rajgarh, Sagar, Betul and Chhindwara

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इंसट्रुक्शमेंट).

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र.-अवकाश-228.—श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 5 से 6 फरवरी 2024 तक, दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 4 फरवरी 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

इन्दौर, दिनांक 27 जनवरी 2024

क्र.-अवकाश-161.—श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 11 से 12 जनवरी 2024 तक, दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

इन्दौर, दिनांक 21 फरवरी 2024

क्र.-अवकाश-298.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 3 से 9 फरवरी 2024 तक, सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम).